


वार्षिक रिपोर्ट ■ Annual Report

2009 - 2010

The Bank that begins with

U



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक



United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

माननीय केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी
सागरदीघी, मुर्शिदाबाद में आयोजित ऋण शिविर में
The Hon'ble Union Finance Minister **Shri Pranab Mukherjee**
at Credit Delivery Camp at Sagardighi, Murshidabad



माननीय केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी एक महिला हिताधिकारी को ऋण के कागजात प्रदान करते हुए
The Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee handing over the loan papers to a woman beneficiary



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के लिस्टिंग कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक क्षण
A historical moment of Listing Ceremony of United Bank of India



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लिस्टिंग कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए
CMD Shri Bhaskar Sen rings the BELL



विषय सूची • CONTENTS

• निदेशक मंडल Board of Directors	02-03
• महाप्रबंधकगण General Managers	04-05
• वित्तीय वर्ष 2009-10 की उपलब्धियाँ Milestones of Financial Year 2009-10	06-07
• निष्पादन की एक झलक Performance at a glance	08
• शेयरधारकों को संदेश Message to the Shareholders	09-11
• सूचना Notice	12-17
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	18-36
• कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट Corporate Governance Report	37-65
• लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49V के अनुसार प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to Clause 49v of the Listing Agreement	66
• कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate On Corporate Governance	67-68
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	70-71
• 31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र Balance Sheet as on 31st March 2010	72-73
• अनुसूची 1 - अनुसूची 12 Schedule 1 - Schedule 12	74-86
• 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2010	88-89
• अनुसूची 13 - अनुसूची 18 Schedule 13 - Schedule 18	90-122
• 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2010	123-124
• पिलर-3 के अंतर्गत नयी पूँजी पर्याप्तता ढाँचा प्रकटीकरण New Capital Adequacy Framework Disclosures Under Pillar-3	125-141




भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director



एस. एल. बंसल
कार्यपालक निदेशक
S. L. Bansal
Executive Director



संजीव कुमार जिंदल
निदेशक
Sanjeev Kumar Jindal
Director



तुलसीदास बंद्योपाध्याय
निदेशक
Tulsidas Bandyopadhyay
Director

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

: बिक्रमजीत शोम

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

: लिंक इन्टाइम प्रा. लि.
सी-13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड्स,
एल बी एस रोड, भंडुप (प), मुंबई - 400 078

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक

: मेसर्स सालारपुरिया जाजोडिया ऐंड कंपनी
मेसर्स महेश्वरी ऐंड कंपनी
मेसर्स जी. पी. अग्रवाल ऐंड कंपनी
मेसर्स एस. गांगुली ऐंड एसोसिएट्स
मेसर्स टंडन सेठ ऐंड कंपनी
मेसर्स एच. एस. रस्तगी ऐंड कंपनी

पंजीकृत कार्यालय का पता

: युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

BOARD OF DIRECTORS



डॉ. नयना शर्मा
निदेशक
Dr. Naina Sharma
Director



सुप्रित सरकार
निदेशक
Suprita Sarkar
Director



सौमित्र तलापात्र
निदेशक
Soumitra Talapatra
Director

Company Secretary & Compliance Officer	: Bikramjit Shom
Registrar & Share Transfer Agent	: Link Intime India Pvt. Ltd. C-13 Pannalal Silk Mills Compound L B S Road, Bhandup (W), Mumbai - 400078.
Statutory Central Auditors	: M/s. Salarpuria Jajodia & Co. M/s. Maheshwari & Associates M/s. G P Agrawal & Co. M/s. S Ganguli & Associates M/s. Tandon Seth & Co. M/s. H S Rustagi & Co.
Registered Office Address	: United Bank of India United Tower 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.



महाप्रबंधकगण



शंकर लाल घोषाल
Sankar Lal Ghosal



देबजीवन बसु
Debjiban Basu



ए. सी. अकुम
A.C. Akum



रंजन कुमार मोहन्ती
Ranjan Kumar Mohanty



अम्बरीश नन्दा
Ambarisha Nanda



कौस्तभ मनी सरकार
Kaustabh Mani Sarkar



राम देव यादव
Ram Deo Yadav

GENERAL MANAGERS



प्रनब कुमार राय
Pranab Kumar Roy



प्रदीप कुमार दत्ता
Pradip Kumar Dutta



प्रताप कुमार घोष
Pratap Kumar Ghosh



सिद्धार्थ महापात्र
Siddhartha Mahapatra



प्रबीर कुमार दत्ता
Prabir Kumar Dutta



समर सेनगुप्त
Samar Sengupta



एम शेखर
M. Sekhar



वित्तीय वर्ष 2009-10 की उपलब्धियाँ

- प्रथमबार कुल व्यवसाय रु. 1 लाख करोड़ पहुँच गया तथा उसमें क्रमशः वृद्धि हो रही है।
- सभी शाखाएँ सी बी एस के अंतर्गत लाई गईं।
- वर्ष के दौरान 83 नई शाखाएँ खोली गईं।
- बांग्लादेश, ढाका में बैंक का प्रथम वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया।
- रु. 50.00 करोड़ के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना (आई पी ओ) के साथ कार्य पूरा किया गया जिसका निवेशकों से बहुत ही अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के निष्पादन की झलकियाँ

- शुद्ध लाभ में 74.5% की वृद्धि हुई।
- परिचालन लाभ में 29% की वृद्धि हुई।
- शुद्ध ब्याज आय में 19.8% की वृद्धि हुई।
- गैर-ब्याज आय में 13.8% की वृद्धि हुई।
- अग्रिम में 19.7% की वृद्धि हुई।
- जमाराशि में 25% की वृद्धि हुई।
- पुँजी पर्याप्तता 12.80% : टीयर I 8.16%।
- औसत आस्तियों पर 0.45% प्राप्तियों में वृद्धि हुई (पिछले वर्ष 0.34%)
- ईक्विटी पर 12.26% प्राप्तियाँ (पिछले वर्ष 8.15%)
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर 22.4% की बढ़ोत्तरी हुई।
- एम एस एम ई अग्रिमों में 74.3% की वृद्धि हुई।
- प्रति शेयर बही मुल्य रु. 91.70 पर



Milestones of Financial Year 2009-10

- Total Business touched Rs. 1 lac crore for the first time and has been growing since then.
- All the Branches were brought under the CBS Platform.
- 83 New Branches were added during the year.
- Opened its first foreign Representative Office in Dhaka, Bangladesh.
- Completed Initial Public Offer of Rs.50 Crore which evoked very good response from the investors.

Performance Highlights of Financial Year 2009-10

- Net Profit up by 74.5%
- Operating Profit up by 29%
- Net Interest Income up by 19.8%
- Non-Interest Income up by 13.8%
- Advances up by 19.7%
- Deposits up by 25%
- Capital Adequacy at 12.80%; Tier I at 8.16%
- Return on Average Asset improved at 0.45% (Last Year 0.34%)
- Return on Equity at 12.26% (Last Year 8.15%)
- Advances to Priority Sector grew by 22.4%
- MSME Advances grew by 74.3%
- Book Value per share at Rs.91.70



निष्पादन की एक झलक Performance at a glance

मानदंड / Parameters	राशि रुपये करोड़ में Amount in Rs.Crores		
	2007-08	2008-09	2009-10
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	1401	1451	1534
पूँजी / Capital			
ईक्विटी / Equity	1532.43	1532.43	316.43
पि एन सी पी एस / PNCPS	-	250.00	550.00
प्रारक्षित एवं अधिशेष / Reserve & Surplus	1128.84	1295.33	3036.50
पूँजी पर्याप्तता / Capital Adequacy			
बेसल - I / Basel I	11.88%	11.51%	11.02%
बेसल - II / Basel II	11.24%	13.28%	12.80%
सकल लाभ / Gross Profit	467	677	876
शुद्ध लाभ / Net Profit	319	185	322
कुल जमा राशियाँ / Total Deposit	46971	54536	68180
औसत जमा / Average Deposit	39404	45654	62025
प्रतिशत में वृद्धि / Per Cent Increase	27%	16%	36%
सकल ऋण / Gross Advances	28152	35727	42756
औसत सकल ऋण / Average Gross Advances	23179	29040	38867
प्रतिशत में वृद्धि / Per cent Increase	26%	25%	34%
कुल व्यवसाय / Total Business	75123	90263	110936
प्रतिशत में वृद्धि / Per Cent Increase	28%	20%	23%
निवेश / Investments	18515	17924	26068
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम / Advances to Priority Sector	10022	11757	14396
शुद्ध ऋण/एएनबीसी का प्रतिशत / Per cent of Net Credit/ ANBC	44.26%	41.76%	40.29%
कुल कर्मचारी / Total Staff	16009	15111	15285
प्रतिकर्मचारी व्यवसाय / Business per Employee	4.63	5.85	7.14
सी बी एस शाखाओं की संख्या / Nos. of CBS Branches	379	1005	1534

शेयर धारकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयर धारकों,

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कार्यकारी परिणाम पर चर्चा करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है - युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में यह वर्ष हम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा।

इस वर्ष के आरंभ में हमने रू. 1 लाख करोड़ के व्यवसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, शाखा नेटवर्क को शत प्रतिशत सीबीएस के अंतर्गत लाया गया, बांग्लादेश में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया तथा निर्धारित समय के भीतर भव्य सफलता के साथ आई पी ओ जारी किया गया। मैं विनम्रतापूर्वक आपके अबाधित समर्थन एवं सहयोग हेतु आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्तवर्ष 2010-11 के दौरान भी आपका निरंतर सहयोग बैंक को प्राप्त होगा। वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक परिदृश्य के पुनरुद्धार के क्रम में आपका बैंक अगले लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मेहनत जारी रखेगा।

देखा जाए तो वर्ष 2009-10 के दौरान अधिकांश कार्यक्षेत्रों में बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक चयनित समूह के बीच से आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत केवल शत-प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त नहीं किया है अपितु सभी क्षेत्रों में परिचालन के आकार-प्रकार को विस्तृत करने के नए अवसर प्रदान करने में सहायता मिली है एवं उत्पादों के नवोन्मेषीकरण को प्रोत्साहन मिला है।

संदर्भाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की झलक इस बात में भी मिलती है कि शुद्ध ब्याज आय (एन आई आई) में सतत वृद्धि हुई है जिससे सिद्ध होता है कि ऋण अभिनियोजन एवं जमा संग्रहण के क्षेत्र में हमारा कोर बैंकिंग व्यवसाय उच्च लाभप्रदता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समस्त स्तरों पर किए गए निरंतर प्रयास से मार्च, 2008 से गैर-ब्याज आय (एन आई आई) में निरंतर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन लाभ में भी व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष वार वृद्धि के रूप में 29% की वृद्धि करते हुए यह रू. 876 करोड़ हो गया है।

इस तथ्य से मुझे बल मिला है कि आपके बैंक के लिए पूँजी अब कोई बाधा नहीं है। वर्ष 2009-10 के अंतिम तिमाही के दौरान बैंक को भारत सरकार की ओर से बेमियादी असंचयी अधिमान शेयर के अंशदान के रूप में रू. 300 करोड़ की पूँजी प्राप्त हुई है। वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक को रू. 250 करोड़ का अतिरिक्त



MESSAGE TO THE SHAREHOLDERS FROM THE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to share with you the working results of your Bank for the financial year ended March 31, 2010 – the year that was quite eventful for all of us in United Bank of India.

Earlier this year we crossed the milestone figure of Rs.1 lac crore business, brought all the branches under CBS platform, opened a representative office in Bangladesh and completed the IPO of the Bank in record time with a grand success. Let me, at the outset sincerely thank each one of you for your unstinted support and cooperation in our endeavor to show better performance. I am confident that during fiscal 2010-11 also, the Bank would be blessed with sustained support from your end. Your Bank will continue its efforts to take itself to the next level on the backdrop of reviving economic scenario globally and in the domestic market as well.

Glancing back: In the Year 2009-10 your Bank yielded a positive result in a number of functional areas. The cent per cent branch coverage under Core Banking Solution has not only registered your Bank among a select group of public sector banks, it has also helped to open up new windows of opportunities to expand our size and scale of operations across all segments and encourage product innovations.

Your Bank's performance during the year under reference is also highlighted by a sustained growth in the Net Interest Income (NII) – implying that our core banking business in the arena of credit deployment and deposit mobilization is steadily moving ahead to the region of higher profitability. Thanks to persistent efforts performed at all levels, your Bank could see consistent growth in NII since March'08. Largely driven by consistent growth in NII, the operating profit also exhibited a robust growth during this financial year. It stood at Rs 876 crore registering a Y-o-Y growth of about 29 per cent.

I am encouraged by the fact that now, for your Bank, capital is no more a constraint. During the last quarter of 2009-10, your Bank received capital support to the tune of Rs. 300 crore from the GOI by way of subscription to the Bank's perpetual non-cumulative preference shares. Your Bank is expected to receive additional



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

पूँजी समर्थन प्राप्त होने की आशा है तथा इससे पर्याप्त विकास होगा। 31 मार्च, 2010 को आपके बैंक का समग्र सीआरएआर बेसल II के अनुसार 12.80 प्रतिशत के साथ टियर I पूँजी 8.16 प्रतिशत है। यहाँ अतिरिक्त टियर II पूँजी में वृद्धि करने की जब कभी भी आवश्यकता हो तब उसके लिए पर्याप्त अवसर है।

आपकों सूचित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 83 शाखाएँ खोलते हुए 28 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में अब इसकी कुल 1534 शाखाएँ हो गई है। वर्ष के दौरान 57 ए टी एम को परिचालित करते हुए कुल ए टी एम की संख्या 283 हो गई है। नेशनल फाइनेन्सियल स्वीच के अंतर्गत देश के सभी हिस्से में 50000 से अधिक ए टी एम से आपके बैंक के ग्राहक जुड़ गए हैं। चालूवर्ष के दौरान बैंक के समक्ष और पचास शाखाएँ और बड़ी संख्या में ए टी एम खोलने की योजना है।

व्यवसाय पक्ष पर पुनः आपके बैंक ने एक प्रभावकारी 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 1,11,000 करोड़ का कुल व्यवसाय दर्ज किया जिसमें 25% जमाराशि की वृद्धि हुई जबकि अग्रिम में 20% की वृद्धि हुई। कासा के मद में कम लागत की घटकों में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल जमाराशि 38.1% हुई जो अपने आप में उद्योग में सबसे अधिक है। ऋण के क्षेत्र में पुनः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 22.4% वृद्धि हुई और यह रु. 14396 करोड़ हुआ। इस प्रकार समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ए एन बी सी) के 40% के मानदंड की जगहा 40.3 % दर्ज किया गया। कृषि ऋण में 21% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि एम एस एम ई खंड में 74% की वृद्धि दर्ज हुई और यह रु. 6457 करोड़ पर पहुँच गया।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीबीएस के शत-प्रतिशत उपलब्धि से प्रेरित होकर आपका बैंक अब ग्राहक केंद्रित व्यवसाय वातावरण पर जोर दे रहा है जिससे कि दीर्घावधि मूल्य आधारित बैंकिंग अनुभव विकसित किया जा सके।

इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा बैंक के ए टी एमों पर हिट्स की मात्रा में बढोत्तरी हेतु करते हुए वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम को आगे बढ़ाया गया। 31 मार्च, 2009 के 6.70 लाख डेबिट कार्ड में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए 31 मार्च, 2010 तक इसे 7.80 लाख हुआ। उत्तम प्रौद्योगिकी वातावरण ने भी पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को सुन्दर बनाया है एवं शीघ्र चेतावनी संकेत विशेषकर संभाव्य कठिन आस्ति कोष्ठक के अंतर्गत बैंक ऋण पोर्टफोलियो पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान आपके बैंक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एन पी ए प्रबंधन की थी जिसने वर्ष 2008-09 के वैश्विक मंदी प्रक्रिया के चलते उद्योगों, सेवा क्षेत्र एवं निर्यात के विविध स्तरों पर पूरे विश्व पर मंदी का प्रभाव छोड़ा था। फलस्वरूप सकल एन पी ए अनुपात में क्रमशः 3.2% और 1.84 % की वृद्धि हुई। गिरावट एवं अन्य

capital support of Rs. 250 crore during 2010-11 and with these there would be adequate growth. As on March 31, 2010 the overall CRAR of your Bank stood at 12.80 per cent as per BASEL II with Tier I capital at 8.16 per cent. There is still enough headroom for raising additional Tier II Capital as and when required.

I am happy to share with you that your Bank added as many as 83 branches during the year taking the total number of branches to 1534 spread across 28 states and 4 Union Territories. During the year 57 ATMs were operationalised taking the number of ATMs to 283. The customers of your Bank now have access to over 50000 ATMs that remain connected under the National Financial Switch all across the country. The Bank plans to add another fifty branches and large number of ATMs during the current year.

On the business front, again, your Bank registered an impressive growth close to 23 per cent to touch a total business figure of around Rs. 1,11,000 crore wherein the deposits grew by around 25 per cent while the advances went up by about 20 per cent. The CASA section, the least cost component, grew by about 26 per cent and stood at 38.1 per cent of total deposit, which by itself is also one of the highest in the industry. In the arena of credit, again, lending to priority sector grew by 22.4 per cent to touch Rs. 14396 crore and thus accounting for 40.3 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the 40 per cent norm. Agricultural credit registered a growth of 21 per cent, while loans to MSME segment zoomed by over 74 per cent to reach Rs. 6457 crore.

In the technology front, propelled by the achievement of cent per cent CBS, your Bank is now focusing on building customer centric banking business environment that could foster long-lasting value-added-banking experience.

Alternative Delivery Channels were given a push, to encourage usage of Internet Banking and improve upon the quantum of hits at the Bank's ATMs. Debit Card count has also significantly geared up from a base of 6.70 lac cards as on March 31, 2009 to 7.80 lac as on March 31, 2010. Better technological environment also enabled betterment of the processes of supervision and control over Bank's loan portfolio by way of analysing early warning signals, especially under potentially stressed assets bracket.

NPA Management was one of the biggest challenges for your Bank during 2009-10, triggered, among others, by the slowdown of 2008-09 emerging out of global recessionary trends that affected industries, services



प्रावधानों ने परिचालन लाभ में संतुलित लाभ के होने पर भी बैंक की निम्नतम रेखा तक प्रभाव डाला। इस वर्ष रू. 980 करोड़ की गिरावट थी जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% अधिक थी। इस संबंध में आपका बैंक ऋण बही की स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है।

वर्ष के दौरान आपके बैंक के कार्यकर्ताओं ने नई योजनाओं को लागू करते हुए इसके व्यवसाय एवं छवि निर्माण के कार्यकलापों के लिए कठिन परिश्रम किया। आपके बैंक ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देश के तहत 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं के नामांकन के प्रोत्साहन हेतु “माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना” के नाम से एक नई जमा योजना लागू की है। इसके अतिरिक्त निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए व्यापक गृह ऋण वित्तपोषण करने के निमित्त आपके बैंक ने गृह ऋण समूह के लिए व्यवस्था की है, जो भारत की निजी क्षेत्र की एक बड़ी गृह ऋण वित्तपोषण कंपनी है।

आपका बैंक अब चालू वित्त वर्ष के लिए और अधिक उत्तम एवं ठोस निष्पादन के लिए तत्पर है। कासा, रिटेल सेगमेंट्स, कृषि ऋण, गैर-ब्याज एवं शुल्क आय में पर्याप्त सुधार, एस एम ई सेगमेंट एवं सक्रिय एन पी ए प्रबंधन में सुधार का प्रयास जारी रहेगा। बैंक वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यमों के अंतर्गत कई पहलों की योजना बना रहा है तथा अन्य आई टी संबंधित क्षेत्र जैसे मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल, ई-टिकट तथा और भी अनेक क्षेत्रों में प्रयास कर रहा है।

अंत में, सभी बैंकों द्वारा भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना में पर्याप्त सहभागिता को प्रमुखता दे रहे हैं। आपका बैंक भी अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत तथा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में एसएलबीसी के संयोजक के रूप में इस क्षेत्र में प्रमुखता से योगदान दे रहा है।

मुझे विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग एवं संरक्षण से आपका बैंक इन लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

शुभकामनाओं के साथ,

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

and exports to various extents across the globe. As a result, Gross NPA ratio and Net NPA ratio rose to 3.21 per cent and 1.84 per cent, respectively. Slippage and other provisions did impact the Bank's bottom line, notwithstanding robust growth in the operating profits. This year there was a slippage of Rs.980 crore, about 21 per cent more than the previous year. Your Bank is constantly monitoring the loan book position in this regard.

During the year, your Bank functionaries toiled hard to tone up its business and image-building activities by introduction of new schemes as well. Your Bank launched a new deposit scheme “National Scheme for Incentives to Girls for Secondary Education” under the guidance of Department of School, Education & Literacy, Govt. of India, to promote enrolment of the girl children in the age group of 14-18 years. Again, in order to cater greater home loan financing to the Low Income group and economically weaker sections of society, your Bank had put in place an arrangement for Housing loan syndication.

Your Bank is now bracing up to achieve better & sustainable performance during the current year. The focus continues to be on the CASA & Retail segments, Agricultural lending, substantial improvement on non-interest and fee income, SME segment and active NPA Management. The Bank is also planning to take several initiatives under Alternative Delivery Channels and in other IT-related areas like Mobile Banking, Online Trading Portal, e-ticketing and many more.

Lastly, there has been a major thrust on the part of all the Banks to contribute substantially to the ongoing Financial Inclusion Project of the Government. Your Bank continues to be one of the major contributors to the cause through its activities under the Lead Bank Scheme and as the convener of SLBC in the states of West Bengal & Tripura.

I am confident that with your continued support and patronage, your Bank shall be able to achieve its goals and all that it is aspiring for.

With best wishes,

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय - युनाइटेड टावर, 11, हेमंत बसु सरण। कोलकाता - 700 001
Head Office - United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

सूचना दी जाती है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की पहली वार्षिक आम सभा 9 जुलाई, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जी. डी. बिड़ला सभागार, 29 आशुतोष चौधुरी एवेन्यू, कोलकाता - 700019 में होगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के बैंक के तुलन-पत्र, लाभहानि खाता, लेखा के जरिए प्रदर्शित बैंक के कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र और लेखा-परिक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, उसका अनुमोदन और उसे अंगीकार करना ।
2. ईक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश को घोषणा करना ।
3. बैंक के टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पूंजी की उगाही, प्रतिभूति रहित अधीनस्थ अपरिवर्तनीय नवोन्मेषकारी सतत् ऋण लिखन (आई पी डी आई) जारी करके और टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पूंजी की उगाही प्रतिभूति रहित अधीनस्थ प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड प्रोनोट के रूप में जारी करते हुए करना ।

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 के प्रावधानों के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों, सेबी के मार्ग निर्देशों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदनों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागार, एवं जैसा उपयुक्त प्रतीत हो, उसे जारी करते समय निदेशक मंडल के विचार में उपयुक्त लगे - बैंक के निदेशक मंडल को यह सहमति दी जाती है कि व जरूरत के अनुसार समय समय पर या एक ही बार में किसी खास समय पर टियर I पूंजी में शामिल करने हेतु 350 करोड़ रूपए तक की पूंजी की उगाही प्रतिभूति रहित अधीनस्थ अपरिवर्तनीय नवोन्मेषकारी सतत् ऋण लिखा (आई पी डी आई) जारी करके और टियर II पूंजी में शामिल करने हेतु 250 करोड़ रूपए तक की पूंजी उगाही प्रतिभूति रहित अधीनस्थ प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड प्रोनोट के रूप में करके कर ले और हामीदारी विकल्प के साथ या उसके बिना भी कर लें ।

यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी ढंग से कार्यकर किए जाने हेतु निदेशक मंडल ऐसी सभी कार्यवाहियों के लिए, कामों के लिए या चीजों के लिए बैंक के उपयुक्त प्राधिकारियों को प्राधिकृत करे । इसके अंतर्गत प्राधिकार का प्रत्यायोजन या उप प्रत्यायोजन, बैंक के उपयुक्त प्राधिकारी को विवेकाधिकार के तहत हस्ताक्षर कराना भी शामिल हैं । तदनुसृत निदेशक मंडल यह प्राधिकृत करता है ।

कोलकाता
तारीख 31 मई, 2010

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/0
विक्रमजीत सोम
कम्पनी सेक्रेटरी

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the first Annual General Meeting of the shareholders of United Bank of India will be held on Friday, the 9th of July, 2010 at 11.00 A.M at G. D. Birla Shabhabghar, 29, Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata – 700019 to transact the following business:-

1. “To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor’s Report on the Balance Sheet and Accounts.”
2. To Declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2009-10.
3. To raise Capital by issue of unsecured subordinated non-convertible Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) for inclusion in Tier I Capital and unsecured subordinated redeemable non-convertible bond (Tier II Bonds) in the form of Promissory Note for inclusion in Tier II Capital of the Bank.

“RESOLVED THAT, subject to the provisions of Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts 1970/80, extant Reserve Bank of India Guidelines, SEBI guidelines, approvals of Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges, Depositories and such other authorities as may be deemed appropriate and subject to such terms and conditions as may be considered suitable at the time of issuance by the Board of Directors, consent be and is hereby accorded to the Board of the Bank for issuance from time to time or at one shot depending on the need at a particular point of time, unsecured subordinated non-convertible Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) for inclusion in Tier I Capital and unsecured subordinated redeemable non-convertible bond (Tier II Bonds) in the form of Promissory Note for inclusion in Tier II Capital of the Bank up to Rs.350 crore and Rs.250 crore with or without green-shoe option respectively.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds or things including delegation or sub-delegation of authorities hereby given including signing authorities to appropriate officers of the Bank as per its discretion to effectively execute this resolution.”

By order of the Board

Place : Kolkata
Date : May 31st, 2010

Bikramjit Shom
Company Secretary



तात्विक तथ्यों से व्याख्यात्मक विवरण तय कराना (नोटिस की मद सं-3)

मद सं. 3

व्यवसाय पूर्वानुमान एवं निर्धारण पूँजी आवश्यकता के आधार पर पूँजी योजना बनाई गई है। बैंक ने 2010-11 में 31.06 % अग्रिम खाता में वृद्धि एवं 18.12 % के लगभग जमा खाता में वृद्धि के साथ 22.72% का एक संभावित व्यवसाय वृद्धि का लक्ष्य रखा। तथापि 'विक्रय के लिए उपलब्ध' एवं व्यवसाय ऋण हेतु धारित के अंतर्गत निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि एवं बाजार जोखिम बढ़ने के साथ पूँजी की माँग में वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 से बैंक के सी आर ए आर में भारत सरकार द्वारा बाहरी पूँजी प्रदान करने के वर्ष को छोड़ कर क्रमशः हास हुआ है। 31 मार्च 2010 को बैंक का सी आर ए आर 12.80 % था जो प्रबंधन द्वारा समझे गए अपेक्षित व्यवसाय वृद्धि के अनुरूप नहीं था।

भारत सरकार द्वारा पूँजी समर्थन, हाल ही में समाप्त रु. 325 करोड़ के इक्विटी शेयर का आईपीओ तथा बैंक के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि आयपीडीआय एवं टीयर-II बांड बैंक के लिए सर्वोत्तम विकल्प होंगे।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए टीयर - I पूँजी आवश्यकता के रु. में रु. 540 करोड़ निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. 250 करोड़ की अपेक्षा है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसार टीयर -I पूँजी के रूप में बैंक द्वारा आई पी डी आई की अधिकतम राशि उगाही के लिए रु. 513 करोड़ निर्धारित किया गया है ताकि बैंक आई पी डी आई निर्गम के माध्यम से समस्त अतिरिक्त टीयर-I पूँजी की वृद्धि कर सके।

2009-10 की समाप्ति पर बैंक की टीयर-II पूँजी रु. 1945 करोड़ थी जिसका न्यूनतम टीयर-II पूँजी रु. 950 करोड़ थी। वर्तमान में बैंक के पास न्यूनतम टीयर -II पूँजी के रूप में रु. 760 करोड़ है। इस पर विचार करते हुए कि न्यूनतम टीयर-II बांड अधिक लागत का विकल्प है, बैंक ने न्यूनतम टीयर-II बांडों के निर्गम के माध्यम से इस श्रेणी के अंतर्गत रु. 160 करोड़ की समस्त कमी को वर्धित करना प्रस्तावित किया है।

बैंक के निदेशक मंडल की 29 मई, 2010 को हुई बैठक में विचाराधीन विषय को प्रस्तुत किया गया तथा इसे अनुमोदित किया गया।

टिप्पण :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

एक शेयर धारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं उसकी / उसके स्थान पर उपस्थित होने एवं मत देने के लिए एक प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का भी उसे हक है, तथा ऐसे प्रतिनिधि को

Explanatory Statement setting out the material facts (Item No.3 of the Notice)

Item No.3

Capital planning exercise is being undertaken on the basis of the business forecasts and assessed capital requirement. In 2010-11 the Bank envisages a higher growth. Moreover, the requirement of capital has gone up with increase in market risk associated with increase of Investment portfolio and its duration under the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories. Since 2005-06 the Bank's CRAR has been declining gradually except in the years when external capital infusion by the Government of India has happened. As on March 31, 2010 the Bank's CRAR was 12.80 per cent, which may not be adequate in relation to the expected business growth.

Considering the capital support by Govt. of India, recently concluded Initial Public Offer of Equity Shares of Rs.325 crore and various other options available to Banks, it is felt that the most suitable alternatives for the Bank will be IPDI and Tier II Bonds.

The Bank's Tier I Capital requirement for FY2010-11 has been assessed at Rs.540 crore, of which Rs.250 crore is expected from Government during the year. As per the extant RBI guidelines, the maximum amount of IPDI that the Bank can raise to be considered as a part of Tier I capital, works out to Rs.513 crore. So the Bank may raise its entire additional Tier I Capital through issuance of IPDI.

At the end of 2009-10 the Bank's Tier II capital stood at Rs. 1945 crore of which lower tier II capital was Rs.950 crore. Currently, the Bank has headroom for lower tier II capital to the tune of Rs.760 crore. Considering that the lower tier II bonds being most cost-effective option the Bank proposed to raise the entire shortfall of Rs.160 crore under this category through issuance of lower Tier II Bonds.

The matter under discussion was placed before the Board of Directors of the Bank at their meeting held on May 29, 2010 and approved.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK



बैंक के शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी प्रतिनिधि फार्म बैंक के शेयर विभाग तथा निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001 को बैठक की तारीख से चार दिनों के भीतर अर्थात् 05 जुलाई, 2010 सोमवार को कार्य समय की समाप्ति पर अथवा पहले अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयरों एवं बैठकों) विनियमन, 2010 के विनियमन 62 के प्रावधानों के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं।

2. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति एक कंपनी अथवा किसी अन्य कंपनी निकाय का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में जो बैंक का शेयर धारक है, बैंक में उपस्थित होने अथवा वोट देने का हकदार नहीं होगा, बशर्ते कि उस बैठक में पारित संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके / उसकी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001 को बैठक की तारीख से चार दिनों के भीतर अर्थात् 05 जुलाई, 2010 सोमवार को कार्य समय की समाप्ति पर अथवा पहले अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयरों एवं बैठकों) विनियमन, 2010 के विनियमन 62 के प्रावधानों के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयर धारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयर धारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रतिनिधि' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी स्थिति हो वर्णन किया जाना चाहिए।

4. (क) शेयरधारकों का रजिस्टर का बंद होना

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग अग्रिमेंट के खंड 16 के प्रावधानों एवं युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयरों एवं बैठकों) विनियमन, 2010 के विनियमन 12 के प्रावधानों के अनुसरण में शुक्रवार, 25 जून, 2010 से शुक्रवार, 09 जुलाई, 2010 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर तथा अंतरण बही वार्षिक आम सभा एवं बैंक द्वारा घोषित शेयर धारकों को प्राप्त होने वाले लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMANTA BASU SARANI, KOLKATA - 700001 NOT LATER THAN FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS OF Monday, the 5th of July, 2010. PLEASE NOTE THAT ANY EMPLOYEE OR OFFICER OF UNITED BANK OF INDIA CANNOT BE APPOINTED AS PROXY AS PER PROVISIONS OF REGULATION 62 UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2010.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed had been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department & Investors Grievance Cell, United Bank of India, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of Meeting i.e. on or before the closing business hours of Monday, the 5th of July, 2010. Please note that an employee or officer of United Bank of India cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Regulation 62 of United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum entry-pass is annexed to the Annual Report. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures on the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4.(A) CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provision of Clause 16 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain close from Friday, 25th June, 2010 to Friday 9th July, 2010 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.



5. लाभांश के भुगतान

यदि शेयर धारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में लाभांश के भुगतान की घोषणा की जाती है तो जिन शेयर धारकों का नाम निम्नलिखित रूप में प्रकट होगा उन्हें भुगतान किया जाएगा :

- (क) बृहस्पतिवार, 24 जून, 2010 को कार्य समय की समाप्ति पर एक हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फार्म में एन एस डी एल / सी डी एस एल द्वारा प्रस्तुत किए गए सूची के अनुसार, तथा
- (ख) बृहस्पतिवार, 24 जून, 2010 को शेयर धारकों के रजिस्टर में शेयर धारकों द्वारा वस्तुपरक रूप में धारित शेयरों के संबंध में 24 जून, 2010 को व्यवसाय समय की समाप्ति के पूर्ववैध अंतरण को प्रभावी करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

बैंक द्वारा पंजीकार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लि. के माध्यम से लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे शेयर धारकों को उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट भेज दिए जाएंगे।

6. अप्रदत्त / दावारहित लाभांश

घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर जाने पर 7 दिनों के भीतर यदि कोई शेयर धारक लाभांश नहीं भुनाया हो अथवा दावा नहीं किया हो तो बैंक के लाभांश खाता में पड़ी ऐसी राशि को एक अलग खाता 'युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अप्रदत्त लाभांश खाता' में अंतरित कर दिया जाएगा।

7. लाभांश के लिए बैंक अधिपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएँ (ई सी एस) :

7.1 वारंटों के धोखे से भूनाए जाने से निवेशकों को बचाने की दृष्टि से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी भी बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की जाए वे अपना बैंक खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक एवं शाखा का नाम जहाँ वे अपना लाभांश वारंट भुनाने हेतु जमा कराना चाहते हों, प्रस्तुत करें। इन विवरणियों को शेयर धारकों के नाम के बगल में लाभांश वारंट के चेक हिस्से पर मुद्रित किया जाएगा ताकि इन वारंटों को शेयर धारकों को छोड़ कर कोई दूसरा आदमी नकदीकरण न कर सके।

उपरोक्त वर्णित विवरणों को प्रथम / मूल धारक द्वारा फोलियों संख्या / डिमैट विवरण, रखे गए शेयरों की संख्या, होल्डिंग आदि के विवरण सहित सीधे शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.2 विनिर्दिष्ट शहरों में निवास करनेवाले शेयर धारकों के लिए बैंक ई सी एस सुविधा प्रदान कर रहा है।

प्राप्त होनेवाले लाभांशों को जमा करने संबंधी बैंक द्वारा जब कभी भी लाभांशों की घोषणा की जाए शेयर धारक बैंक के अधिपत्र प्रणाली के बदले इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear:

- a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Thursday, 24th June 2010, as per lists to be furnished by NSDL/CDSL/ in respect of the Shares in electronic form, and
- b) in the Register of shareholders as on Thursday, 24th June 2010 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours as on 24th June, 2010.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz. Link Intime India Pvt. Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered address.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed or claimed the dividend, such amount lying in the Bank's Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled as "United Bank of India – Unpaid Dividend Account for the financial year 2009-10"

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS)

7.1 In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are requested to furnish their Bank Account Number (Current/Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agent, quoting the folio number/ demat details, number of Shares held, details of the holdings etc,

7.2 The Bank is offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. The shareholders instead of Bank mandate system for receiving the credit of dividends, whenever the Bank declares dividend can also use this facility.



8. तुलन पत्र की प्रतियाँ

शेयर धारकों को सुझाव दिया जाता है कि वार्षिक आम सभा बैठक स्थल पर वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएँगी तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ शेयर धारकों के पंजीकृत पते पर भेज दी जाएगी।

9. पता परिवर्तन अधिसूचित कराना :

शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपना पता एवं बैंक खाता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित को दें :-

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में संबंधित निक्षेपागार सहभागी को :
- वस्तु परक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में संबंधित शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. (यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया), सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, एल बी एस मार्ग, भांडुप, मुंबई - 400 078

10. स्थिति के परिवर्तन का रिकार्डिंग

अनिवासी शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. को तत्काल सूचित करें :

- स्थाई निपटारा हेतु भारत में लौटने पर इनके आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
- यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो पूरा नाम, शाखा, खाता के प्रकार, खाता संख्या, एम आई सी आर कोड, आई एफ एस सी कोड एवं पिन नम्बर के साथ भारत में खोले गए बैंक खाता के विवरण।

11. अमूर्तरूप (डिमैट) में बैंक के शेयरों का आवश्यक व्यापार

हमारे बैंक का शेयर केवल अमूर्तरूप में स्टॉक एक्सचेंज पर आर्बिटिज एवं आवश्यक व्यापार हेतु उपलब्ध है।

हमारा बैंक नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अमूर्तन हेतु निर्गमन कंपनी के रूप में करार किया है।

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. को अमूर्तन हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

12. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नलिखित है :

- 10 मार्च, 2010 को आवंटन हेतु कंपनी - 118542 कार्रवाई की तारीख को बकाया/अदावी शेयर
- 10 मार्च, 2010 तक हिताधिकारियों को - 50500 हस्तांतरित शेयर

8. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which shall be mailed to their Registered Addresses.

9. NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

- Respective Depository Participants in respect of shares held in electronic forms;
- The Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. (Unit: United Bank of India), C-13 Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup, Mumbai – 400078 in respect of shares held in physical form.

10. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. immediately –

- Change in their Residential Status on return to India for permanent settlement.
- Particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFSC code, address of the Bank with PIN if not submitted earlier.

11. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM

Our Bank's shares have been allotted and compulsorily getting traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Pvt. Ltd.

12. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

- Shares outstanding/unclaimed as - 118542 on March 10, 2010 being the date of corporate action for allotment
- Shares transferred to Beneficiary - 50500 till March 31, 2010



iii) 10 मार्च, 2010 को बकाया / अदावी - 68042 शेयर

उचित स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार निश्चल रहेगा।

13. शेयर धारकों की शंकाएँ

यह प्रसन्नता की बात होगी यदि शेयर धारक अपनी शंकाएँ प्रर्याप्त रूप में, यदि कोई हो, तो बैंक के समक्ष अग्रिम रूप से प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक को प्रभावी ढंग से उत्तर देने में सुविधा हो। शंकाएँ कंपनी सेक्रेटरी, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001 को भेजी जा सकती है या investors@unitedbank.co.in को ई-मेल किया जा सकता है।

14. निवेशक शिकायत कक्ष

शेयर धारकों को तुरंत एवं प्रभावी ढंग से सेवाएँ प्रदान करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया है।

15. मताधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयर धारक बैंक के समस्त शेयर धारकों के कुल मताधिकार का 1% से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का हकदार नहीं होगा।

16. अन्य सूचना

शेयर धारक कृपया नोट कर लें कि बैठक के दौरान कोई भी उपहार/कूपन वितारित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/0

दिनांक: 31 मई, 2010
स्थान: कोलकाता

विक्रमजीत सोम
कम्पनी सेक्रेटरी

iii) Shares outstanding/unclaimed as - 68042 on March 31, 2010

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till the claim by the rightful owner.

13. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the Company Secretary, Share Department & Investors Grievance Cell, United Bank of India, Head Office, 11, Hementa Basu Sarani, Kolkata 700001 or emailed to investors@unitedbank.co.in

14. INVESTOR GRIEVANCES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, United Bank of India has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata.

15. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 1% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

16. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board

sd/-

Dated: May 31st, 2010
Place: Kolkata

Bikramjit Shom
Company Secretary



निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की 60 वी वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके साथ वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त अवधि की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1.1 घरेलू आर्थिक परिदृश्य :

वित्तीय वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती भरा वर्ष रहा है। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है जबकि पिछले तीन वर्षों से वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण औसतन 9% से गिरकर वर्ष 2008-09 में विकास दर 6.7% था। वर्ष 2009-10 के दौरान सभी स्तरों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु ध्यान दिया गया तथा इसे शीघ्र ही पटरी पर लाया गया। तुरंत वित्तीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों, प्रगतिमुखी वैदेशिक माँग तथा वर्धित पूँजी प्रवाह ने वर्ष 2009-10 में सरकार के प्राक्कला के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% का सुधार हुआ। यद्यपि विदेशी माँग की वृद्धि में थोड़ा समय लगा, मजबूत घरेलू उपयोग एवं बढ़ता हुआ निवेश ने अर्थव्यवस्था को प्रगति के पर रखा। कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलापों में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद मजबूत औद्योगिक वसूली, महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्र, सेवाएँ कार्यकलापों में वृद्धि तथा केंद्रीय सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तुफान आया।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान 6.7% की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 7.2% की वृद्धि दर्ज की। अतः वर्ष 2009-10 के प्रथम तिमाही के दौरान जीडीपी में वृद्धि देखा गया वह मुख्यतः महत्वपूर्ण औद्योगिक निष्पादन एवं सेवा कार्यकलापों में वित्तीय व्यय के चलते दूसरी तिमाही में भी बना रहा। 2009-10 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि 6% रहा जो कि पिछले वर्ष 2008-09 के दौरान 6.2% था। पिछले वर्ष 2008-09 की 7.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाही में जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई। चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में महत्वपूर्ण 8.4% की वृद्धि हुई।

क्षेत्रवार वृद्धि

यह प्राक्कलित किया गया है कि वर्ष 2009-10 के दौरान रबी खाद्यान्न का उत्पादन 117.5 मिलियन टन तक पहुँचेगा। विगत चार वर्षों से उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। किंतु 2009-10 में प्राक्कलित रबी खाद्यान्न के उच्च उत्पादन की तुलना में खरीफ़ के उत्पादन का प्राक्कलन 19% अर्थात् 95.7 टन किया गया है। वर्ष 2009 में वर्षा में कमी के कारण दक्षिणी पश्चिमी मौसम ने क्षेत्रफल के

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 60th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2010 (FY – 2009-10).

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

The fiscal year 2009-10 was a challenging year for the Indian economy. In this year Indian economy has improved considerably since global recession brought down growth to 6.7% in 2008-09 from an average of over 9% in the preceding three years. All attention was focused on reviving the Indian economy during the FY 2009-10 and putting it back on track at the earliest. Though overseas demand will take some more time to revive, robust domestic consumption and rising investment placed the economy firmly on the growth trajectory. Despite a negative growth in the agriculture and allied activities, strong industrial recovery, higher growth in the core infrastructure sector, growth in services activities and increased net direct tax collections of the Central Government facilitated the economy to rebound.

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

The Indian economy recorded a growth of 7.2% during 2009-10, a rise from 6.7 per cent during 2008-09 as estimated by Central Statistical Organisation (CSO). Thus the turnaround in GDP growth witnessed during the first quarter of 2009-10 was sustained during the second quarter, spurred by robust revival in industrial performance and fiscal expenditure driven services activities. During Q3 of 2009-10 GDP growth was 6% against 6.2% in the corresponding period of 2008-09. In the first three quarter of the fiscal, real GDP grew by 6.7 per cent as compared to 7.1 per cent in the corresponding period of 2008-09. In the fourth quarter the real GDP is estimated to have grown by an impressive 8.4 per cent.

SECTORAL GROWTH

It is estimated that rabi food grain production will touch a record high of 117.5 million tonnes in 2009-10. Production has been rising consistently for the past four years. But against the all-time high rabi food grain crop estimated in 2009-10, Kharif production is estimated to plummet by 19 per cent to 95.7 million tonnes. High rainfall deficit in the 2009 south west



साथ-साथ पैदावार को भी प्रभावित किया। फलस्वरूप वर्ष 2008-09 के सर्वसमय उच्च 234.5 मिलियन टन से वर्ष 2009-10 में प्राक्कलित खाद्यान्न उत्पादन 212 मिलियन टन होने की संभावना है। वर्ष 2009-10 में गैर-खाद्यान्न उत्पादन में 5.9 गिरावट का अनुमान है।

वैश्विक मंदी के प्रभाव के चलते पिछले वर्ष 8.5% की वृद्धि से वर्ष 2008-09 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) आधारित औद्योगिक वृद्धि घट कर 2.4% रहा। चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक उत्पादन न एक सकारात्मक रूख दर्शाया तथा अगस्त से लगातार तीन महीना में बढ़ कर 9% हुआ एवं नवम्बर 2009 में मजबूत हो कर 11.7% हुआ। दिसंबर, 2009 में, औद्योगिक उत्पादन 15 वर्षों का रिकार्ड तोड़ते हुए अप्रैल, 1995 के बाद 17.6% पहुँच गया। औद्योगिक कार्यक्रमलाप में निरंतरता बनी हुई है जिसने जनवरी, 2010 में 16.7% तथा फरवरी, 2010 में 15.1% की रिकार्ड वृद्धि हुई। वसूली में भी 17 में से 14 औद्योगिक समूह से व्यापक स्तर पर अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 तक वृद्धि हुई। पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में सितम्बर, 2009 से तीव्र वृद्धि से निवेश क्रियाकलापों में दुगुनी प्रगति हुई है।

मुद्रास्फीति

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के विकास की स्थिति चिंतनीय रही। वार्षिक मुद्रास्फीति दर जून से अगस्त, 2009 तक लगातार तीन महीना उप-शून्य स्तर पर रहा 29 अगस्त, 2009 की तेरहवीं अनुवर्ती सप्ताह में (-) 0.12% तक गिरा। 05 सितम्बर, 2009 को समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति 0.12% पर सकारात्मक स्थिति पर लौट आई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2010 के लिए निर्धारित तीसरी तिमाही की समीक्षा में प्रायोजित आधाररेखा 8.5% से बढ़ कर थोक बाजार सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर, 2009 में 0.5% से बढ़ कर मार्च, 2010 में 9.9% हो गया। वर्ष-दर-वर्ष गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादनों (वजन : 52.2%) की मुद्रास्फीति जो नवम्बर, 2009 में (-) 0.4% था वह दिसंबर, 2009 में सामान्य सकारात्मक रूप में बढ़ कर 0.7% हुआ तथा जनवरी, 2010 में बढ़ कर 3.3% हुआ और मार्च, 2010 में 4.7% हुआ। वर्ष-दर-वर्ष इंधन मूल्य मुद्रास्फीति भी 2009 में (-) 0.7% से बढ़ कर दिसंबर, 2009 में 5.9% जनवरी 2010 में 8.1% और आगे मार्च, 2010 में 12.7% रहा। मौसमी सूधार के बावजूद खाद्यमूल्य मुद्रास्फीति दर में वृद्धि यथावत रही। थोक मूल्य सूचकांक मद्रास्फीति केवल आपूर्ति पक्ष से ही प्रभावित नहीं रहा। गैर-खाद्य मयों का समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो 2009 में (-10.4%) नकारात्मक रहा वह मार्च, 2010 में बढ़ कर 53.03% रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी-फरवरी, 2010 में 14.9% से 16.9% के दायरे में रहा। अतः उच्च मुद्रास्फीति मूल्य से आरंभ हो कर व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए यह धीरे धीरे अत्यधिक फैलाव ले ली।

season hit acreage as well as yield. As a result, total food grain output is estimated to dip to 212 million tonnes in 2009-10, from all time high 234.5 million tonnes in 2008-09. Non-food grain output is estimated to decline by 5.9 per cent in 2009-10.

Reeling under the impact of global meltdown, industrial growth based on Index of Industrial Production (IIP) decelerated to 2.4% during 2008-09 from 8.5% growth during the previous year. In the financial year 09-10, industrial output showed a positive turn and has topped 9% for three consecutive months since August and grew a strong 11.7% in November. Growth of Industrial output has touched a 15 year high at 17.6% in December 2009, the fastest pace after April 1995. The uptrend in Industrial activity continues and recorded a growth of 16.7% in January 2010 and 15.1% in February 2010. The recovery has also become more broad-based with 14 out of 17 industry groups recording accelerated growth during April 2009-February 2010. The sharp pick-up in the growth of the capital goods sector, in double digits since September 2009, points to the revival of investment activity.

INFLATION:

The developments on the inflation front remained worrisome during the year. The annual rate of inflation, which had been moving in the sub-zero level for consecutive three months, June to August 2009, fell to (-) 0.12% for the thirteenth successive week at August 29, 2009. At the week ended September 5, 2009, the inflation reversed back to positive zone at 0.12%. Wholesale price index-based inflation accelerated from 0.5% in September, 2009 to 9.9% in March, 2010, exceeding the Reserve Bank's baseline projection of 8.5% for March 2010 set out in the Third Quarter Review. Year-on-year WPI non-food manufactured products (weight; 52.2%) inflation, which was (-) 0.4% in November, 2009, turned marginally positive to 0.7% in December, 2009 and rose sharply thereafter to 3.3% in January, 2010 and further to 4.7% in March, 2010. Year-on-year fuel price inflation also surged from (-) 0.7% in November, 2009 to 5.9% in December, 2009, to 8.1% in January, 2010 and further to 12.7% in March, 2010. Despite seasonal moderation, food price inflation remained elevated. WPI inflation was not driven by supply side factors alone. The contribution of non-food items to overall WPI inflation, which was negative at (-) 0.4% in 2009 rose sharply to 53.3% by March 2010. Consumer price index (CPI) based measures of inflation were in the range of 14.9- 16.9% in January/ February 2010. Thus high inflation, originated from food prices, had started spreading to the broader economy and gradually became more generalized.



मुद्रा की आपूर्ति

वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा की आपूर्ति में वर्ष-दर-वर्ष (एम 3) में 20.0% तक वित्तीय वर्ष से आरंभ हो कर फरवरी, 2010 में 16.4% एवं मार्च, 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक के सूचनात्मक प्रक्षेपण 16.5% से थोड़ा अधिक 16.8% रहा जो 2009-10 के दौरान बैंक ऋण में न्हास को दर्शाता है। 16% के सूचनात्मक प्रक्षेपण की तुलना में गैर-खाद्य ऋण में 16.9% की वृद्धि से स्पष्ट है कि यह पिछले वर्ष के 22% वृद्धि से निश्चित रूप से कम है।

बैंकिंग एवं ब्याज दरें

2009-10 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि में 17.0% की वृद्धि हुई और यह 44,86,576 करोड़ रूपए हो गई। पिछले वर्ष य वृद्धि 19.9% हुई थी। 26 मार्च 2010 तक कुल बैंक ऋण में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई और यह 16.7% की दर से कुल 32,40,399 करोड़ रूपए रही जबकि 2008-09 में वृद्धि की यह दर 17.5% थी ऋण और सकल जमा में कमतर विस्तार के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 26 मार्च 2010 तक 72.2% रहा जो पिछले वर्ष लगभग समान अर्थात् 73.4% था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-खाद्य ऋण का विस्तार 16.9% हुआ और 26 मार्च 2010 तक यह 31,91,910 करोड़ रूपए हो गया जबकि पिछले वर्ष यह विस्तार 17.8% था।

समीक्षा के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 अप्रैल 2009 से मौद्रिक उपाय के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का 25 आधार बिन्दु कम करते हुए रेपो रेट को 4.75% और रिवर्स रेपो रेट को 3.25% कर दिया जबकि नकद आरक्षित अनुपात को यथावत् 5.00% ही रहने दिया। तथापि 2009-10 की चौथी तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को सख्त बनाते हुए दो चरणों में इसे 75 आधारबिन्दु बढ़ाते हुए 5.75% कर दिया। (प्रथम चरण में 13.02.2010 से इसे 50 आधार बिन्दु बढ़ाया गया और द्वितीय चरण में 25 बीपीएस जो 27.02.2010 से प्रभावी है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भी 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर क्रमशः 5% और 3.50% कर दिया गया जो 19.03.2010 से प्रभावी है।

1.2 वाह्य क्षेत्र

अक्टूबर 2009 से निर्यात में वृद्धि हुई और निरपेक्षतः यह 14.1 से 14.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। फरवरी 2010 में इसमें काफी वृद्धि हुई और यह 16 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो संकट-पूर्व निर्यात-आय से करीब है।

अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 की अवधि में आयात में 12.6% की कमी आई और यह 248 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जबकि 2008-09 में (मार्च के अंत में) यह 283.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2009-10 में व्यापार घाटा 05 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 117.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

MONEY SUPPLY

During the financial year, the year-on-year growth in money supply (M3) moderated from over 20.0% at the beginning of the financial year to 16.4% in February 2010 before increasing to 16.8% by March 2010, slightly above the Reserve Bank's indicative projection of 16.5% reflecting deceleration in bank credit growth during 2009-10. This was reflected in non-food credit growth of 16.9%, above the indicative projection of 16%, significantly lower than the 22% growth a year ago.

BANKING AND INTEREST RATES

In the year 2009-10, aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a growth of 17.0% to Rs.44,86,574 crore against 19.9% growth a year ago. The total bank credit recorded a lower growth of 16.7% to Rs.32,40,399 crore upto March 26th, 2010 as compared to 17.5% growth in 2008-09. Due to lower expansion of credit and aggregate deposits, credit-deposit ratio of scheduled commercial banks stood at 72.2% as on March 26, 2010, slightly lower than the level of 73.4% a year ago. Non-food credit of scheduled commercial banks expanded by 16.9% to Rs.31,91,910 crore as on March 26, 2010 against 17.8% in the previous year.

On a review, the RBI took monetary measures of reducing Repo rate and Reverse repo rate by 25 bps each to 4.75% and 3.25% respectively from 21st April, 2009, while keeping the CRR unchanged at 5.00%. However, in the fourth quarter of the year 2009-10, the RBI tightened monetary policy by raising CRR by 75 bps in two phases (50 bps in 1st phase w.e.f. 13.02.2010 and 25 bps in 2nd phase w.e.f. 27.02.2010) to 5.75% and by raising Repo rate and Reverse repo rate by 25 bps each to 5.00% and 3.50% respectively w.e.f. 19.03.2010.

1.2 EXTERNAL SECTOR

Exports have grown since October 2009 and in absolute terms, they were range-bound between USD 14.1–14.6 billion. In February 2010, exports shot up to USD 16 billion, closer to the export earnings of the pre-crisis level.

During April–February 2009-10, imports declined by 12.6% to US \$ 248 billion against 283.8 billion in 2008-09 (March end). Trade deficit in 2009-10 is estimated to US \$ 105 billion narrowed from US \$ 117.1 billion in the previous fiscal.



2. बैंक का निष्पादन: 2009-10

निष्पादन की झलकियाँ

- बैंक का कुल व्यवसाय 1,10,936 करोड़ रूपए का हुआ और इसमें 22.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल जमा 54,536 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 68,180 करोड़ रूपए हुआ और इसमें 25.0% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल ऋण में 19.7% की वृद्धि हुई और यह 35,727 करोड़ रूपए से बढ़कर 42,756 करोड़ रूपए हो गया।
- मार्च 2010 के अंत में जमा ऋण अनुपात 62.7% रहा।
- मार्च 2010 के अंत में सकल अनर्जक आस्तियाँ (एन पी ए) 3.21% रही।
- मार्च 2010 में निवल अनर्जक आस्तियाँ 1.84% रहीं।
- परिचालन लाभ 875.85 करोड़ रहा।
- 2009-10 में इस बैंक को 322.36 करोड़ रूपए का मुनाफा हुआ जबकि 2008-09 में 184.71 करोड़ रूपए का मुनाफा हुआ था।
- आस्तियों पर प्रतिफल 0.45% रहा।
- 31.3.2010 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.80% (बेसेल II) रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय 5.85 करोड़ रूपए से बढ़कर 7.14 करोड़ रूपए हुआ।
- 31 मार्च 2010 को शाखाओं की संख्या 1534 रही और ये सभी शाखाएं मूल बैंकिंग समाधान (सीबीएस) सुविधा सम्पन्न हैं।
- 31 मार्च 2010 को इस बैंक के 283 ए टी एम कार्यरत रहे।

2.1 जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशि - जो 31 मार्च 2009 को 54,536 करोड़ रूपए थी वह मार्च 2010 में बढ़कर 68,180 करोड़ रूपए हो गई और इस तरह इसमें 25.0% की वृद्धि हुई। खुदरा जमा में वृद्धि के खयाल से बैंक ने इस वर्ष 'कासा' जमा संग्रहण पर जोर दिया। इसके फलस्वरूप बैंक की बचत - जमा में 27.1% की वृद्धि हुई।

2.2 ऋण विनियोजन

बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में 7,029 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2010 को 42,756 करोड़ रूपए हुआ। इस तरह इस वित्तीय वर्ष में 19.7% की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2010 को ऋण जमा अनुपात 62.7% रहा। ऋण में यह बढ़ोत्तरी प्राथमिक तौर पर आधारभूत संरचना और वृहद स्तरीय उद्योगों - जैसे लोहा, सीमेंट, वस्त्र और पेट्रोलियम क्षेत्र में उच्च विकास के जरिए हुई। इसके अतिरिक्त बैंक के विभिन्न खुदरा उत्पादों के जोरदार विपणन

2. PERFORMANCE OF THE BANK : 2009-10

Performance Highlights

- Total business at Rs.1,10,936 crore registered a growth of 22.9 per cent.
- The total deposits increased from Rs.54,536 crore to Rs.68,180 crore as on March 31,2010 registering a growth of 25.0 per cent.
- There was a growth by 19.7 per cent in total advances which increased from Rs. 35,727 crore to Rs. 42,756 crore.
- Credit Deposit ratio stood at 62.7% at the end of March 2010.
- Gross NPA ratio stood at 3.21% at the end of March 2010.
- Net NPA ratio stood at 1.84 % at the end of March 2010.
- Operating Profit stood at Rs.875.85 crore
- During 2009-10, the Bank earned net profit of Rs.322.36 crore against a net profit of Rs.184.71 crore during 2008-09.
- Return on Assets stood at 0.45%.
- Capital Adequacy Ratio stood at 12.80% (Basel II) as on 31.3.2010.
- Business per employee increased to Rs.7.14 crore from Rs 5.85 crore.
- As on 31st March 2010, total number of branches stood at 1534 and all these branches are under CBS.
- As on 31st March 2010, the Bank had 283 ATMs.

2.1 DEPOSIT MOBILISATION

Total deposit of the Bank increased from Rs. 54,536 Crore as at 31st March 2009 to Rs.68,180 crore as at March 2010 registering a growth of 25.0%. With a view to increase the retail deposits, the Bank has given thrust to mobilize CASA deposits during the year. As a result, Bank's Savings Deposits grew by 27.1%.

2.2 CREDIT DEPLOYMENT

The total credit portfolio of the Bank went up by Rs.7,029 crore and reached Rs.42,756 crore as on March 31,2010, registering a growth of 19.7 per cent during the fiscal. Credit deposit ratio stood at 62.7 per cent as on March 31, 2010. Growth in credit has been achieved primarily through high growth of credit to infrastructure sector and large scale industries like Iron and Steel, Cement, Textiles and Petroleum products. In addition, intense marketing of Bank's various retail



और कृषि ऋण पर भी इस वर्ष ध्यान केंद्रीत किया गया। बैंक के गैर-खाद्य ऋण में 6958 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई और यह 41,885 करोड़ रूपए हो गया। इस तरह इस क्षेत्र में 19.9% की वृद्धि हुई जबकि खाद्य-ऋण-जो मार्च 2009 में 800 करोड़ रूपए था, वह 31 मार्च 2010 को बढ़कर 871 करोड़ रूपए हो गया।

2.2.1 खुदरा वित्तपोषण

खुदरा वित्तपोषण इस बैंक का एक मूल व्यावसायिक कार्यकलाप है जिसके अंतर्गत शीघ्र और सहज खुदरा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। खुदरा ऋण क्षेत्र के बाजार की स्थिति 09-10 में लस्त-पस्त रही तथापि खुदरा ऋण पोर्टफोलियो जो पिछले वर्ष 4260 करोड़ रूपए था वह 31 मार्च 2010 में बढ़कर 5726 करोड़ रूपए हो गया। इस वर्ष इस पोर्टफोलियो में 34.4% (1,466 करोड़ रूपए) की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष प्रतिस्पर्द्धा भरे बाजार और चुनौतियों के बीच यह बैंक 5600 करोड़ के लक्ष्य को पार करने के प्रति काफी आशावान और उत्साही बना रहा।

मंजूरी, संवितरण और विकास - इन सभी क्षेत्रों में पूर्ववर्ती वर्ष (2008-09) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में बढ़ोत्तरी हुई। मार्च 2010 में हमारे कुल बकाया ऋण और अग्रिमों का 13.4% भाग खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का है। पिछले वर्ष यह अंश 11.9 था। इस वर्ष इस पोर्टफोलियो में दिशा-परिवर्तन दिखा। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि व्यक्तिगत ऋण योजना में 83%, कार ऋण योजना में 71%, कैश रेंटल में 146% और शिक्षा ऋण में 18% दिखी जिसमें अपचार की गुंजाइश कम और प्रतिफल ज्यादा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन क्षेत्रों में विकास मार्जिन को ऊंचा बनाए रखने में मददगार होता है।

2.2.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण सदैव ही बैंक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है और इस वर्ष यह 14,396 करोड़ रूपए रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें 22.4 % की वृद्धि हुई। 31.03.2010 तक कमजोर वर्ग के लोगों को कुल 3,750 करोड़ रूपए का ऋण दिया गया। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्षेत्र में 43.5% की वृद्धि दर्ज की गई। समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40.3% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिया गया।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र में ऋण में 21.1% की वृद्धि हुई और यह 4,758 करोड़ रूपए रहा। बैंक ने 51,520 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। मार्च 2010 की समाप्ति तक इसके अंतर्गत 151.67 करोड़ रूपए का ऋण दिया गया।

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा पर बल दिया जाना जारी रखा गया। बैंक ने 66,130 स्वयं सहायता समूहों से बचत संपर्क स्थापित किया और 35.62 करोड़ रूपए जमा संग्रह किया। 50,047 स्वयं

credit products, MSME and agricultural lending also received focussed attention during the year. Bank's non-food credit increased by Rs.6,958 crore to Rs.41,885 crore, recording a growth of 19.9 per cent, while food credit increased to Rs.871 crore as on March 31,2010 from Rs. 800 crore at the end of March 2009.

2.2.1 RETAIL FINANCING

Retail financing is one of core business activities of the Bank focused on providing Retail Credit with quick & convenient service.

In contrast to choppy and subdued market situation in Retail Credit segment during the FY 09-10, the portfolio of Retail Credit increased to Rs.5,726 crore as on 31.03.10 from Rs.4,260 crore a year before. During the year the Bank has been able to register 34.4% growth (Rs.1,466 crore) in this portfolio. Amid competitive market scenario and challenges, during this year, Bank remained very much optimistic & buoyant in this Segment to surpass the target of Rs 5,600 crore.

In all the areas of Sanction, Disbursement & Growth, the achievement in FY 09-10 has surpassed that of corresponding period of previous year (08-09). As at March 2010, Retail Credit portfolio represented 13.4% of our total outstanding loans and advances (11.9% a year ago). There was a directional shift in retail credit portfolio this year. Significant growth came from the schemes like Personal Loan (83%), Car Loan (71%), Cash Rental (146%) & Education loan (18%) with low delinquency & high yield. More importantly, growth in these segments helped to maintain higher margins.

2.2.2 PRIORITY SECTOR LENDING

Bank's lending to Priority sectors continued to be its prime focus area and it stood at Rs.14,396 crore, registering a growth of 22.4% in comparison to its 2009 level. Bank's lending to weaker section stood at Rs.3,750 crore as on 31.03.2010 registering a growth of 43.5% over the previous year. The per centage share of lending to Priority Sector amounts to 40.3% of ANBC.

FARM SECTOR

Agricultural sector registered a growth of 21.1 % at Rs. 4,758 crore. The Bank issued 51,520 Kisan Credit Cards (KCC) during the year with credit coverage of Rs.151.67 crore at the end of March 2010.

SELF HELP GROUPS

Self Help Group concept continues to be the thrust area and the Bank established saving linkages with 66,130 SHGs mobilising Rs.35.62 crore as deposits and



सहायता समूहों से संपर्क स्थापित किया गया और मार्च 2010 तक 90.72 करोड़ रूपए ऋण प्रदान किया गया।

अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता

बैंक ने अल्प संख्यक समुदायों को कुल 2,085 करोड़ रूपए ऋण दिया। यह बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कुल ऋण का 14.5% है और 15% के लक्ष्य के सम्मुख है।

महिलाओं को ऋण सहायता

बैंक ने इस वर्ष 3,45,992 महिला उधारकर्ताओं को कुल 1,905 करोड़ रूपए ऋण दिया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 5.4% है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5% के निर्धारित मानदंड से ऊपर है। इस वर्ष 10,861 स्वयं सहायता समूह बचत-संपर्क वाले थे और 7457 स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्क वाले थे। इन स्वयं सहायता समूहों में 80% महिलाएं हैं।

2.2.3 अतिलघु, लघु और मझोले उद्यम

अतिलघु, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 की अधिनियमिति के पश्चात बैंक ने इस क्षेत्र में ऋण का प्रवाह तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2010 तक इस क्षेत्र में 74.3% की वृद्धि हुई और 6,457 करोड़ रूपए ऋण दिया गया।

2.3 आस्ति गुणवत्ता

यह बैंक आय संज्ञान, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता रहा है। इस वर्ष 628 करोड़ आर्जक आस्तियों की वसूली हुई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 562 करोड़ रूपए थी। प्रतिशत आधार पर देखें तो बैंक की सकल आर्जक आस्तियाँ 31.3.2010 को 3.21% रहीं जबकि पिछले वर्ष यह राशि 2.85% थी। पूर्णतः अंकों में देखें तो 3.3.2010 को सकल आर्जक आस्तियाँ 1,372 करोड़ रूपए थीं। बैंक की शुद्ध आर्जक आस्ति का अनुपात 31.3.2010 को 1.84% रहा। पूर्ववर्ती वर्ष में यह 1.48% था। पूर्णतः अंकों में, 31.3.2010 तक शुद्ध आर्जक आस्तियाँ 779 करोड़ रूपए थीं। इस वर्ष 20321 वसूली शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 92.02 करोड़ रूपए की वसूली हुई जबकि पिछले वर्ष वसूली की यह राशि 56.49 करोड़ रूपए थी। इस बैंक में आस्तियों का विक्रय आस्ति वसूली कम्पनियों को कर दिए जाने की नीति भी तैयार की गई है। छोटी-छोटी आर्जक आस्तियों की वसूली और बट्टा खातों से वसूली की गति तेज करने के लिए बैंक ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मौजूदा अनर्जक आस्ति खातों में समझौता निपटान को तेज करने के लिए इस बैंक में वसूली नीति में भी संशोधन किया गया है।

2.4 कोष परिचालन

इस वर्ष की समाप्ति पर इस बैंक का सकल निवेश 26,602 करोड़ रूपए था। पूर्ववर्ती वर्ष यह राशि 18,593 करोड़ रूपए थी यानी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में यह राशि 8,009 करोड़ रूपए अधिक हुई। एस एल आर निवेश में 5,499 करोड़ रूपए की बढ़ोतरी हुई

credit linkages with 50,047 SHGs with credit amount of Rs.90.72 crore up to March, 2010.

ASSISTANCE TO MINORITY COMMUNITIES

Bank's lending to Minority Communities at Rs.2,085 crore constituted 14.5 per cent of the Bank's Priority Sector lending as against target of 15 per cent.

ASSISTANCE TO WOMEN

During the year Bank extended Rs.1,905 crore being 5.4% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) to 3,45,992 women borrowers, surpassing the RBI's stipulated norms of 5% of ANBC for lending to women borrowers. During the year, 10,861 SHGs were savings linked and 7,457 SHGs were credit linked. About 80% of these SHGs are constituted by women members.

2.2.3 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

With the enactment of MSME Act 2006, Bank has initiated various steps to step-up credit flow to MSME Sector, registering a 74.3% growth at Rs.6,457 crore as on 31st March, 2010.

2.3 ASSET QUALITY

The Bank has been complying with RBI Guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Reduction in NPA achieved during the year was for Rs.628 crore as against Rs.552 crore during the previous year. In per centage term, Gross NPA Ratio of the Bank stood at 3.21% as on 31.03.2010 as against 2.85% during the previous year. In absolute term Gross NPA stood at Rs.1,372 crore as on 31.03.2010. Net NPA ratio of the Bank stood at 1.84% as on 31.03.2010 as against 1.48% during the previous year. In absolute term, Net NPA stood at Rs.779 crore as on 31.03.2010. During the year, 20,321 Recovery Camps were organised and Cash Recovery made in those camps during the year was Rs.92.02 crore as against Rs 56.49 crore during the previous year. The Bank has also framed policy for Sale of Assets to ARCs. Further, to boost recovery from small NPAs and Written off accounts, an incentive scheme has been introduced. Bank's Recovery Policy has been revised to facilitate quick settlement in existing NPA accounts.

2.4 TREASURY OPERATIONS

At the end of the year, Bank's Gross Investment stood at Rs.26,602 crore, increased by Rs.8,009 crore from that of Rs. 18,593 crore in the previous year, whereas SLR investment grew by Rs.5,499 crore to Rs.20,123



और यह 20,123 करोड़ रूपए रहा। कुल व्याज आय पूर्ववर्ती वर्ष की आय (1,342.99 करोड़ रूपए) से बढ़कर 31.3.2010 को 1,616.52 करोड़ रूपए हो गई। इस वर्ष व्यापार अधिशेष 180.45 करोड़ रूपए रहा जबकि पिछले वर्ष यह राशि 217.84 करोड़ रूपए थी। निवेश पर औसत प्रतिफल 7.68% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 7.95% था। आर्जक निवेश 31.3.2009 में 30.96 करोड़ रूपए था और 31.3.2010 को यह कम होकर 17.17 करोड़ रूपए हुआ।

2.5 विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापार

2009-10 में व्यापार विदेशी मुद्रा विनिमय पण्यवर्त (टर्न ओवर) 8731 करोड़ रूपए रहा। पिछले वर्ष यह 7971 करोड़ रूपए था। इस तरह इसमें 9.52% की वृद्धि हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा पण्यवर्त (टर्नओवर) 67,212 करोड़ रूपए रहा और विदेशी मुद्रा विनिमय (विनिमय एवं कमीशन) से बैंक को कुल 32.26 करोड़ रूपए की कमाई हुई जबकि 2008-09 में यह कमाई क्रमशः 51,152.17 करोड़ रूपए और 34.22 करोड़ रूपए हुई थी।

इस बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय का यह व्यवसाय नेटवर्क ए वर्ग की एक, बी वर्ग की 38 और सी वर्ग की 183 प्राधिकृत व्यापारी शाखाओं के जरिए होता है। इस बैंक का मुख्य विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय कक्ष कोलकाता स्थित इसके प्रधान कार्यालय में है और दूसरा कक्ष मुंबई स्थित वैदेशिक (ओवरसीज) शाखा में है। भारत में कुल 17 विभिन्न स्थानों पर इस बैंक के विश्वव्यापी अंतर्बैंक वित्तीय दूर संचार समिति (स्वीफ्ट) केंद्र हैं जहाँ से नकदी प्रेषण और अन्य विदेशी मुद्रा विनिमय का लेन-देन शीघ्रता से होता है। इस बैंक में विभिन्न देश की मुद्राओं में 18 नोस्ट्रो खाते हैं ताकि विदेशी मुद्रा विनिमय के निपटान की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

इस वर्ष बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय ढाका, बांग्लादेश में खोला गया है। बांग्लादेश में पदस्थ भारत के उच्चायुक्त ने 3 फरवरी 2010 को इस कार्यालय का उद्घाटन किया।

2.6 जोखिम प्रबंधन

- आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप 31 मार्च, 2009 से बैंक ने बेसेल-II ढाँचे को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। बेसेल-II के अंतर्गत नियामक अपेक्षा से अदिक बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) है। 31.03.2010 को टीयर-I अनुपात 8.16% के साथ बैंक की सीआरएआर स्थिति 12.80% अभिकालित की गई है।
- बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों - नामतः एएलएम नीति, तनाव जाँच नीति तथा ऋण जोखिम प्रशमन एवं संपाश्विक प्रबंधन पर नीति, परिचालनगत प्रबंधन नीति, अनुपालन नीति, प्रकटीकरण नीति, ऋण लेखा - परीक्षा नीति - का आरबीआई/आईबीए दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्माण एवं समीक्षा की है।

crore. Total interest income rose to Rs. 1,616.52 crore as on 31.03.2010 against Rs. 1,342.99 crore in the previous year. During the year, the trading profit was Rs. 180.45 crore against Rs. 217.84 crore in the previous year. The average yield on investments stood at 7.68% as against 7.95% in the previous year. The Non-performing investment came down to Rs.17.17 crore as on 31.03.2010 from Rs.30.96 crore as on 31.03.2009.

2.5 FOREX BUSINESS

The merchant forex turnover during 2009-10 was Rs.8,731 crore as compared to Rs.7,971 crore in the previous year registering a growth of 9.52%. Interbank forex turnover was Rs.67,212 crore and earnings from forex business (exchange and commission) were Rs.32.26 crore during 2009-10 as against Rs.51,152.17 crore and Rs.34.22 crore respectively during the year 2008-09, maintaining in the same range.

The foreign exchange business network of the Bank consisted of one 'A' Category AD Branch, 38 'B' Category AD Branches and 183 'C' Category AD Branches. The main forex dealing room of the Bank is at Head Office, Kolkata and the other forex dealing room is at Overseas Branch, Mumbai. There are 17 Swift centres of the Bank operating at different locations of the country for prompt execution of remittances and other forex transactions. The Bank maintains 18 Nostro accounts in various currencies to facilitate settlement of forex transactions.

During the year, the Bank has opened a Representative Office in Dhaka, Bangladesh for expansion of foreign business. The office was inaugurated by Hon'ble High Commissioner of India in Bangladesh on 3rd February, 2010.

2.6 RISK MANAGEMENT

- In line with RBI guidelines, the Bank successfully migrated to Basel-II framework with effect from 31st March 2009. Bank maintained Capital Adequacy ratio (CRAR) under Basel-II above regulatory requirement. CRAR position of the Bank has been computed at 12.80 % having Tier-I ratio at 8.16 % as on 31.03.2010.
- Bank formulated /reviewed various risk management policies namely ALM Policy, Stress Testing Policy and Policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management, Operational Risk Management Policy, Compliance Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, in line with RBI/IBA guidelines.



- आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) स्तंभ-II पर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए आरबीआई के समक्ष आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
- विपणन जोखिम के अंतर्गत निरंतर प्रक्रिया के आधार पर बैंक ने पूँजी प्रभार के स्वचालित अभिकलन हेतु सॉफ्टवेयर आधारित मॉडल प्राप्त करने के लिए कदम उठाया है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में मॉडल से सहायता मिलेगी।
- बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत दि स्टैंडर्ड एप्रोच (टीएसए) का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया जिसमें बिजनेस लाइन मैपिंग जैसे विविध कदम उठाए गए हैं।
- बैंक ने बड़े उद्योगों / क्षेत्रों के पोर्टफोलियों का विश्लेषण किया जिनमें बैंक का पर्याप्त निवेश हुआ है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियों पर उस विशेष उद्योग/क्षेत्र के प्रभाव एवं विद्यमान बाजार परिदृश्य का विश्लेषण किया जा सके। वर्ष के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी, कोल्ड स्टोरेज, टी, एनबीएफसी, पावर सेक्टर, सीमेंट, लोहा और इस्पात क्षेत्र, आधारभूत संरचना, शैक्षिक ऋण क्षेत्र, टेक्सटाइल, भूमि-भवन, पेट्रोलियम, चावल और कोयला क्षेत्र सहित 14 क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया।
- बैंक के समस्त ऋण पोर्टफोलियों जिनमें ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रतिलाभ, समस्त जोखिम प्रतिलाभ परिदृश्य, विवेकपूर्ण एवं पर्याप्त निवेश मानदंड, एनआईआई एवं एनआईएम आदि का तिमाही आधार पर मेक्रो स्तर पर विश्लेषण किया गया।
- बैंक के विभिन्न निवेश मानदंड सुनिश्चित करने तथा आरबीआई/बैंक के निदेशक मंडल तथा बड़े उधार खातों के जोखिम निर्धारण संबंधी निर्धारित निवेश सीमा का अर्धवार्षिक आधार पर विश्लेषण किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की चलनिधि पर तनाव जाँच, ब्याज दर जोखिम, पूँजी पर्याप्तता एवं लाभप्रदता पर ऋण जोखिम प्रभाव का छमाही आधार पर विश्लेषण किया गया। बैंक ने ₹. 40.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा वाले खाता का ऑन-साइट क्रेडिट ऑडिट भी किया ताकि ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों सहित अधिकारियों को एनआईबीएम, आईबीए, आइडीआरबीटी, एनआईबीएससीओएम, एसबीआई इत्यादि प्रसिद्ध संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण / जोखिम प्रबंधन पर सेमिनार हेतु नामित किया गया।
- In line with RBI guidelines on Supervisory Review & Evaluation Process (SREP) Pillar-II, Bank submitted Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) document to RBI for FY 2008-09.
- In order to compute and manage capital requirement under Market Risk on an on-going basis, Bank has initiated steps for procuring a software based model for automated computation of capital charge. The model will further strengthen the internal control system of investment portfolio of the Bank.
- Bank initiated various steps like Business line mapping of various activities of Bank for successful migration to advanced approach {The Standardised Approach (TSA)} under Operational Risk.
- Bank conducted portfolio analysis of major industries / sectors, where Bank's exposure is substantial to study the impact of that particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank, and the prevalent market scenario. Analysis on fourteen sectors including Gems & Jewellery, Cold Storage, Tea, NBFC, Power Sector, Cement, Iron & Steel Sector, Infrastructure, Loan to Educational Sector, Textile, Real Estate, Petroleum, Rice and Coal Sector was undertaken during the year.
- Macro Level analysis of the entire credit portfolio of the Bank covering the quality of the credit portfolio vis-à-vis return, overall risk return scenario, prudential and substantial exposure norms, NII & NIM etc. was carried out on quarterly basis.
- Analysis of various exposure norms to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits / ceilings fixed by RBI / Bank's Board and analysis on migration of the risk rating for large borrowal accounts had been undertaken on half-yearly basis.
- In line with RBI guidelines, Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk – impact on capital adequacy and profitability of the Bank has been conducted on half yearly basis. The Bank had also undertaken On-site credit audit for accounts having credit limit over Rs.40.00 lacs to improve the quality of credit portfolio.
- Bank officers including Regional Heads were nominated for various training / seminar on Risk Management at reputed institutions like NIBM, IBA, IDRB, NIBSCOM, SBI, etc.

2.7 मर्चेट बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2009-10 में बैंक के मर्चेट बैंकिंग प्रभाग ने डिबेंचर/बाँड धारकों के न्यासी के रूप में 11 निर्गमों के लिए काम किया। कई कम्पनियों के लाभांश/ब्याज के भुगतान के लिए इस बैंक ने भुगतान प्रदाता बैंक के रूप में काम किया।

2.8 सरकारी लेनदेन

यह बैंक विभिन्न प्रकार के सरकारी व्यवसाय कार्यकलाप करता है जिसके अंतर्गत सरकारी राजस्व का संग्रहण, सरकारी जमा का संग्रहण, सरकारी निधियों का संचालन, स्कूलों में वेतन-भुगतान और विभिन्न वर्गों के पेंशन, करेंसी चेस्ट का अनुरक्षण आदि शामिल हैं। 2009-10 में बैंक ने 6,183.23 करोड़ रूपए कर स्वरूप संग्रह किए।

हमारे बैंक की डायमंड हारबर शाखा में एक नया करेंसी चेस्ट खोला गया है और दूसरा करेंसी चेस्ट त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के त्रिपक्षीय करार के तहत खोला गया है।

कोलकाता स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में सरकारी व्यवसाय विषय पर 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। करेंसी चेस्ट विषय पर 2 कार्यशालाएं चलाई गईं जिसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता के महाप्रबंधक (निर्गम विभाग) की उपस्थिति में, उन्हीं के कार्यालय के संकाय सदस्यों की सहायता से हुआ। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय लघु बचत संस्थान के साथ मिलकर लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ) पर एक विचारगोष्ठी (सेमिनार) का आयोजन किया गया।

2.9 कारपोरेट सामाजिक दायित्व

युनाइटेड बैंक सोशियो-इकोनामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन 30 मार्च, 2007 को, सामाजिक आर्थिक विकास के कामों को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर सुविधाविहीन लोगों की सहायता के उद्देश्य से किया गया - भले ही वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के माननेवाले हों। इस न्यास की प्रारंभिक निधि स्वरूप बैंक ने 2 करोड़ रूपए दिए।

युनाइटेड बैंक रूरल डेवलपमेंट ऐंड सेल्फ एम्प्लायमेंट ट्रस्ट (यू बी रूडसेट) का गठन 5 अप्रैल 2008 को किया गया था। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण संस्थान खोलना और उनका संप्रवर्तन करना ताकि प्रशिक्षण देकर गरीब, सुविधाविहीन और बेरोजगार युवकों और युवतियों की दक्षता और उद्यमशीलता को विकसित किया जा सके जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। बैंक द्वारा स्थापित सभी रूडसेटीज के कामों की देखरेख के लिए यह ट्रस्ट शीर्ष नीति निर्माता के रूप में सीधे या प्रतिष्ठित संस्थानों / गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर काम करता है। यह ट्रस्ट सभी रूडसेटीज के कामों की समीक्षा भी करता है और उनकी प्रशिक्षण योजनाओं और उनके बजट का अनुमोदन करता है। इस ट्रस्ट की आरंभिक धन राशि 10 लाख रूपए है जो सावधि जमा के रूप में है।

2.7 MERCHANT BANKING

During the Financial Year 2009-10, Merchant Banking Division of the Bank acted as trustees to debenture/bond holders in respect of 11 issues. Bank also acted as 'Paying Banker' for payment of dividend/interest warrants of several companies.

2.8 GOVERNMENT TRANSACTIONS

The Bank is handling different Government business activities including collection of Government Revenue, collection of Government Deposit, handling of Government Fund, payment of School Salary and different categories of pension, maintenance of Currency Chest. Total Tax collection during 2009-10 was Rs. 6,183.23 crore.

One new Currency Chest was opened at Diamond Harbour Branch and another at Tripura Gramin Bank under tripartite agreement with UBI, RBI & TGB.

Ten training programmes on Government Business were conducted at Staff Training College, Kolkata. Two workshops on Currency Chest were organised with faculty support from RBI, Kolkata in presence of General Manager (Issue Department) RBI, Kolkata. One seminar was held in association with National Small Savings Institute, GOI, MOF on Public Provident Fund.

2.9 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was formed on 30th March, 2007 for the noble cause of promoting and carrying out socio-economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society irrespective of their caste, creed and religion. The bank has provided Rs 2 crore as Corpus to the Trust.

United Bank Rural Development & Self Employment Trust (UBRUDSET) was formed on 5th April 2008. Main objective of the trust is to set up and promote training institute for empowering poor and under privileged, unemployed youth and women by development of skill and entrepreneurship through training to make them self reliant and ensure rural development. The trust acts as the apex policy making body for overseeing the functioning of all the RUDSETIs being set up by the Bank directly or in collaboration with reputed institutions / NGOs. The trust also reviews the functions of the RUDSETIs and approves the training plans and budgets of individual RUDSETI. The trust has an initial corpus of Rs 10 lac which has been kept as Fixed Deposit.



बैंक ने ऐसे 5 ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटीज) खोले हैं जिनमें 1.4.2007 से 138 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में 2932 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया है जिनमें 1520 महिलाएं हैं। तात्पर्य यह कि कुल प्रशिक्षणार्थियों में 51.8% महिलाएं शामिल हुईं। बंदोबस्ती की दर 81.55% है। प्रशिक्षणार्थियों में से 1017 ने बैंक से ऋण सहायता ली है।

2.10 वित्तीय समावेशन

यह बैंक बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है। वर्ष 2009-10 के दौरान अग्रणी बैंक योजना के तहत समाज के गैर बैंक खंड को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से वित्तीय समावेशन पर आधारित कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में वित्तीय समावेशन कक्ष की स्थापना की है जिसका परिचालन महाप्रबंधक के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के संचालन में होता है।
- पश्चिम बंगाल के जिन 7489 गाँवों में कोई बैंक नहीं है और उस गाँव की जनसंख्या 2000 से अधिक है उन गाँवों में मार्च 2012 तक शाखा खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को आबंटन कर दिया गया है।
- त्रिपुरा के ऐसे 419 बैंक रहित गाँवों की पहचान की गई है जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है और विभिन्न बैंकों को, मार्च 2012 तक बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए आबंटन कर दिया गया है।
- पश्चिम बंगाल के आठ और त्रिपुरा के तीन जिलों की पहचान 100% वित्तीय समावेशन हेतु की गई है। इनमें से अब तक पश्चिम बंगाल के 87% और त्रिपुरा के 84% परिवारों को शामिल किया जा चुका है।

2.11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों - बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण विकास बैंक और मणिपुर ग्रामीण बैंक की संयुक्त सकल स्थिति निम्नवत् है :

The bank has set up 5 RUDSETIs, which have conducted 138 training programmes since 1.4.2007 covering 2,932 trainees of which 1,520 were women comprising 51.8% of the total trainees. The settlement rate is 81.55 %. A total of 1,017 of such trainees have availed bank loan.

2.10 FINANCIAL INCLUSION

The Bank is SLBC Convenor in the states of West Bengal & Tripura. The activities under Lead Bank Scheme during the year 2009-10 centered on Financial Inclusion to be achieved by extended banking facilities to the unbank segment of the society. The bank has taken the following initiative for achieving financial inclusion;

- Bank has set-up a 'Financial Inclusion Cell' at head office, headed by a General Manager, with a team of senior officers.
- 7,489 unbanked villages of West Bengal having population of over 2,000 have been allotted to different banks for setting up of banking outlets within March 2012.
- This apart, 419 unbanked villages of Tripura having population of over 2,000 have also been identified and allotted amongst the banks for providing banking outlet within March 2012.
- Eight districts of West Bengal and three districts of Tripura have been identified for 100% Financial Inclusion. Of these, 87% and 84% of the households in the identified districts of West Bengal & Tripura respectively have been covered till now.

2.11 REGIONAL RURAL BANKS

The Combined aggregate position of all four sponsored RRBs viz. Bangiya Gramin Vikash Bank, Assam Gramin Vikash Bank, Tripura Gramin Bank and Manipur Rural Bank are as follows:

(राशि : करोड़ रूपए में) (Amount in Rs. Crore)

विवरण Particulars	स्थिति Position as on		को समाप्त वर्ष में विकास (%) Growth(%) during the year ended on	
	31.03.2009 को 31.03.2009	31.03.2010 को 31.03.2010	31.03.2009 को 31.03.2009	31.03.2010 को 31.03.2010
कुल व्यवसाय Total Business	12,726.82	15,435.56	18.89	21.29
जमा Deposit	8,854.47	10,751.48	21.87	21.42
ऋण Advance	3,872.35	4,684.08	16.83	20.93



त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बड़दोवाली शाखा में करेंसी चेस्ट सुविधा आरंभ की गई है। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी सीबीएस की सुविधा उपलब्ध करा कर, तकनीकी रूप से उसे व्यावसायिक बैंकों के समकक्ष बनाने का काम कर रहा है।

2.12 शाखा विस्तार

2009-10 में इस बैंक की 83 शाखाएं खोली गईं। इसी के साथ 31.03.2010 तक इसकी कुल शाखाओं की संख्या 1534 हो गई और भारत के सभी राज्यों में इसकी मौजूदगी भी हो गई। मुर्शिदाबाद जिले की पाँच शाखाओं - जंगीपुर, मीठीपुर, हारोआ, पलसंडा और मालांच शाखा का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने इसी वर्ष किया।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान खोली गई राज्य वार शाखाएँ:

राज्य State	खोली गई शाखाओं की संख्या No. of Branches Opened	राज्य State	खोली गई शाखाओं की संख्या No. of Branches Opened
हरियाणा / Haryana	1	झारखंड / Jharkhand	7
उत्तर प्रदेश/ Uttarpradesh	4	ओड़िशा / Orissa	6
दिल्ली/ Delhi	2	बिहार/ Bihar	11
छत्तीसगढ़/ Chattisgarh	4	पश्चिम बंगाल / West Bengal	29
कर्नाटक/ Karnataka	3	असम / Assam	10
महाराष्ट्र/ Maharashtra	2	आंध्र प्रदेश / Andhra Pradesh	2
त्रिपुरा/ Tripura	2		
कुल / Total		83	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के निर्णय के अनुरूप इस बैंक की 9 शाखाएँ पश्चिम बंगाल और एक शाखा त्रिपुरा के बैंक रहित क्षेत्र में खोली जा चुकी है। इस बैंक की कुल 1534 शाखाओं में से 730 शाखाएँ (47.6%) दे के अल्पसंख्यक समुदाय बहुल 68 जिलों में हैं और कुल शाखा नेटवर्क का 59% ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में है ताकि देश के दूर-दराज इलाके में इसकी सेवा उपलब्ध हो सके। 3 फरवरी 2010 को बांग्लादेश में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर अपनी वैश्विक पहचान बनाई है।

2.13 कार्मिक प्रशासन

31 मार्च, 2010 तब बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 15,285 रही। पिछले वर्ष यह संख्या 15,111 थी। कर्मचारियों की उत्पादकता 31.3.2009 को 5.85 करोड़ रूपए थी जो बढ़कर 31.3.2010 को 7.14 करोड़ रूपए हुई।

प्रभावी अनुक्रमण योजना के अंग स्वरूप 894 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 486 लिपिकों की भर्ती का काम पूरा कर लिया गया है और 281 विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है।

सभी स्तरों पर अंतर्वेतन-मान पदोन्नति की प्रक्रिया भी इस वर्ष सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई जिसके जरिए 789 अधिकारियों की

RBI Currency chest has been opened in Bardowali Branch of Tripura Gramin Bank. United Bank of India is facilitating introduction of CBS in RRBs to make them technologically at par with Commercial Banks.

2.12 BRANCH EXPANSION

With the opening of 83 branches during the year 2009-10, the total number of branches stood at 1534 as on 31.03.2010 spreading across all the States of the country. The Bank has also 10 Extension Counters.

Statewise opening of branches during FY2009-10:

Five branches, in Murshidabad District, namely as Jangipur, Mithipur, Haroa, Palsanda & Malancha were inaugurated during the year by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister. The Bank has also opened 9 branches in unbanked Gram Panchayats in West Bengal and one branch at unbanked area in Tripura to extend banking facilities in unbanked areas as per decisions of SLBC. Out of 1534 branches, 730 branches (47.6%) are located in 68 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country and fifty nine per cent of the total branch networks are in rural and semi-urban areas to serve our country in the hinterland. During the year, the Bank has established its global footprint by opening a Representative Office in Dhaka, Bangladesh on 3rd February, 2010.

2.13 PERSONNEL ADMINISTRATION

The total staff strength of the Bank stood at 15,285 as on March 31, 2010 as against 15,111 last year. The staff productivity of the Bank has increased to Rs.7.14 crore as on 31.03.2010 from Rs.5.85 crore as on 31.03.2009.

As a part of effective succession planning, process for recruitment of 894 Probationary Officers and 486 Clerks apart from 281 Specialist Officers have been initiated and successfully completed.



पदोन्नति परवर्ती उच्च स्तर वेतनमान में कर दी गई है।

दूसरी पहल यह हुई है कि इस वर्ष 404 लिपिकों की पदोन्नति कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान I में की गई है।

2.13.1 प्रशिक्षण

सदैव परिवर्तित होते बैंकिंग परिवेश और कड़ी प्रतियोगिता के परिदृश्य को देखते हुए प्रशिक्षण पद्धति को वक्त की जरूरत के अनुसार स्वरूप देने जरूरी हो गया है। तदनु रूप अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार किया है। क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। इस वर्ष 577 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 7193 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनका ब्यौरा निम्नवत् है :

Inter scale promotion process covering officers of all grades was successfully completed during this year through which a total of 789 have been promoted to their respective higher scale.

In another initiative, 404 clerks have been promoted to officer- JMG Scale-I during the year.

2.13.1 TRAINING

To meet the growing challenges it has become imperative to shape the training system as per need of the time and In-House training courses have been redesigned accordingly. For capacity building, cross section of employees have been nominated for various external training programmes. During the year employees numbering 7,193 have participated in 577 training courses as per the following as below:

प्रशिक्षण की प्रकृति Nature of Training	पाठ्यक्रमों की संख्या No. of Courses	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या No. of employees Trained
अपने ही बैंक में In-House	401	6,855
अपने बैंक से बाहर External	166	278
विदेश में Overseas	8	12
सहयोग से In-Company	2	48
कुल / Total	577	7,193

2.13.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का कल्याण

यह बैंक निर्दिष्ट वर्गों की नियुक्ति/उनकी पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकारी मार्गनिर्देशों का अत्यंत निष्ठापूर्वक अनुसरण करता है। 31.03.2010 को इस बैंक में इस वर्ग के कुल कर्मचारियों की संख्या 3690 थी और यह कुल कर्मचारियों की संख्या का 24.1% है। इस वर्ष इस वर्ग के 114 कर्मचारियों को उनके परवर्ती उच्च संवर्ग में पदोन्नति दी गई। इस वर्ष दी गई कुल पदोन्नति में 26.35% कर्मचारी इस वर्ग के थे। बैंक में पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें 272 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने लिपिकवर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण लिया। इस वर्ष अनुसूचित जाति के दो कर्मचारियों की सेवाकालीन मृत्यु के बाद रु. 14,45,543/- अनुग्रह राशि दी गई।

सर्वोच्च प्रबंधन के साथ बैंक के अनुसूचित जाति / जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद की तिमाही बैठकें नियमित आधार पर इस वर्ष भी हुईं। इस वर्ग के व्यक्ति या संगठनों से प्राप्त सभी शिकायतों

2.13.2 Welfare of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees

The Bank has been scrupulously following the Government guidelines for reservation in employment/promotion in respect of specific categories. The representation of SC/ST employees in total staff stood at 3690 as on 31.03.2010 constituting 24.1% of the total employees. During the year 114 employees belonging to SC/ST category were promoted to next higher cadre. They constituted 26.35% of total number of promotions effected during the year. The Bank also conducted pre-promotional training for 272 SC and ST employees for promotion from clerical to officers' cadre. Dependents of 2 deceased employees belonging to SC category were paid ex-gratia amount to the tune of Rs. 14, 45,543/- during the financial year.

Quarterly meetings between the Top Management and the SC/ST Employees Welfare Council of the Bank have been held on regular basis during the year. All of the complaints received from individual/organizations

के तत्काल निपटान पर ध्यान दिया गया। समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु बैंक की ओर से एक चल-वैजयंती (रोलिंग ट्रॉफी) की शुरुआत हुई है जिसका नाम “भारत रत्न डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बेस्ट ब्रांच रोलिंग ट्रॉफी” रखा गया है। यह ट्रॉफी प्रतिवर्ष डा. बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर के जन्मदिवस के अवसर पर उस शाखा को दी जाती है जिस शाखा ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय में ऋण संवितरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो।

2.13.3 औद्योगिक संबंध

बैंक ने 2009-10 में सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा जिससे बैंक के चतुर्दिक विकास और व्यवसाय के विकास के लिए सकारात्मक परिवेश बना। यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें हुईं और संबंधित सूचना/बैंक के व्यवसाय से संबंधित प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई। साथ ही कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण पर भी विशेष बल दिया गया।

एक कल्याणकारी कदम के रूप में कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों और उनकी पत्नी या उनके पति के स्वास्थ्य पर विचार करते हुए बैंक ने मौजूदा मेडीक्लेम बीमा योजना का पुनर्नवीकरण कराया है। इनके अतिरिक्त बैंक ने इस वर्ष तीन और अस्पतालों के साथ ताल-मेल व्यवस्था की है। ये तीन अस्पताल हैं - सी.एम.आर.आई. अस्पताल, कोलकाता, ए.एम.आर.आई. अस्पताल, कोलकाता और इस्टर्न डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल सेंटर लिमिटेड, कोलकाता। इस तरह अब मौजूदा कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती/प्रतियोगी दर पर अस्पताल में भर्ती होने /स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराने /इलाज कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे अस्पतालों की संख्या 66 हो गई - जिसके साथ ताल-मेल व्यवस्था (टाई-अप) की गई है। कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा सुविधा को और मजबूत बनाते हुए बैंक ने रवींद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, कोलकाता और नाइटिंगल डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के साथ भी ऐसी ही तालमेल व्यवस्था की। उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में नवम्बर 2009 में लॉरेंस एंड मायो के तत्वावधान में एक चक्षु परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया।

2.13.4 खेल-कूद को बढ़ावा

यह बैंक खेल-कूद को बढ़ावा देना बड़ा ही महत्वपूर्ण समझता है। 2009-10 के वार्षिक खेल-कूद कार्यक्रम का आयोजन बैंक की ओर से 17 जनवरी 2010 को, कोलकाता स्थित मोहनबागान क्लब के मैदान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं अन्य शीर्ष कार्यपालकों के मौजूदगी में हुआ। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों / भूतपूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने

regarding SC/ST matters have been looked into for early redressal by the Bank. For economic development of SC/ST community of the society, the Bank has launched a rolling trophy in the name and style of “Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Best Branch Rolling Trophy” for excellent performance in disbursement of loan to SC\ST community, which is awarded to the best performing branch every year on the birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar.

2.13.3 INDUSTRIAL RELATIONS

The Bank has maintained harmonious industrial relations during the year 2009-2010 culminating in creation of a positive atmosphere for all round growth and business development of the Bank. Periodical meetings at different tiers of management were held with the representatives of the Unions/Associations for sharing of the information/percolation of business priorities of the Bank. At the same time emphasis had been given on the redressal of the genuine grievances of the employees.

As a welfare measure, considering the aspects of Health Care for working employees along with dependent members of their families as also the retired employees of the Bank along with their spouse, the Bank has renewed the existing Medi-claim Insurance Schemes. Besides, the Bank has entered into tie-up arrangements with 3 (three) more hospitals viz. CMRI Hospital, Kolkata; AMRI Hospital, Kolkata and Eastern Diagnostics & Medical Centre Ltd., Kolkata during the year taking the total number of such arrangements to 66 Hospitals and Diagnostic Centers located all over India to meet hospitalization/health check-up/diagnostic requirements of employees/retired employees at a concessional /competitive rate. In order to further strengthen Health Care measure for working and retired employees, the Bank has entered into tie-up arrangements with Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences (RTIICS), Kolkata and Nightingale Diagnostic & Medical Centre Pvt. Ltd., Kolkata. This apart, annual Eye Screening Camp was organized during November, 2009 at Head Office under the auspices of Lawrence & Mayo.

2.13.4 Promotion of Sports

The Bank attaches great importance to the promotion of sports. The Annual Sports Meet of the Bank for the year 2009-10 was organized on 17th January, 2010 at Mohun Bagan Athletic Club Ground, Kolkata in presence of the Chairman and Managing Director, Executive Director and other top executives of the Bank. Over 3000 employees, ex-employees and their



बड़े उत्साह से भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने स्मारिकाएं और पुरस्कारों से नवाजा।

2.14 ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा को उन्नत बनाने के उद्देश से और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुरूप बैंक में ग्राहक सेवा पर बोर्ड स्तरीय समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति का गठन किया गया है। दोनों ही समितियों की बैठक तिमाही आधार पर होती है। 2009-10 में इनकी चार बैठकें हुईं।

ग्राहक सेवा पर शाखा स्तरीय समिति की बैठक हर महीने में कम से कम एक बार होती है जिसमें शाखा के सभी कर्मचारी, मान्यता प्राप्त यूनियन का एक प्रतिनिधि और संबंधित शाखा का एक वरिष्ठ नागरिक ग्राहक शामिल रहते हैं। इससे ग्राहकों और शाखा के कर्मचारियों में परस्पर संवाद के माध्यम को बढ़ावा मिलता है और ग्राहकों की शिकायतों / उनके सुझावों / उनकी तकलीफों की जानकारी मिलती है एवं ग्राहक सेवा को उन्नत बनाने का रास्ता खोजा जाता है।

पत्रों / फैंक्स के जरिए प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों की पावती तत्काल भेजी जाती है। ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय - सीमा तय कर दी गई है और सभी संबंधित कर्मचारियों को अक्षरशः उसका पालन किए जाने की सलाह दी गई है। शाखा स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निवारण शिकायत मिलने के 7 दिनों के भीतर कराना होता है। क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त शिकायत का निवारण शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कराना होता है। प्रधान कार्यालय में प्राप्त शिकायत का निवारण शिकायत मिलने के 21 दिनों के भीतर कराना होता है।

शिकायत निवारण पद्धति के एक अंग स्वरूप और ग्राहकों की शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु बैंक की और से ऑन-लाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह सर्वाधिक त्वरित माध्यमों में एक है जिससे शिकायतों के निपटान हेतु ग्राहकों के पास साथ-साथ पहुँचा जा सकता है और उनकी संतुष्टि के अनुरूप टेलीफोन पर या ई मेल से उनसे संपर्क साधा जा सकता है, बशर्ते उनकी शिकायत में इन दोनों का उल्लेख किया गया हो।

इस वर्ष ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। सभी शाखाओं को सीबीएस सुविधा संपन्न बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप वे इस बैंक की किसी भी शाखा से कहीं भी बैंकिंग सेवा पा सकते हैं। सभी शाखाओं में एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है जिससे सभी ग्राहक अपनी निधियों का अंतरण तत्काल कर सकते हैं।

2.15 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगान्तरकारी उपलब्धि हासिल करते हुए यह बैंक 12.09.2009 को, अपने संकल्प के अनुरूप, इस देश के श्रेष्ठ तकनीकी योग्यता संपन्न बैंकिंग संस्थान के रूप में उभर आया और अपनी सभी शाखाओं को सीबीएस सुविधा संपन्न शाखा

family members participated in the Meet with great enthusiasm. The Chairman and Managing Director presented mementos and prizes to the successful participants.

2.14 CUSTOMER SERVICE

With a view to improving customer service and as advised by Reserve Bank of India, the Bank has constituted Board Level Committee on Customer Service and Standing Committee on Customer Service. Both the committees meet on quarterly basis. Four such meetings were held during the year 2009-10.

Branch Level Committee on Customer Service (consisting of all Officials of the Branch, one representative from the recognized Union and one Senior Citizen Customer of the Branch) are to meet at least once in a month to encourage formal channel of communication with the customers and Branch Level functionaries and to study complaints / suggestions / difficulties faced by the customers and evolve ways and means for improving customer service.

Customer complaints received through letters / Fax are acknowledged promptly. Time frame for resolving the customer complaints at different levels has been fixed and all concerned have been advised to follow the same meticulously. Complaint received at Branch Level is to be redressed within 7 days from the date of receipt of the complaint. Complaint received at Regional Office Level are to be redressed within 15 days and Complaints received at Head Office Level is to be redressed within 21 days from the date of receipt of the complaint.

As a part of Grievance Redressal Mechanism and to resolve the customers' complaints instantaneously, the Bank introduced On-line Grievance Redressal System, one of the quickest avenues to reach to the customers for settlement of the issues to their satisfaction by contacting over telephone / sending e-mail if it is available in the complaint letter.

A number of steps have been taken by the Bank during the year to improve customer service. All the Branches of the Bank are brought under CBS thereby giving the facility of Any Where Banking across all our branches. All branches are now NEFT / RTGS enabled extending the service of quick transfer of fund to all our customers.

2.15 INFORMATION TECHNOLOGY

In a landmark achievement in the field of Information Technology, Bank attained 100% CBS on 12-09-2009 keeping in line with its vision to emerge as a techno savvy premier Banking institution in the country. **Bank**



के रूप में बदल डाला। **बैंक वित्तीय समावेशन की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तकनीकी सुविधाओंका भरपूर प्रयोग कर रहा है।**

विभिन्न वित्तीय एवं गैर - वित्तीय कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, किफायती और सुदृढ़ मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने वी पी पी नेटवर्क (वर्चुवल प्राइवेट नेटवर्क) आधारित वी सेच (वेरी स्माल अपेचर टर्मिनल) एकीकृत वाइड एरिया नेटवर्क (वान) परियोजना को कार्यान्वित किया है। इस बैंक की सभी शाखाएं वान से जुड़ी हुई हैं।

31.03.2010 तक इस बैंक के अपने एटीएम्स की संख्या 283 थी और इस बैंक के ग्राहकों के साथ - साथ दूसरे बैंक के ग्राहक भी इन एटीएम्स का लाभ उठा सकते हैं। इस बैंक के एटीएम सह डेबिट कार्ड धारक कैश ट्री और एनएफएस के माध्यम से 50000 से भी अधिक घरेलू एटीएम्स से, साझा व्यवस्था के तहत अपने रूपए निकल सकते हैं और वीजा (VISA) के जरिए जुड़े होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई एटीएम्स का लाभ उठा सकते हैं। शतप्रतिशत सीबीएस और एटीएम के सशक्त संजाल (नेटवर्क) की बदौलत यह बैंक सफलतापूर्वक अपने ग्राहकों को “कभी भी, कहीं भी” बैंकिंग सुविधा दे रहा है।

यह बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवा की सुविधा भी दे रहा है। ग्राहक इस माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं, और अपने खाते में शेष बची राशि की जानकारी लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को और भी कई विशेषताओं से युक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है जिससे ग्राहकों को और भी मूल्य वर्धित इंटरनेट बैंकिंग उत्पादन की सुविधा, एसएमएस बैंकिंग सुविधा आदि मिल सके।

अब इस बैंक की सभी शाखाओं से आरटीजीएस/एनएफएफटी कारोबार किया जा सकता है। ये दोनों ही माध्यम इस बैंक के ग्राहकों के निधि अंतरण कार्य हेतु बड़े ही लोकप्रिय और सक्षम माध्यम बन गए हैं। इस बैंक ने अपनी सभी शाखाओं के लिए टेली बैंकिंग चैनल की शुरुआत की है। ग्राहक इस सुविधा का लाभ अपने कांते में शेष राशि की जानकारी लेने के लिए कर सकते हैं, फैंक्स या ई-मेल के जरिए अपने खाते का विवरण भेजने का अनुरोध कर सकते हैं, चेक का भुगतान रोकने और संपर्क खातों में निधि अंतरण का अनुरोध कर सकते हैं।

31.03.2010 को इस बैंक की सभी 1534 शाखाओं और सभी नियंत्रक कार्यालयों में कारपोरेट ई-मेल सुविधा कार्यकर कर दी गई। इस सुविधा की बदौलत आँकड़ों और सूचना का व्यापक स्तर पर प्रेषण हो रहा है जिससे सूचना को भेजने में समय तथा परिचालनगत लागत काफी हद तक कम हुई है।

यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एन सी सी के जरिए चलाई जा रही चेक संक्षेपण प्रणाली (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) प्रायोगिक परियोजना में भी शामिल हुआ है। यह बैंक सीपीएस का भरपूर उपयोग करते हुए एक मजबूत प्रबंधन सूचना

is leveraging its technology platform for enhancing the schemes of Financial Inclusion.

With a view to provide a reliable, cost effective and robust platform for various financial and non-financial applications, Bank has implemented VPN (Virtual Private Network) based WAN project integrated with VSAT network. All branches and offices of the Bank are connected through WAN.

Bank had 283 ATMs as on 31-03-2010 which can be accessed by our own customers as well as by customers of other banks. The ATM cum Debit Card holders of the Bank can access more than 50000 domestic ATMs under a sharing arrangement through Cash Tree & NFS and many more internationally through its affiliation to VISA. With 100% CBS and a strong Network of ATM, Bank has been successful in extending “Any Time Any Where Banking” facility to its customers.

Bank is also offering Internet Banking facility for its customers. Customers use this channel for e- payment of direct taxes, balance enquiry etc. Bank is also in the process of implementing a more feature rich Internet Banking System (IBS) which will offer various value added net banking products to customers including SMS Banking.

All branches can now perform RTGS & NEFT transactions. These channels have become very popular and efficient mode of fund transfer for the customers of the Bank. Bank has launched telebanking channel for all branches. Customers can avail this facility to a) enquire account balance, b) request for account statement through fax / email, c) stop payment of cheque and d) transfer fund to linked account(s).

As on 31-03-2010, Corporate E-Mail facility is operational in all the 1534 branches and in all controlling offices. Extensive transmission of Data as well as information takes place through this facility resulting in reduction of communication time and operational cost to a great extent.

The Bank has also been participating in Cheque Truncation System (CTS) pilot project now being implemented by Reserve Bank of India through NCC, Delhi in National Capital Region (NCR). The Bank is in the process of developing a sound Management Information System (MIS) by leveraging CBS. Already a number of MIS reports are being generated from CBS as an aid to management decision making.



प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है। ऐसी कई सूचना अब सीबीएस के जरिए उपलब्ध हो जाती हैं जिससे प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

मिनी डिपोजिट स्वल्प संचय (एम डी एस एस) में इस वर्ष इस बैंक ने शत प्रतिशत मशीनीकरण कर दिया। अल्प लागत वाली यह जमा योजना एजेंटों को दी गई हाथ में रखकर काम करने में सक्षम एक मशीन (इन्टेलिजेंट हैंड हेल्ड मशीन) के जरिए सीबीएस से अंतरापृष्ठ है। ग्राहकों से जमा मिलते ही यह मशीन एक प्राप्त-रसीद जारी करती है जिसमें खाताधारक के खाते में शेष राशि का उल्लेख रहता है।

इस वर्ष कोलकाता स्थित बैंक के डेटा सेंटर और मुंबई स्थित डेटा रिकवरी सेंटर का उन्नयन सीबीएस आधारभूत ढाँचे के अनुरूप किया गया। बैंक के अपने इंटरनेट वेबसाइट की शुरुआत हुई ताकि संगठन के भीतर सूचना की सुविधा मिले और उसके प्रसार और आदान-प्रदान में सुधार हो। यह बैंक सर्ट-इन नामक एक सूचीबद्ध लेखा-परीक्षा फर्म के सहयोग से इफारमेशा सेक्युरिटी ऑडिट भी करता है और इसमें इस बैंक का पूरा सूचना प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढाँचा शामिल है।

2.16 राजभाषा विभाग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु और इसके प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन की दिशा में 21.05.2009 को इस बैंक के राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन सह समीक्षा बैठक प्रधान कार्यालय में हुई। सितम्बर - अक्टूबर 2009 में हिंदी दिवस / हिंदी माह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में तीन दिवसीय 12 हिंदी कार्यशालाओं और 2 दिवसीय 14 कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हिंदी) कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष 46 अधिकारियों / कर्मचारियों ने प्रवीण / प्राज्ञ परीक्षाएं पास कीं। नराकास (बैंक), कोलकाता के संयोजक के नाते बैंक ने इस वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) की दो बैठकें आयोजित कीं। इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से द्वितीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बैंक को 05.02.2010 को शिलांग में आयोजित पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में दिया गया। एक तिमाही हिंदी पत्रिका “युनाइटेड दर्पण” नियमित आधार पर प्रकाशित की जाती है। शाखाओं और कार्यालयों में हिंदी साफ्टवेयर सुविधा से युक्त कम्प्यूटरों की संख्या 11,926 से बढ़कर 18,206 हो गई। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित, प्रधान कार्यालय का निरीक्षण 26.03.2010 को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक श्री सुरेन्द्र मोहन नैयर ने किया।

2.17 निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षण

- आंतरिक निरीक्षण, बेहतरीन तरीके से अतस्थापित एक

During the year Bank has achieved 100% mechanisation in its MDSS (Mini Deposit Salpa Sanchay). This low cost Deposit scheme (MDSS) has interface with CBS through Intelligent Hand Held Machines (IHH) which are provided to Agents. Machine generated receipt with a/c balance is provided to customers immediately on receipt of the deposit.

During the year Bank's Data Center at Kolkata and Data Recovery (DR) Center at Mumbai have been upgraded in consonance with 100% CBS infrastructure. Bank has launched its Intranet website during the year to facilitate and improve dissemination and sharing of information within the organization. Bank is also conducting IS Security Audit covering its entire IT Infrastructure with a Cert-in empanelled audit firm.

2.16 OFFICIAL LANGUAGE

For publicity and progressive use of Hindi towards implementation of Government's Official Language Policy, All India Conference of Official Language Officers of the Bank and review meeting was held on 21.05.2009 at Bank's Head Office. Various types of programmes and Hindi Competitions were organized on the occasion of Hindi Day/Hindi Month during September–October 2009. 12 nos. of Hindi Workshops (duration of each for 3 days) and 14 nos. of Hindi Computer Training Programmes (duration of each for 2 days) were organized at Bank's Staff Training College, Kolkata. During the year, 46 Officers/Employees Passed Hindi (Praveen/Pragya) Examinations. The Bank organized 2 meetings under the banner of the Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata in capacity of being the coordinator. For its distinguished performance, the Bank was awarded with 2nd Prize (Rajbhasha Shield) by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. The Bank received the prize in the Official Language Conference of East & North-East Region held on 05-02-2010 at Shillong (Meghalaya). Bank is publishing its quarterly Hindi Magazine 'United Darpan' regularly. Number of Computers installed with Hindi Software in different Branches/Offices increased from 11,926 to 18,206. Shri Surendra Mohan Nayyar, Joint Director, Ministry of Finance, Financial Services Department, New Delhi, visited the Head Office of the Bank on 26.03.2010 for inspection of implementation of Official Language Policy.

2.17 INSPECTION AND AUDIT

- Internal inspection is a well embedded continuous



सतत् प्रक्रिया है जो हर मामलों में बैंक की परिचालन इकाइयों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और बैंक की अस्तियों की संरक्षण और सुरक्षा हेतु बेहतरीन कामकाज सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक निरीक्षण का लक्ष्य है निर्धारित प्रणाली, पद्धति और प्रादर्शों का पूर्णतः अनुसरण और उनका कार्यान्वयन।

- लेखा परीक्षा और निरीक्षण का काम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निर्धारित नीति के अनुसार किया जाता है। आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया को, बैंकिंग प्रणाली में सतत् परिवर्तित हो रहे परिदृश्यों के अनुरूप सतत् आधार पर उपयुक्त तरीके से आशोधित किया जाता है। नयी प्रणाली में आंतरिक निरीक्षण बैंक की परिचालन इकाइयों में जोखिम आधारित निरीक्षण पर केंद्रित है। पिछले तीन वर्षों से शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा - परीक्षण अपने ही बैंक के निरीक्षकों द्वारा की जाती रही है। 2009-10 में 909 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षण हुई। 431 शाखाओं में संगामी लेखा परीक्षा (कनक्रेट ऑडिट) और 563 शाखाओं में प्रवासन लेखा परीक्षण (माइग्रेशन ऑडिट) की गई। 2009-10 में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- इस वर्ष सी बी एस शाखाओं की सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा (इनफॉर्मेशन सेक्युरिटी ऑडिट) की शुरुआत हुई। यह लेखा परीक्षा वैसी 88 शाखाओं में की गई जिनमें 31 मार्च 2009 को बैंक का 51% व्यवसाय होता था। बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढाँचे की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा लेखा - परीक्षा का काम 2009-10 में सर्ट-इन नामक सूचीबद्ध लेखा-परीक्षा फर्म ने किया।
- निरीक्षण / लेखा - परीक्षा कामकाज से भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण / एलएफएआर का समय पर अनुपालन भी सुनिश्चित होता है।

2.18 कंपनी अभिशासन

बैंक का विश्वास है कि कंपनी अभिशासन का सुदृढ़ सिद्धांत सफल संगठन की सफलता की कुंजी है। बैंक, कंपनी अभिशासन के सिद्धांत का पालन वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठता को परकरार रखते हुए, महत्वपूर्ण सूचनाओं का खुलासा करते हुए और निवेशकों के साथ प्रगाढ़ संबंध बना कर करता है। बैंक ने कंपनी अभिशासन की एक संहिता अपनायी है जिसका प्राथमिक लक्ष्य है बढ़िया प्रबंधन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीक और पूंजी पर्याप्तता के वांछित स्तर का अनुपालन और इस तरह अपने पणधारियों जैसे - ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार और समाज के हितों की पहरेदारी करना।

2.19 निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के तहत और भारत

process which is carried out to enhance the efficiency of the operating units of a bank in all respects while at the same time ensuring their sound functioning for the safety and security of bank's assets. Internal inspection aims to implement total adherence to prescribed systems, procedures and norms.

- Audits and Inspections are carried out in the bank as per the Board approved laid-down policy. The scope of internal inspection process is modified suitably on a continuous basis to cope with the ever changing scenario of Banking system. Under the new system, Internal Inspection focuses on risk-based audit of Bank's operating units. For the last three years, Risk Based Internal Audit of Branches is being conducted by Bank's own Inspectors. During 2009-10, Risk Based Internal Audit was conducted in 909 branches, 431 branches were subjected to Concurrent Audit and Migration Audit was conducted in 563 branches. The inspections of 16 Regional Offices were done during 2009-10.
- During the year, the IS Audit of CBS Branches was initiated. It has been conducted in 88 branches covering more than 51% of Bank's business as on 31st March, 2009. The IT Security Audit of the IT infrastructure of the Bank by CERT-In empanelled auditors was also initiated during the year 2009-10.
- Inspection/Audit function also ensured timely compliance of RBI Annual Financial Inspection/ LFIAR.

2.18 CORPORATE GOVERNANCE

The Bank believes that the sound principles of Corporate Governance are important key to be a successful organisation. The Bank ensures adherence to principles of Corporate Governance by maintaining integrity of financial reporting, disclosure of material information and sound investor relations. The Bank has adopted a Code of Corporate Governance with the primary aim to provide good management, adoption of prudent risk management techniques and compliance with the required standards of capital adequacy, thereby guarding the interest of its stake-holders, such as customers, employees, the Government and the society at large.

2.19 BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition



सरकार के गजट में की गई अधिसूचना के अनुसार किया गया है। निदेशक मंडल में फिलहाल निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं।

श्री भास्कर सेन - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस एल बंसल - कार्यपालक निदेशक

श्री संजीव कुमार जिंदल - भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

डॉ. नयना शर्मा - गैर सरकारी निदेशक

श्री सुप्रीत सरकार - अधिकारी - कर्मचारी निदेशक

श्री सौमित्र तलापात्र - कामगार कर्मचारी निदेशक

इस वर्ष निम्नलिखित निदेशक सेवा-निवृत्त हुए / पद छोड़ा :

श्री एस सी गुप्ता - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री टी. एम भसीन - कार्यपालक निदेशक

डॉ आर के अग्रवाल - सी. ए. निदेशक

श्री प्रवीण डावर - गैर सरकारी निदेशक

श्री एम ए अंसारी - गैर सरकारी निदेशक

श्रीमती अनुसूया शर्मा - गैर सरकारी निदेशक

श्री विश्वजीत काकोती - कामगार कर्मचारी निदेशक

निदेशक मंडल ने मंडल (बोर्ड) के कामों में उनके बहुमूल्य अवदान के प्रति आभार जताया और उनकी सराहना की।

निदेशक मंडल और समिति की बैठकें

2009-10 में निदेशक मंडल की 9 बैठकें हुईं जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नवत् है :

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति	-	13 बैठकें
निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति	-	11 बैठकें
निदेशक मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति	-	4 बैठकें
बड़ी जालसाजियों पर निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति की बैठक	-	4 बैठकें
निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति	-	4 बैठकें
निदेशक मंडल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति	-	4 बैठकें
निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति	-	1 बैठक
निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति	-	4 बैठकें

प्रस्तावित लाभांश

3 मई 2010 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में अनुशंसा की गई कि यदि शेयरधारकों और नियामक प्राधिकारियों का अनुमोदन मिले तो सभी शेयरधारकों - जिनके नाम सदस्यों के नाम वाली बही में अभिलिखित तारीख को दर्ज होंगे उन्हें 20 % अर्थात् 10/ प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर प्रति शेयर 2/- की

and Transfer of Undertaking) Act, 1970, and as per the Central Government Gazette Notification. Presently the Board comprises –

Sri. Bhaskar Sen – Chairman & Managing Director

Sri. S L Bansal – Executive Director

Sri. Sanjeev Kumar Jindal – GoI Nominee Director

Sri. Tulsidas Bandyopadhyay – RBI Nominee Director

Dr. Naina Sharma – Non-Official Director

Sri. Suprita Sarkar – Officer - Employee Director

Sri. Soumitra Talapatra – Workman Employee Director

During the Year the following directors retired/ demitted office –

Sri. S C Gupta – Chairman & Managing Director

Sri. T M Bhasin – Executive Director

Dr. R K Agrawal – CA Director

Sri. Praveen Davar – Non-Official Director

Sri. M A Ansari – Non-Official Director

Smt. Anusuya Sharma – Non-Official Director

Sri. Biswajit Kakoti – Workmen – Employee Director

The Board of Directors places on records its gratitude and appreciation for the valuable contribution made by them to the functioning of the Board.

BOARD & COMMITTEE MEETINGS

During 2009-10 the Board of Director had held 9 meetings. The details of committee meetings are as under –

Management Committee of the Board	-	13 meetings
Audit Committee of the Board	-	11 meetings
Risk Management Committee of the Board	-	4 meetings
Special Committee of the Board for monitoring Large Value frauds	-	4 meetings
Customer Service Committee of the Board	-	4 meetings
High Power Committee of the Board	-	4 meetings
Remuneration Committee of the Board	-	1 meeting
IT Sub-Committee of the Board of Directors	-	4 meetings

PROPOSED DIVIDEND

The Board of Directors at its meeting held on May 3, 2010 have recommended, subject to the approval of the shareholders and appropriate regulatory authorities, final dividend at the rate of 20 per cent i.e Rs. 2/- per equity share of face value of Rs. 10/-, to all equity shareholders of the Bank whose name appear on the



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

दर से लाभांश दिया जाए। इसके फलस्वरूप लाभांश और लाभांश कर पर 73.31 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल ग्राहकों से प्राप्त संरक्षण और सहयोग की सराहना करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और अन्य सभी नियामक एजेंसियों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बहुमूल्य मार्गदर्शन और उत्कृष्ट सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने हर स्तर के कर्मचारियों की प्रशंसनीय सेवाओं की सराहना करता है।

कृते निदेशक मंडल

(भास्कर सेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
तारीख : 3 मई 2010

Register of Member on the Record Date. This will entail an outgo of Rs.73.31 crore on account of Dividend and Dividend tax.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to place on record its appreciation of the patronage and cooperation received from the customers. The Board also likes to place on record the valuable guidance and excellent support extended by the Reserve Bank of India, Government of India, State Government of West Bengal, other regulatory agencies and all other State level financial institutions. The Board of Directors appreciates the commendable services of the employees at all levels.

For and on behalf of the
Board of Directors

(Bhaskar Sen)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata
Date: May 3, 2010



कंपनी अभिशासन 2009-10 पर युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. परिचय

यह बैंक शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अधिदेश द्वारा कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने का लक्ष्य रखता है। सभी पणधारियों सहित यह आपने ग्राहकों, शेयरधारियों, कर्मचारियों, आम जनता, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया

इस बैंक के लिए कम्पनी अभिशासन का तात्पर्य है दायित्वशील और मूल्य सृजन प्रबंधन और बैंक का नियंत्रण। बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल कराना केवल सांविधिक जरूरत ही नहीं है बल्कि अपने पणधारियों के सर्वाधिक हित में काम करने की प्रतिबद्धता पर भी आधारित है।

यह बैंक कम्पनी अभिशासन का एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिससे संगठन की धन उत्सर्जन क्षमता को दिशा दी जाती है और उस पर नियंत्रण रखा जाता है। यह बैंक शेयरधारियों के महत्व को उच्च स्थान देता है और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कारपोरेट विकास की जरूरतों को भी पूरा करता है। यह उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और अपने कार्यलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करने में अनुशासित नजरिया रखने में विश्वास करता है। यह निम्नवत् कारपोरेट उत्कृष्टता की उद्घोषणा कराना चाहता है -

- निर्धारित सिद्धांतों की सीमा में और भारत के कानूनी ढाँचे के भीतर रहते हुए शेयरधारियों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर।
- ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और सेवाएं देकर।
- कर्मचारियों, ग्राहकों और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उद्घोषणा करके।
- वस्तुतः सक्रिय और पूर्वग्रह मुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके।

यह बैंक स्वयं को शेयरधारियों और पणधारियों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। जिम्मेदारियों की यह अभिस्वीकृति उनके धन का सृजन और उसकी अभिरक्षा करते हुए देता है। यह बैंक इसे प्रभावी कारपोरेट रणनीति, सक्रिय व्यवसाय योजना, नीति और पद्धति की बढौलत अपनाता है ताकि नैतिक और विधिक दायित्वों को पूरा कर सके।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है जो कम्पनी अभिशासन (कारपोरेट गवर्नंस) की जरूरतों को पूरा करता है।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE 2009-10

1. Introduction

Bank aims to attain highest standard of Corporate Governance mandated by Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges. Bank remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

For United Bank of India, Corporate Governance stands for responsible and value creating management and control of the Bank. Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but are also based on its commitment to operate in the best interest of its stakeholders.

Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which Organizations are directed and controlled to enhance their wealth generating capacity. The Bank holds high the shareholder's values while also catering to the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It believes in high standard of ethical values, transparency, and disciplined approach to achieve excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by -

- Upholding shareholder's values within the principles and legal framework of the nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and society at large;
- Ensuring pro-active management free from any bias.

The Bank considers itself as a Trustee of the Shareholders and Stake holders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. Bank adopts this through efficient Corporate Strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy ethical and legal responsibilities.

3. Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 and Nationalised banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, which satisfies the requirements of Corporate Governance.



3.1 31 मार्च 2010 को निदेशक मंडल की संरचना

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2010

कार्यकारी EXECUTIVE	Two	
गैर कार्यकारी NON-EXECUTIVE	Five	(भारत सरकार द्वारा नामित, भा.रि. बैंक द्वारा नामित, कामगार कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी गैर कार्यालयीन गैर कार्यकारी) (GoI Nominee, RBI Nominee, Workmen Employee, Officer Employee, Non Official Non executive)
कुल / TOTAL	Seven.	

सभी निदेशक अपने क्षेत्र के विस्तृत और बहुविध ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग बैंक के विकास हेतु करते हैं।

फिलहाल यह बैंक संबंधित अधिनियम के खंड-49 का अनुपालन नहीं कर रहा जो बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में है। भारत सरकार ने 20 जनवरी 2010 को जारी पत्र सं.एफ.नं. 11/25/2005 - बीओए के मार्फत सूचना दी है कि जल्द ही इस बैंक के निदेशक मंडल में वांछित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठा रहीं है। भारत सरकार के इसी पत्र के आधार पर और इस बैंक द्वारा दिए गए इस परिवर्तन के आधार पर कि वह 01 जुलाई, 2010 तक अपने निदेशक मंडल में वांछित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर लेगा - सेबी और शेयर बाजारों ने इस बैंक के शेयरों को सूचीबद्ध होने की इजाजत दी है।

3.2. निदेशक मंडल का विवरण (31 मार्च 2010 के अनुसार)

The Directors have been contributing by sharing their vast and diversified knowledge, experience and expertise in their respective areas of specialization for the development of the Bank.

At present the Bank is not complying with the Provisions of Clause 49 pertaining to the required number of Independent Directors on the Board of the Bank. The Government of India has vide its letter F.No.11/25/2005-BOA dated January 20, 2010 has informed that it is taking necessary steps to appoint the requisite number of Independent Directors on the Board of the Bank shortly. SEBI and the Stock Exchanges on the basis of that letter and an undertaking given by the Bank that it will ensure the required numbers of Independent Director by July 1, 2010 have allowed the listing of Bank's Shares.

3.2 Particulars of Board of Directors as on March 31, 2010

क्रम सं. Sl. No.	निदेशकों के नाम Name of Director	पदनाम Designation	निदेशकत्व की प्रकृति Nature of Directorship	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख Date of Assuming Office
1	श्री भास्कर सेन Shri Bhaskar Sen	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	कार्यपालक Executive	01.03.2010
2	श्री टी एम भसीन Shri T. M. Bhasin*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	07.11.2007
3	श्री संजीव कुमार जिंदल Shri Sanjeev Kumar Jindal	नामिती - भारत सरकार Nominee - GOI	गैर - कार्यपालक Non-Executive	12.05.2009
4	श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय Shri Tulsidas Bandyopadhyay	नामिती - भारतीय रिजर्व बैंक Nominee - RBI**	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	27.02.2007
5	श्री सौमित्र तलापात्रा Shri Soumitra Talapatra	कामगार निदेशक Workmen Director	गैर - कार्यपालक Non-Executive	13.01.2010
6	श्री सुप्रित सरकार Shri Suprita Sarkar	अधिकारी कर्मचारी Officer Employee	गैर - कार्यपालक Non Executive	23.11.2007
7	डॉ नयना शर्मा Dr. Naina Sharma	गैर - कार्यालयीन निदेशक Non-official Director	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	15.07.2008



जीओआई - भारत सरकार

आरबीआई - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

* श्री टी. एम. भसीन, भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक नियुक्त हुए, देखें - अधिसूचना सं. एफ नं. 9/21/2006 - बी ओ. 1 दिनांक 07 नवंबर 2007।

** भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक को स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

- कोई भी निदेशक परस्पर सम्बद्ध नहीं है।
- गैर-कार्यपालक निदेशकों में श्री सुप्रित सरकार ने बैंक के 100 शेयर लिए हैं जिसे बैंक के आई.पी.ओ. में उन्हें आबंटित किया गया है। अन्य कोई गैर-कार्यपालक निदेशक बैंक का शेयर धारक नहीं है।
- कोई भी निदेशक अन्य किसी भी कंपनी / बैंक में किसी समिति-पद पर नहीं है।

वर्ष के दौरान नियुक्त / नामित निदेशकों का विवरण

श्री भास्कर सेन	: 01.03.2010 (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
श्री सौमित्र तलापात्र	: 13.01.2010.
श्री. संजीव कुमार जिंदल	: 12.05.2009.

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त / कार्यालय छोड़नेवाले निदेशकों का विवरण

क्रम सं. Sl. No.	निदेशकों के नाम Name of Director	पदनाम Designation	निदेशक का प्रकार Nature of Directorship	सेवानिवृत्ति / कार्यालय त्याग की तिथि Date of Retirement/ Vacation
01.	श्री टी. एम. भसीन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	31.03.2010
01.	Sri. T. M. Bhasin	Executive Director	Executive	
02.	श्री सतीश चंद्र गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	28.02.2010
02.	Sri. Satish Chander Gupta	Chairman & Managing Director	Executive	
03.	श्री आर के अग्रवाल	सी ए नामित निदेशक	गैर - कार्यपालक	01.01.2010
03.	Dr. R. K. Agrawal	CA Nominee Director	Non Executive	
04.	श्रीमती अनुसूया शर्मा	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर - कार्यपालक	01.01.2010
04.	Smt. Anusuya Sharma	Non-Official Director	Non Executive	
05.	श्री. प्रवीण डावर	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर - कार्यपालक	01.01.2010
05.	Sri. Praveen Davar	Non-Official Director	Non Executive	
06.	श्री. मंजूर अहमद अंसारी	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर - कार्यपालक	01.01.2010
06.	Sri. Manzoor Ahmed Ansari	Non-Official Director	Non Executive	
07.	श्री विश्वजीत काकोति	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर - कार्यपालक	15.09.2009
07.	Sri. Biswajit Kakoti	Workmen Employee Director	Non Executive	

GOI – Government of India

RBI - Reserve Bank of India

*Shri T. M. Bhasin was appointed as Executive Director of the Bank by Government of India vide notification No.F.No.9/21/2006-BO.I dated. 7th November 2007.

** RBI Nominee Director is considered as Independent Director.

- None of the Directors are related inter-se.
- Among the non-executive directors, Sri. Suprita Sarkar holds 100 shares of the Bank allotted to him in the IPO of the Bank. None of the other Non-Executive Directors are holding any shares of the Bank.
- None of the Directors occupies any Committee position in any other Company / Bank.

Particulars of Directors Appointed / Nominated during the year:

Shri Bhaskar Sen	: 01.03.2010 (Chairman & Managing Director).
Shri Soumitra Talapatra	: 13.01.2010.
Shri Sanjeev Kumar Jindal	: 12.05.2009.

Particulars of Directors Retired/Vacated office during the Year



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

3.3 दिनांक 31.03.2010 तक बैंक के बोर्ड में विद्यमान निदेशकों का प्रोफाइल

3.3 Profile of Directors on the Board of the Bank as on 31.03.2010

नाम NAME	भास्कर सेन SHRI BHASKAR SEN
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	09.12.1952 09.12.1952
आयु AGE	57 वर्ष 57 years.
योग्यता QUALIFICATION	बी. कॉम (ऑनर्स, प्रथम श्रेणी), सी.ए.आई. आई. बी B.CoM (Hons. 1st. Class) CAIIB.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक । बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त, देखें - अधिसूचना सं. एफ. नं. 9/12/2009 - बीओ. 1/दिनांक 25.01.2010 Chairman & Managing Director Appointed as Chairman and Managing Director of the Bank by Government of India, under sub section 3(a) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 /1980 vide notification No. F.No.9/12/2009- BO.I dated 25th January 2010.
अनुभव EXPERIENCE	राष्ट्रीयकृत बैंक में 35 वर्ष से कार्यरत । Employed in Nationalised Bank for 35 years.

नाम NAME	टी. एम. भसीन SHRI T.M. BHASIN
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	23.05.1956 23.05.1956
आयु AGE	53 वर्ष 53 years.
योग्यता QUALIFICATION	एम.एस.सी. (बॉटनी-गोल्ड मेडलिस्ट), एल. एल. बी., सी.ए.आई.आई.बी., एम.बी.ए., (वित्तपोषण), क्रिमिनॉलाजी एंड फॉरेन्सिक साइन्स में डिप्लोमा, आफिस ऑर्गनाइजेशन एंड प्रोसिड्योर में डिप्लोमा। M.Sc (Botany-Gold MEDALIST) LLB, CAIIB, MBA (Finance), Diploma in Criminology and Forensic Science, Diploma in Office Organisation and Procedure.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	कार्यपालक निदेशक । बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक नियुक्त, देखें - अधिसूचना सं. एफ. नं. 9/21/2006 - बी ओ. 1/दिनांक 07.11.2007 Executive Director Appointed as Executive Director of the Bank by Government of India, under sub section 3(a) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 /1980 vide notification No. F.No.9/21/2006-BO.I dated 7th November 2007.
अनुभव EXPERIENCE	राष्ट्रीयकृत बैंक में 32 वर्ष से कार्यरत । Employed in Nationalised Bank for 32 years.



नाम NAME	श्री संजीव कुमार जिंदल SHRI SANJEEV KUMAR JINDAL
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	12.10.1965 12.10.1965
आयु AGE	44 years. 44 वर्ष
योग्यता QUALIFICATION	बी. कॉम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम बी ए - स्पेशियलाइजेशन इन फिनान्स), मास्टर इन प्रोग्राम ऑफ इन्टरनेशनल डेव. पॉलिसी । B.Com., Master of Business Administration (MBA- Specialization in Finance), Master in Programme on International Dev. Policy .
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (क) के उपखंड (ख) के अंतर्गत 12.05.2009 से अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक नियुक्त, देखें - भारत सरकार का अधिसूचना सं. एफ. नं. 9/7/2007 - बी ओ. दिनांक 12.05.2009 Govt. of India nominated Director. Appointed as Part time Non-official Director under sub clause(b) of Sub Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1980 with effect from 12th. May 2009 vide Government of India notification No.F.No.9/7/2007-BO.I dated 12th May 2009.
अनुभव EXPERIENCE	केंद्रीय सचिवालय सेवा में 1991 में कार्यभार ग्रहण । केंद्रीय सरकार की सेवा में 19 वर्ष । Joined in Central Secretariat Service in 1991. In service with Central Govt. for 19 years.

नाम NAME	श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय SHRI TULSIDAS BANDYOPADHYAY
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	11.10.1940 11.10.1940
आयु AGE	69 वर्ष 69 yrs.
योग्यता QUALIFICATION	एम. ए., सी. ए. आई. आई. बी. MA, CAIIB.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9 की उपधारा 3 के उपखंड (ग) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक । देखें - सरकारी अधिसूचना सं.एफ. नं. 9/2/2007 - बी. ओ. दिनांक 27.02.2007. वे लिस्टिंग एग्रीमेन्ट के खंड 49 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक हैं । Reserve Bank of India Nominated Director in terms of Clause (c) of subsection 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006 vide Govt. Notification No. F.No.9/2/2007-BO.I dated 27th February 2007. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	सी जी एम के पद से सेवा निवृत्ति के पहले भारतीय रिजर्व बैंक में 35 वर्ष तक कार्य किया । Employed with RBI for 35 yrs. before retiring as CGM



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

नाम NAME	श्री सुप्रित सरकार SHRI SUPRITA SARKAR
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	05.03.1952 05.03.1952
आयु AGE	58 वर्ष 58 years.
योग्यता QUALIFICATION	एम. ए., सी ए आई आई बी MA, CAIIB.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	अधिकारी कर्मचारी निदेशक । बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के उपखंड (च) के तहत 23.11.2007 से नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक नियुक्त, देखें - भारत सरकार का अधिसूचना सं. एफ. नं. 9/34/2003-बी ओ. I दिनांक 23.11.2007. Officer Employee Director Nominated as Officer Employee Director under Sub clause(f) of Sub Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1980 with effect from 23rd. November 2007 vide Government of India notification No. F.No. 9/34/2003 BO.I dated 23rd November 2007.
अनुभव EXPERIENCE	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विगत 37 वर्षों से कार्यरत । Employed in United Bank of India for last 37 years.

नाम NAME	श्री सौमित्र तलापात्र । SHRI SOUMITRA TALAPATRA
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	01.04.1955 01.04.1955
आयु AGE	55 वर्ष 55 years.
योग्यता QUALIFICATION	बी. ए. B.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के उपखंड (ड.) के तहत 13.01.2010 से कामगार कर्मचारी निदेशक नियुक्त, देखें - भारत सरकार का अधिसूचना सं. एफ. नं. 9/38/2009-बी ओ. I दिनांक 13.01.2010. Workmen Employee Director Appointed as Workmen Employee Director under sub clause(e) of Sub Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1980 with effect from 13.01.2010 vide Government of India notification No.F.No.9/38/2009- BO-I dated 13th January 2010.
अनुभव EXPERIENCE	बैंक में विगत 29 वर्षों से कार्यरत । Employed in Bank for last 29 years.



नाम NAME	डॉ. नयना शर्मा । DR. NAINA SHARMA
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	21.05.1953 21.05.1953
आयु AGE	56 वर्ष 56 years.
योग्यता QUALIFICATION	समाज विज्ञान में पी - एच. डी. PhD in Sociology
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	डॉ. नयना शर्मा बैंक के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक हैं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। Dr. Naina Sharma is the part-time non-official director of the Bank. She is working as a Professor in the University of Rajasthan.
अनुभव EXPERIENCE	15 वर्षों से अधिक का शिक्षण-अनुभव Teaching experience of more than 15 years.

3.4 बोर्ड की बैठक

आलोच्य वर्ष में निर्मांकित तिथियों को बोर्ड की 9 बैठकें आयोजित हुईं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 12 में न्यूनतम 06 बैठकों का प्रावधान है।

29.4.09	26.06.09	30.7.09	9.09.09	30.10.09	23.12.09
19.01.10	24.02.10	27.03.10			

बोर्ड की बैठकों में अपने कार्यकाल के दौरान निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निर्मांकित है :-

बोर्ड में बैठकों में उपस्थिति की अनुसूची

	निदेशक Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	कितनी बैठकों में भाग लिया Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1	Sri. S.C. Gupta / श्री एस सी गुप्ता	8	8	
2.	Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	1	1	
3.	Sri. T.M. Bhasin / श्री टी एम भसीन	9	9	
4.	Sri.Tulsidas Bandyopadhyay / श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	9	9	
5.	Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	8	5	3
6.	Dr. R K Agrawal / डॉ. आर के अग्रवाल	6	6	
7.	Dr. Naina Sharma / डॉ. नयना शर्मा	9	9	
8.	Sri. Praveen Davar / श्री. प्रवीण डावर	6	6	
9.	Smt. Anusuya Sharma / श्रीमती अनुसूया शर्मा	6	6	
10	Sri. M. A. Ansari / श्री एम ए अन्सारी	6	6	
11.	Sri. Suprita Sarkar / श्री सुप्रित सरकार	9	8	1
12.	Sri. Soumitra Talapatra / श्री सौमित्र तलापात्र	3	3	
13.	Sri. Biswajit Kakoti / श्री विश्वजीत काकोती	4	4	

3.4 Board Meeting

During the year under review, 9 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Schedule of Attendance at the Board Meetings



4. बोर्ड की समितियां

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुरूप बोर्ड ने निदेशकों की निम्नांकित समितियां गठित की हैं। ये समितियां अपने कार्य-क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करती हैं। ये समितियां निम्नांकित हैं।

1. प्रबंधन समिति
2. लेखा परीक्षा समिति
3. शेयर धारकों की समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. अधिक मूल्य की जालसाजियों की समीक्षा करनेवाली समिति
6. ग्राहक सेवा समिति
7. विभागीय पदोन्नति समिति
8. पारिश्रमिक समिति
9. उच्चाधिकार समिति
10. बोर्ड की सूचमा प्रौद्योगिकी उप-समिति

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड - 13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है।

प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में निम्नांकित निदेशक होते हैं।

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक और श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से
2. कार्यपालक निदेशक - श्री टी एम भसीन
3. निदेशक (भा. रि. बैंक के नामिती) - श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय
4. दो निदेशक (गैर - कार्यपालक) - इनकी नियुक्ति कामगार, अधिकारी - कर्मचारी नामिती अथवा बोर्ड द्वारा नामित गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच से बारी-बारी से 6 माह के लिए होती है। श्रीमती अनुसूया शर्मा (गैर कार्यपालक) 26.04.2009 से डॉ. नयना शर्मा (गैर-कार्यपालक) - 26.10.2009 से।
5. सी. ए. निदेशक (नामिती) श्री आर. के. अगरवाल 01.01.2010 तक

आलोच्य अवधि के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एम सी बी) की 13 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की बैठकों एवं निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नांकित है :-

29.04.09	06.06.09	29.06.09	30.07.09	22.08.09	09.09.09
14.10.09	30.10.09	23.11.09	23.12.09	19.01.10	24.02.10
27.03.10					

4. Committees of the Board

In line with the requirements of SEBI and RBI, the Board has constituted the following Committee of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines of SEBI and RBI. The Board constituted the following committees:

1. Management Committee
2. Audit Committee
3. Shareholders' Committee
4. Risk Management Committee
5. Committee to Review High Value Frauds
6. Customer Service Committee
7. Departmental Promotion Committee
8. Remuneration Committee
9. High Powered Committee
10. IT Sub Committee of Board

4.1 Management Committee of the Board

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause-13 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India.

The Management Committee comprised of the following Directors as members.

1. Chairman & Managing Director – Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010
2. Executive Director – Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
3. Director (RBI Nominee) – Sri. Tulsidas Bandyopadhyay
4. Two Directors (Non-Executive) – appointed from amongst from the Workmen, Officer Employee Nominee or Non Executive Directors, nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis – Smt. Anusuya Sharma (Non Executive) w.e.f. 26.04.2009, Dr. Naina Sharma (Non Executive) w.e.f. 26.10.2009.
5. C.A. Director (Nominee) – Sri R.K. Agrawal upto 01.01.2010

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 13 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of director members are as detailed below:



4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

4.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings

निदेशक का नाम Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1. Sri. S.C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	12	12	
2. Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	1	1	
3. Sri. T. M. Bhasin / श्री टी. एम. भसीन	13	13	
4. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay / श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय	13	13	
5. Dr. R K Agrawal / डॉ. आर. के. अग्रवाल	10	10	
6. Dr Naina Sharma / डॉ नयना शर्मा	6	6	
7. Sri. Suprita Sarkar / श्री सुप्रित सरकार	13	12	1
8. Smt. Anusuya Sharma / श्रीमती अनुसूया शर्मा	7	7	

प्रबंधन समिति के कार्य

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्यों पर विचार करने के लिए किया गया है जैसे - अधिक मूल्य के प्रस्तावों का अनुमोदन, नई जमा योजनाएं चालू कराना, निधि - आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सीमाओं की मंजूरी, समझौता / बट्टा खाता कराना, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों, परिसर, निवेश, दान इत्यादि की मंजूरी। समिति आर्जक अस्तियों का संचलन, ट्रेजरी परिचालन तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करती है। समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करती है। समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है।

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप तथा कंपनी अभिशासन की मूल बातों के संबंध में बैंक ने मूलतः 26 जून 1995 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन किया जिसे समय - समय पर पुनर्गठित किया गया। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति निर्देश देती है तथा बैंक के वित्त एवं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन पर्यवेक्षण करती है। इसके कार्यों में संगठन की निगरानी, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बैंक के अंतर्गत निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा-परीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों में संपर्क-कार्य शामिल हैं। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय ज्ञान प्राप्त है।

Functions of Management Committee

Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like approval of high-value proposals, introduction of new deposit schemes, sanction of limits whether fund based or non-fund based above a specified amount, compromise/write-off, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The committee also reviews the performances in key areas like NPA movement, Treasury operations and other important matters as referred to it by the Board. The committee exercises such powers as may be delegated by the Board with the approval of Central Government and in concurrence to RBI guidelines.

4.2 Audit Committee of the Board

In pursuance of the provisions of the directives of Reserve Bank of India, and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally framed its Audit Committee of the Board (ACB) on June 26, 1995 which was reconstituted from time to time. The ACB provides direction and reviews the financial and internal control of the bank. Its roles encompass monitoring organisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and liaisoning with the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

कंपनी अभिशासन के मूल बातों को स्वीकार करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें अध्यक्ष के रूप में वित्त के जानकार गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के साथ 04 निदेशक हैं।

लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

1. नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, गैर कार्यपालक - स्वतंत्र अध्यक्ष - श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय।
2. कार्यपालक निदेशक - श्री टी. एम. भसीन - 31.03.2010 तक
3. नामिती निदेशक, भारत सरकार, गैर कार्यपालक - श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से
4. निदेशक, गैर कार्यपालक स्वतंत्र - डॉ. नयना शर्मा - 30.10.2009 से
5. सी. ए. निदेशक (नामिती) श्री आर. के. अग्रवाल - 01.01.2010 तक
6. गैर कार्यपालक निदेशक श्री मंजूर अहमद अंसारी - 20.10.2009 तक

श्री एस. महापात्र, महापात्र, महाप्रबंधक - निरीक्षण, लेखा परीक्षा समिति की बैठक के संयोजक हैं।

बैंक के बोर्ड के सी ए - निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल 01.01.2010 को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा मंत्रालय द्वारा उनके स्थान पर सी ए - निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्य निम्नांकित हैं :-

- ❖ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित कराना।
- ❖ लेखा नीतियों एवं व्यवहारों, लेखा मानकों, वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की योग्यता, शेयर बाजार अनुपालन तथा वित्तीय संस्था विषयक पार्टी लेनदेन संबंधी कानूनी अपेक्षाओं इत्यादि के अनुपालन पर विशेष बल देते हुए प्रबंधन के साथ तामाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा कराना।
- ❖ संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा कराना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता लक्षित होने पर नियंत्रण-तंत्र को मजबूत करने हेतु सुझाव देना।

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of 4 Directors with Non-Executive Independent Director with financial knowledge as the chairman of the Committee.

The Audit Committee consists of the following Directors as members.

1. Nominee Director, Reserve Bank of India, Non Executive-Independent as Chairman – Sri. Tulsidas Bandyopadhyay.
2. Executive Director – Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
3. Nominee Director, Government of India, Non Executive – Sri. Sanjeev Kumar Jindal w.e.f. 12.05.2009
4. Director, Non-Executive Independent – Dr. Naina Sharma w.e.f. 30.10.2009
5. C.A. Director (Nominee) – Sri R.K. Agrawal upto 01.01.2010
6. Non-Executive Director – Sri. Manzoor Ahmed Ansari upto 29.10.2009

S. Mahapatra, General Manager – Inspection is the convenor of the Audit Committee meetings.

The CA-Director on the Board of the Bank Sri. R. K. Agrawal has retired on 01.01.10 and the appointment of CA-Director in his place by the Ministry is awaited.

The functions of Audit Committee include the following:

- ❖ Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- ❖ Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with Stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transaction, etc.
- ❖ Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism.



- ❖ वार्षिक/अर्धवार्षिक एवं तिमाही लेखा और रिपोर्टों के अंतिम रूप दिए जाने के पहले लेखा नीतियों एवं व्यवहारों में परिवर्तन, मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के गुणों को केंद्र में रखकर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श कराना।
- ❖ जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों की देखभाल कराना।
- ❖ सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा कराना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर उनसे चर्चा तथा अनुवर्तन करना।
- ❖ समिति मुख्यतः निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है :-
 - क) अंतर शाखा समायोजन लेखा
 - ख) अंतर शाखा खाता एवं नोस्ट्रो खाता की असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
 - ग) विभिन्न शाखाओं में बही-संतुलन संबंधी बकाया कार्य
 - घ) जालसाजी
 - ड) मुख्य क्षेत्र एवं आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था
- ❖ Interacts with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual/half-yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, etc;
- ❖ Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, debenture holders and creditors, if any.
- ❖ Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors any significant findings and follow up thereon.
- ❖ The Committee specially focuses on the follow up on:
 - a) Inter Branch Adjustment Accounts
 - b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
 - c) Arrears in balancing of books at various branches.
 - d) Frauds and
 - e) Major areas of housekeeping.

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार लेखा परीक्षा समिति की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए तथा एक वर्ष में न्यूनतम छः बार से कम नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें निम्नांकित तिथियों को आयोजित हुई :-

29.4.09	27.6.09	30.7.09	21.8.09	9.9.09	30.10.09
31.10.09	7.11.09	24.12.09	19.1.10	20.3.10	

लेखा परीक्षा समिति डॉ. आर. के. अग्रवाल (सेवा निवृत्त), कार्यपालक निदेशक, श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती), श्री संजीव कुमार जिंदल (भारत सरकार के नामिती निदेशक) एवं श्री एम. ए. अंसारी - जिन्होंने दो वर्षों की अवधि पूरी की थी - को मिलाकर गठित की गई।

As per the requirement of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinary be held at least once in a quarter and not less than six times a year. During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates

Audit Committee was constituted with Dr. R K Agrawal (since retired), ED, Sri. Tulsidas Bandyopadhyay (RBI Nominee), Sri. Sanjeev Kumar Jindal (GOI Nominee Director) and Sri. M A Ansari. It was reconstituted w.e.f 30.10.09 with the inclusion of Dr. Naina Sharma in place of Sri. M A Ansari - who had completed two years of tenure.



4.2.1. ए सी बी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

	निदेशक का नाम Name of Director	उनकी कार्य अवधि के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठक में सहभागिता Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1	Sri. R K Agrawal / श्री आर. के. अग्रवाल	9	9	
2.	Sri. T M Bhasin / श्री टी. एम. भसीन	11	11	
3.	Sri. T Bandyopadhyay / श्री टी. बंद्योपाध्याय	11	11	
4.	Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	10	6	4
5.	Dr. Naina Sharma / डॉ. नयना शर्मा	6	6	
6.	Sri. M A Ansari / श्री एम. ए. अन्सारी	5	5	

4.2.1 Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings

4.3 शेयरधारक समिति (निवेशकों की शिकायत समिती के रूप में कार्यरत)

शेयरधारकों की समिती, कार्यसूची मद सं. टी आई बी ए - 17 के अनुसार डॉ. नयना शर्मा - अध्यक्ष, श्री सुप्रित सरकार, अधिकारी कर्मचारी निदेशक एवं श्री टी एम भसीन, कार्यपालक निदेशक को मिलाकर 23 दिसंबर 2009 को गठित की गई। जैसा कि 18.3.2010 को शेयर लिस्ट किए गए थे और उसे संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

समिति के निम्नलिखित कार्य हैं :-

- यह सुनिश्चित करना कि स्थानांतरण, उप-विभाजन, पुनर्क्रियान्वयन, समेकन एवं नवीकरण की स्थिति में प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जाते हैं।
- निवेशक शिकायत तंत्र की निगरानी करना तथा समय पर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।

4.4 जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिना निदेशानुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 04 सितंबर 2004 को हुआ तथा बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यनीति तैयार करने के लिए समय समय पर उसका पुनर्गठन किया गया।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक तथा श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से
- कार्यपालक निदेशक - श्री टी. एम. भसीन - 31.03.2010 तक
- आर बी आई नामिती निदेशक - श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय
- गैर - कार्यालयीन निदेशक - श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से (भारत सरकार के नामिती निदेशक)

4.3 Shareholders Committee (functions as Investors Grievance Committee)

Shareholders Committee was constituted on 23rd. December 2009 vide Agenda Item no TIBA -17 with Dr. Naina Sharma as Chairperson, Sri. Suprita Sarkar, Officer Employee Director and Sri. T M Bhasin, Executive Director. As the shares was listed only on 18.03.2010, there being no such grievance, the Committee has not met during the Current FY.

The functions of the Committee are as follows:-

- To ensure certificates are issued within the time frame in cases of transfers, sub-divisions, rematerialisations, consolidations and renewals.
- To monitor investor grievance mechanism and to ensure redressal in a time-bound manner.

4.4 Risk Management Committee:

In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, the Risk Management Committee of the Board was constituted on September 04, 2004 and reconstituted from time to time with a view to devise Bank's Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management.

Risk Management Committee of the Board consists of the following members

- Chairman & Managing Director - Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010
- Executive Director - Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
- RBI Nominee Director- Sri. Tulsidas Bandyopadhyay.
- Non Official Director- Shri Sanjeev Kumar Jindal (GOI Nominee Director) w.e.f. 12.05.2009.



समिति के कार्य

1. जोखिम प्रबंधन नीति एवं एकीकृत प्रबंधन की कार्यनीति तैयार करना तथा बैंक की विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों का संयोजन करना
2. जोखिम मापन की नीति एवं दिशा निर्देश तैयार करना
3. जोखिम के सभी क्षेत्रों का प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग करना
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (जन, पद्धति, परिचालन, सीमा एवं नियंत्रण समेत) बैंक की नीति के अनुरूप है।
5. जोखिम परिकलन हेतु प्रयोग किए जा रहे वित्तीय प्रतिमानों की मजबूती एवं सभी पद्धतियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों का ब्यौरा :-

26.6.09	9.09.09	23.12.09	24.02.10
---------	---------	----------	----------

4.4.1 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

निदेशक का नाम Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1. Sri. S. C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	4	4	
2. Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	-	-	
3. Sri. T. M. Bhasin / श्री टी. एम. भसीन	4	4	
4. Sri. Tulsidas Bandopadhyay / श्री तुलसी दास बंदोपाध्याय	4	4	
5. Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	4	3	1

4.5 अधिक मूल्य की जालसाजी की समीक्षा हेतु समिति

रूपये एक करोड़ एवं इससे अधिक की जालसाजी की निगरानी पर केंद्रीभूत रूप से ध्यान देते हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड की समिति बनाई गई है।

समिति का गठन इस प्रकार है :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक तथा श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से
2. कार्यपालक निदेशक - श्री टी. एम. भसीन - 31.03.2010 तक
3. गैर-कार्यालयीन निदेशक - श्री सुप्रित सरकार (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)
4. भारत सरकार का नामिती निदेशक - श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से
5. गैर कार्यपालक गैर कार्यालयीन निदेशक - डॉ. नयना शर्मा

Functions of the Committee

1. To devise the Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committee in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

Details of the meetings of the Risk Management Committee

4.4.1 Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

4.5 Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of rupees one Crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The composition of the Committee is as under -

1. Chairman & Managing Director - Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010
2. Executive Director - Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
3. Non Official Director - Sri. Suprita Sarkar (Officer Employee Director)
4. GOI Nominee Director - Sri. Sanjeev Kumar Jindal w.e.f. 12.05.2009.
5. Non Executive Non Official Director - Dr. Naina Sharma



6. गैर कार्यालयीन निदेशक - श्री प्रवीण डावर, 01.01.2010 तक तथा श्री सौमित्र तलापात्र (कामगार कर्मचारी निदेशक) 27.03.2010 से
 7. कामगार कर्मचारी निदेशक - श्री विश्वजीत काकोति - 15.09.2009 तक
- श्री सौमित्र तलापात्र 27.03.2010 को आयोजित बैठक में समिति में शामिल किए गए।

समिति की बैठकों का ब्यौरा

समीक्षाधीन वर्ष में समिति की निम्नांकित चार बैठकें हुईं।

26.06.09	30.07.2009	30.10.2009	27.03.10.
----------	------------	------------	-----------

4.5.1 अधिक मूल्य की जालसाजी की समीक्षा हेतु गठित समिति के निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा।

निदेशक का नाम Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में सहभागिता Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1. Sri. S. C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	3	3	
2. Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	1	1	
3. Sri. T. M. Bhasin / श्री टी. एम. भसीन	4	4	
4. Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	4	3	1
5. Dr. Naina Sharma / डॉ. नयना शर्मा	1	1	
6. Sri. Praveen Davar / श्री प्रवीण डावर	3	3	
7. Sri. Suprita Sarkar / श्री सुप्रित सरकार	2	1	1
8. Sri. Biswajit Kakoti / श्री विश्वजीत काकोती	1	1	
9. Sri. Soumitra Talapatra / श्री सौमित्र तलापात्र	1	1	

4.5.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 24.02.2010 को बोर्ड द्वारा ग्राहक सेवा समिति गठित की गई है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :-

ग्राहक सेवा समिति के कार्य :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	: श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक तथा श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010
2. कार्यपालक निदेशक Executive Director	: श्री टी. एम. भसीन - 31.03.2010 तक Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
3. आर बी आई नामिती निदेशक RBI Nominee Director	: श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय Sri. Tulsidas Bandyopadhyay.
4. कामगार निदेशक Workmen Director	: श्री विश्वजीत काकोति - 15.09.2009 तक और श्री सौमित्र तलापात्र - 24.02.2010 से Sri Biswajit Kakoti upto 15.09.2009 and Sri. Soumitra Talapatra w.e.f.24.02.2010
5. ग्राहक प्रतिनिधि Representative of Customers	: डॉ. नयना शर्मा (गैर कार्यालयीन स्वतंत्र निदेशक) 24.02.2010 से Dr. Naina Sharma (Non-Executive independent Director) w.e.f.24.02.2010
6. गैर कार्यालयीन निदेशक Non Executive Director	: श्रीमती अनुसूया शर्मा - 01.01.2010 तक Smt. Anusuya Sharma upto 01.01.2010

4.6 Customer Service Committee:

Pursuant to directives of RBI, Customer Service Committee has been reconstituted by the Board on February 24, 2010, with the following members.

The Functions of the Customer Service Committee



बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति से निम्नांकित अपेक्षाएं हैं :-

1. ग्राहक संबंधी प्रक्रिया एवं निष्पादन लेखा परीक्षण विषयक बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण ।
2. किसी दिवंगत जमाकर्ता के खाते के परिचालन के संबंध में की जानेवाली कार्रवाई, उत्पाद अमुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण एवं वैसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा जैसी मदों को शामिल करते हुए व्यापक जमा नीति के निरूपण की देखरेख ।
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नए उपाय करना एवं
4. सभी समय सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक संतुष्टि स्तर को उन्नत करना ।

समिति की बैठकों का ब्यौरा

समीक्षाधीन वर्ष में समिति की निम्नांकित 04 बैठकें हुई :

26.6.09	9.09.09	23.12.09	27.03.10		
---------	---------	----------	----------	--	--

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, आर बी आई के नामिती निदेशक, कामगार कर्मचारी निदेशक - श्री विश्वजीत काकोती (अब सेवानिवृत्त) एवं श्रीमती अनुसूया शर्मा - गैर कार्यालयीन निदेशक (अब सेवानिवृत्त) को मिलाकर समिति का गठन किया गया । 24.02.2010 को समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्रीमती नयना शर्मा (गैर-कार्यालयी गैर-कार्यपालक निदेशक) एवं श्री सौमित्र तलापात्र (कामगार कर्मचारी निदेशक) को शामिल किया गया । सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे ।

4.6.1 ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

	निदेशक का नाम Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में सहभागिता Meetings Attended
1	Sri. S. C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	3	3
2.	Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	1	1
3.	Sri. T. M. Bhasin / श्री टी. एम. भसीन	4	4
4.	Sri. Tulsidas Bandyopadhyay / श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय	4	4
5.	Sri. Biswajit Kakoti / श्री विश्वजीत काकोती	2	2
6.	Smt. Anusuya Sharma / श्रीमती अनुसूया शर्मा	3	3
7.	Sri. Soumitra Talapatra / श्री सौमित्र तलापात्र	1	1
8.	Dr. Naina Sharma / डॉ. नयना शर्मा	1	1

4.7 विभागीय पदोन्नति समिति

वरीय प्रबंधन संवर्ग स्केल - VI एवं उपर के कार्यपालकों की स्थिति की समीक्षा हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1982 के विनियमन 19(2) के अनुसार एक विशेष

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer.
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of operations of a depositor's account after his death, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service; and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

Details of Meetings of the Committee

The Committee met 4 times during the period under review as under :

Committee was constituted including CMD, ED, RBI Nominee Director, Workmen Employee Director- Shri Biwajit Kakoti (since retired.) and Smt. Anusuya Sharma – Non executive Director(since retired.). Committee was reconstituted on 24.02.2010 with the inclusion of Smt. Naina Sharma (Non Executive Director) and Shri Soumitra Talapatra (Workmen Employee Director.). All members were present at all the meetings.

4.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

4.7 Departmental Promotion Committee

A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-VI and above. The Committee oversees



समिति बनाई गई। यह समिति बैंक के सर्वोच्च कार्यापालकों (स्केल VII) के अनुशासनात्मक मामलों एवं उनकी पदोन्नति का पर्यवेक्षण करती है।

समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं -

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक तथा श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से

भारत सरकार के नामिती निदेशक - श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से

आर बी आई नामिती निदेशक - श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय

समिति के कार्य

55 वर्ष की आयु पूरी करने पर किसी भी समय अथवा उसके बाद कुल 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद किसी भी समय अधिकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की समीक्षा के उद्देश्य से समिति का गठन हुआ था।

समिति की बैठकों का ब्यौरा

समीक्षाधीन वर्ष में समिति की निम्नांकित 01 बैठक हुई

26.06.2009

4.7.1. विभागीय पदोन्नति समिति के निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

	निदेशक का नाम Name of Director	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में सहभागिता Meetings Attended
1.	Sri. S. C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	1	1
2.	Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	-	-
3.	Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	1	1
4.	Sri. Tulsidas Bandopadhyay/श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	1	1

4.8 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिसूचना एफ सं. 20/01/2005 - बी ओ आई दिनांक 09.03-2007 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन युक्त-प्रोत्साहन के हकदार हैं। यह लक्ष्यों के उद्देश्य के विवरण एवं गुणात्मक प्रतिमानों तथा विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में बेंचमार्क आधारित निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु निर्धारित व्यापक मात्रात्मक प्रतिमानों की प्राप्ति के अध्याधीन है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक के देय निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन हेतु 26.04.2007 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यपालक /स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड /समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा एवं ठहरो संबंधी व्यय के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक

disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

The committee comprises of –

Chairman & Managing Director – Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010

GoI Nominee Director – Sri. Sanjeev Kumar Jindal w.e.f. 12.05.2009

RBI Nominee Director – Sri. Tulsidas Bandyopadhyay

Functions of the Committee

It was constituted for the purpose of review and retirement of officer employees on or at any time after the completion of 55 years of age or at any time after completion of 30 years of total service.

Details of the Meetings of the Committee

The Committee met once during the period under review as under :

4.7.1 Details of Attendance of the Directors at the Departmental Promotion Committee

4.8 Remuneration Committee

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F. No. 20/1/2005 – BOI dated 9th March 2007, whole-time directors of Public Sector Banks are entitled to Performance Linked incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year.

As per the directives of Government of India Remuneration Committee of the Board was constituted on April 26, 07 to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors

The non-executive/independent Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, travelling and halting expenses for attending



नहीं दिया जाता है।

समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :

1.	सरकार नामिती निदेशक Government Nominee Director	:	समिति के अध्यक्ष - श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से Chairman of the Committee - Sri. Sanjeev K Jindal w.e.f. 12.05.2009
2.	आर बी आई नामिती निदेशक RBI Nominee Director	:	सदस्य - श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय Member- Sri. Tulsidas Bandyopadhyay
3.	सी. ए. नामिती निदेशक C.A Nominee Director	:	सदस्य - डॉ. आर. के. अग्रवाल - 01.01.2010 तक Member - Dr. R K Agrawal upto 01.01.2010
4.	गैर कार्यालयीन निदेशक Non Official Director	:	सदस्य - श्री प्रवीण डावर - 01.01.2010 तक Member - Sri. Praveen Davar upto 01.01.2010.

the meetings of the Board/Committees as per the guidelines of Government of India.

The Committee consists of the following members:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को वर्ष 2009-10 के दौरान प्रदत्त निष्पादनयुक्त प्रोत्साहन समेत पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नांकित है :-

The details of remuneration including performance linked incentive paid to CMD and ED during the year 2009-2010 is detailed below:

नाम Name	अवधि Period	वेतन एवं भत्ते Salary & Allowances	प्रोत्साहन Incentive (08-09)
श्री एस सी गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.C. Gupta, CMD	01.04.2009 से 28.02.2010 01.04.2009 to 28.02.2010	Rs.1174453/-	Rs.321461/-
श्री टी एम भसीन, कार्यपालक निदेशक Shri T.M. Bhasin, ED	01.04.2009 से 31.03.2010 01.04.2009 to 31.03.2010	Rs.1132642/-	Rs.650000/-
श्री बी सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri B. Sen, CMD	01.03.2010 से 31.03.2010 01.03.2010 to 31.03.2010	Rs.95885/-	-

26 जून, 2009 को समिति की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

The Committee met on 26th June 09 at which all members were present.

4.9 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

बैंक के कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों - सतर्कता एवं गैर-सतर्कता संबंधी मामलों - की समीक्षा हेतु समिति गठित की गई है जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं :-

4.9 High Powered Committee:

This committee has been constituted comprising of following members to review disciplinary cases of the employees of the Bank for both vigilance and non-vigilance cases.

वर्तमान स्थिति :

Present composition:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	- Chairman of the Committee	- श्री एस. सी. गुप्ता - 28.02.2010 तक तथा श्री भास्कर सेन - 01.03.2010 से - Sri S. C. Gupta upto 28.02.2010 and Sri Bhaskar Sen w.e.f. 01.03.2010
कार्यपालक निदेशक Executive Director	- सदस्य - Member	- श्री टी. एम. भसीन - 31.03.2010 तक - Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
भारत सरकार के नामिती निदेशक GOI Nominee Director	- सदस्य - Member	- श्री संजीव कुमार जिंदल - 12.05.2009 से - Sri. Sanjeev Kumar Jindal w.e.f. 12.05.2009
आर बी आई नामिती निदेशक RBI Nominee Director	- सदस्य - Member	- श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय - Sri. Tulsidas Bandyopadhyay



समिति की बैठकों का ब्यौरा :

क्रम सं.	निदेशक का नाम Name of Director	उनके सेवकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकों में सहभागिता Meetings Attended	अनुपस्थिति की छुट्टी Leave of Absence
1	Sri. S. C. Gupta / श्री एस. सी. गुप्ता	3	3	
2.	Sri. Bhaskar Sen / श्री भास्कर सेन	1	1	
3.	Sri. T. M. Bhasin / श्री टी एम भसीन	4	4	
4.	Sri. Sanjeev Kumar Jindal / श्री संजीव कुमार जिंदल	4	3	1
5.	Sri. Tulsidas Bandyopadhyay / श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	4	4	

Details of meetings of the Committee:

समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दिनांक 26.06-2009, 09.09.2009, 23.12.2009 एवं 27.03.2010 को हुईं।

The committee met on 26.06-2009, 09.09.2009, 23.12.2009, 27.03.2010 during FY 09-10.

4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति

समिति में निम्नांकित सदस्य हैं

4.10 IT Sub Committee of Board:

This committee has been constituted comprising following members –

कार्यपालक निदेशक Executive Director	- समिति के अध्यक्ष - Chairman of the Committee	- श्री टी एम भसीन - 31.03.2010 तक - Sri. T. M. Bhasin upto 31.03.2010
अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	- सदस्य - Member	- श्री सुप्रित सरकार - Sri. Suprita Sarkar
गैर कार्यालयीन गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	- सदस्य - Member	- डॉ. नयना शर्मा - Dr. Naina Sharma
गैर कार्यालयीन गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	- सदस्य - Member	- श्री एम. ए. अन्सारी - 01.01.2010 तक - Sri. M. A. Ansari upto 01.01.2010

कार्य :

i) कार्यपालकों की आंतरिक सू. प्रो. (आई. टी) समिति के कार्यों की समीक्षा करना।

ii) आई. टी. संबंधी कार्यों की समीक्षा करना एवं तकनीकी उन्नयन के लिए दिशानिर्देश जारी करना तथा आई. टी विषयक नए उत्पादों को प्रचलित करना,

समिति की बैठकों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 26.06.2009, 09.09.2009, 23.12.2009 एवं 27.03.2010 को समिति की बैठकें आयोजित हुईं।

5. सार्वजनिक निर्गम की प्राप्तियों का उपयोग

बैंक ने 05 मार्च 2010 की अपनी विवरणिका में उल्लेख किया है कि बैंक की इक्विटी शेयर के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) का मुख्य उद्देश था भावी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी-आधार में वृद्धि करना। यह आवश्यकता बेसल-II के कार्यान्वयन तथा बैंक की परिसंपत्ति - मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुरूप ऋण एवं निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है।

6. लेखा पद्धति में परिवर्तन

बैंक के वित्तीय विवरण परंपरागत लागत करार के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के

Functioning:

i. To review functioning of In-house IT Committee of Executives,

ii. To review IT related activities and issue guidelines for technical up-gradation and introduction of new IT related products;

Details of the meetings of the Committee:

The committee met on 26.06.2009, 09.09.2009, 23.12.2009 and 27.03.2010 during FY'09-10 and all members were present at all the meetings.

5. Usage of Issue Proceeds from the Public Issue

The Bank has stated in its Prospectus dated March 5, 2010 that the primary object of the Initial Public Offer of Bank's equity share was to augment its capital base to meet the future capital requirements arising out of the implementation of Basel II standards and the growth of Bank's asset – primarily loans and investment portfolio in tandem with the growth of the Indian economy. Apart from this the Bank also indicated to utilise the issue proceeds for General Corporate Purposes and meeting the Issue Expenses.

6. Changes in Accounting Treatment

The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention. They conform



अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधानों, विनियामक / आर बी आई दिशानिर्देशों के अनुरूप लेखा मानकों / भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा को अपनाया गया है। आर बी आई दिशानिर्देशों आई सी ए आई के लेखा मानकों एवं लेखा पद्धति का विस्तृत प्रकटीकरण 31 मार्च 2010 के तुलापत्र की अनुसूची 17 एवं 18 में किया गया है।

7. जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन करने एवं जोखिम कम करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग बनाया है तथा बैंक के कार्यों के विविध पक्षों को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंध नीतियां बनायी गई हैं। जोखिम प्रबंधन विषयक सभी नीतियां एवं पहले बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाती हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद संपुष्टि हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

8. आचरण संहिता

31 मार्च 2010 तक बैंक के निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आचरण संहिता द्वारा अभिशासित हुए हैं जो मुख्यतः करार सूची में उल्लिखित आचरण संहिता के अनुरूप है।

बैंक ने एक आचरण संहिता बनाई है जो बोर्ड द्वारा उसकी 03 मई 2010 की बैठक में अनुमोदित एवं अंगीकार की गई है।

9. बैठक शुल्क

अब निदेशकों को प्रत्येक केंद्रीय बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए रू. 5000/- तथा बोर्ड की किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रू. 2500/- का बैठक शुल्क दिया जाता है। हालांकि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा भारत सरकार के नामित निदेशक को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

10. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध शेयर करार, कंपनी रजिस्ट्रार, जैसा प्रयोज्य हो, के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया इत्यादि की निगरानी हेतु श्री बिक्रमजीत शोम, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

11. शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों का शिकायत - निवारण

शेयर अंतरण, डिवेंडेंट भुगतान एवं निवेशक संबंधी सभी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है तथा हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रेडिंग एजेंट के कार्यालय में उसका प्रसंस्करण किया जाता है।

बैंक यह सुनिश्चित करना है कि सभी शेयर-अंतरण उनके दर्ज किए जाने की तिथि से एक माह के अंदर प्रभावी हो जाएं। शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण, शेयरों के अंतरण पर विचार, प्रेषण,

to Generally Accepted Accounting Principles in India, which comprises the statutory provisions, regulatory/ RBI guidelines, accounting standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the Banking Industry in India. Detailed disclosure as per RBI guidelines/ Accounting Standards of ICAI and accounting treatments are given in Schedules 17 & 18 of the Balance Sheet drawn as on March 31, 2010.

7. Risk Management Policy

The Bank has an Integrated Risk Management Department to assess and mitigate risk and lay down risk management policies touching various aspects of Bank's functioning. All risk management policies and initiatives are placed before the Risk Management Committee of the Board. If the Risk Management policies are approved by the committee, those placed before the Board of Directors for confirmation.

8. Code of Conduct

As on March 31, 2010, the Directors of the Bank are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India, which are principally in line with the Code of Conduct prescribed in the Listing Agreement.

The Bank has framed a Code of Conduct which has been approved and adopted by the Board at its meeting on May 3, 2010.

9. Sitting Fees

The Directors are now given a sitting fee of Rs.5000/- for attending every Board meeting and Rs.2500/- per meeting for attending any committee meeting of the Board. Sitting fees are, however not paid to the Chairman and Managing Director of the Bank, Executive Director and Government of India nominee Director.

10. Compliance Officer

Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary has been functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreement with Stock Exchanges, Registrar of Companies as may be applicable and for monitoring the share transfer process etc.

11. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of Shares is duly effected within the period of one month from the date of their



समेकन, उप-विभाजन, विखंडन, पुनर्क्रियान्वयन इत्यादि तथा अन्य संबंधित मदों के लिए बैंक ने शेयरधारकों की समिति गठित की है। नियमित अंतरण पर समितियों की बैठकें होती हैं तथा शेयर-अंतरण की संपुष्टि के साथ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

बैंक ने में. लिंक इन्टाइम इंडिया (प्रा.) लि. को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है जिनके कार्यों में अन्य मदों के साथ शेयर अंतरण का प्रसंस्करण, डिविडेन्ट भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों का अभिलेखन, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयरों के निर्गम संबंधी अय कार्य शामिल हैं। निवेशक रजिस्ट्रार के यहां निम्नलिखित पते पर अंतरण /अनुरोध/शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया (पि) लि.

सी-13, पन्नालाल सिल्क कंपाउंड, एल बी एस मार्ग, भांडुप (प), मुंबई - 400 078

टेलीफोन : 022-25960320

फैक्स : 022-25960329

ई-मेल : ubi.ipo@linkintime.co.in

निवेशकों की सुविधा हेतु शेयरधारकों से शेयर अंतरण तथा शिकायतों के संबंध में अनुरोध भी बंगलोर में कंपनी के प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित पते पर किए जाते हैं :

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

11, हेमंत बसु सरणी

कोलकाता - 700001

टेलीफोन : (033) 22483857

फैक्स : (033) 22489391

ई मेल : investors@unitedbank.co.in

वेबसाइट : www.unitedbankofindia.com

शेयर धारकों के शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई एवं शिकायतों का तत्काल निवारण बैंक की परम चिंता है तथा इसे पूर्णतः सुनिश्चित किया जाता है।

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के समान्य शेयरों के अंतरण के मामलों की देखरेख शेयर अंतरण एजेंट - मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया (प्रा.) लि. द्वारा किया जाता है। वस्तुपरक रूप में शेयर अंतरण मामले में उनके द्वारा इसे प्राप्त होते ही इसकी छानबीन की जाती है तथा उपयुक्त होने पर प्रक्रिया करते हुए प्रधान कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेज दिया जाता है।

शेयर अंतरण / डिमैटेरियलाइजेशन / रिमैटेरियलाइजेशन/विभाजन/पुनःस्थापन/के संबंध में अनुरोध की सूची जैसे भी मामला हो बोर्ड के

lodgement. The Board has constituted Shareholders' Committee to redress shareholders grievances, to consider transfer, transmission, consolidation, sub-division, split, rematerialisation etc. of Shares and other related matters. The Committee is required to meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides confirming transfer of Shares.

The Bank has appointed M/s. **LINK INTIME INDIA (P) Ltd.** as its Registrar & Transfer Agent whose duty includes inter-alia processing of Share transfers, dividend payments, recording of Shareholders requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. The Investors may lodge transfers/requests /complaints with the Registrar at the following address:

M/s. LINK INTIME INDIA (P) LTD.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L B S Marg, Bhandup (W) Mumbai 400078.

Tel.: 022-25960320.

Fax: 022-25960329

E-mail:ubi.ipo@linkintime.co.in

For the conveniences of investors, requests for the share transfers and grievances/complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Kolkata at the following address:

Share Department & Investor Grievance Cell

United Bank of India

11, Hemanta Basu Sarani

Kolkata-700 001

Tel.: (033) 22483857

Fax: (033) 22489391

E-mail: investors@unitedbank.co.in

Website: www.unitedbankofindia.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The transfers of Bank's Equity Shares are taken care by the Share Transfer Agent – M/s. Link Intime India (P) Ltd. In the cases of share transfer requests in physical form, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, is process and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/dematerialisation/rematerialisation / split/ replacement/ consolidation, as the case may be, are placed before the Shareholders' Committee of the Board for approval. The meetings



शेयर धारक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। शेयर धारक समिति की बैठक सामान्यतया निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के साथ होती है। समिति के अनुमोदन संबंधी निवेशकों के अनुरोध को समिति द्वारा परिचालन के माध्यम से बीच की अवधि में निपटान की जाती है जिसकी पुष्टि अनुवर्ती बैठक में की जाती है। समिति से अनुमोदन प्राप्त होने पर मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया (प्रा.) लि. ट्रांसफर, डिमैट आदि को कार्यरूप दे कर शेयरधारकों के पास भेज देता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों का सभी अंतरण/पुनर्मुक्तिकरण आदि उनके प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीना के भीतर प्रभावी करेगा।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसार आर एंड टी एजेंट द्वारा शेयरों के ट्रांसफर संबंधी रिपोर्ट तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा किए गए अनुमोदन को बैंक के निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

प्राप्त किए गए, निराकरण किए गए एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से सभी शिकायतें सीधे मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा बैंक, द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की उन्हें अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तिय वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त अनुरोध / शिकायतें तथा निवारण किए गए एवं लंबितों की संख्या निम्नलिखित हैं :-

	10.3.10 को लंबित (आवंटन तिथि) Pending as on 10.03.10 (Allotment Date)	प्राप्त Received	निवारण किया गया Resolved	31.03.10 की लंबित Pending as on 31.03.2010
क) शिकायतों / अनुरोधों की संख्या a) No. of complaints / requests	Nil	177	132	45

उपर्युक्त शिकायतों में से कोई भी एक महीना से अधिक लंबित नहीं था। 31 मार्च, 2010 की हमारे पास कोई शेयर अंतरण लंबित नहीं था।

31 मार्च 2010 को तकनीकी कारणों से संग्रही खाता में अंतरित नहीं किए जा सके जिन्हें शेयर रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, ऐसे 68042 शेयर उंचत खाता में पड़े हुए थे।

10.03.10 (आवंटन की तिथि) को उंचत खाता में पड़े शेयर	-	118542
संदर्भित अवधि के दौरान शेयरधारकों को अंतरित शेयर	-	50500
31.03.2010 को उंचत खाता में शेष शेयर	-	68042

शेष बचे शेयर आवश्यक दस्तावेज भेजने पर रजिस्ट्रार द्वारा गैर-अंतरण शेयरों की तकनीकी कठिनाईयों को दूर करके क्रमशः उचित शेयरधारकों को भेज दिया जाता है।

of the Shareholder's Committee are generally held along with the meetings of the Board of Directors/ Management Committee of the Board. The investor requests requiring the approval of the committee to be disposed off in the intervening period are approved by the Committee by circulation, which are confirmed at the subsequent Committee Meeting. After getting the approval from the Committee, M/s. Link Intime India (P) Ltd., effects the transfers, demat etc. and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfer/rematerialisation etc. of shares is duly effected within the period of one month from the date of their lodgement.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with Stock Exchange, a report on share transfers effected by the R&T Agent and approved by the Share Transfer Committee shall be placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests/complaints received and resolved during FY'09-10 and pending as on 31.03.10 are as follows:

None of the above complaints were pending for more than one month. As on March 31, 2010, no share transfer requests were pending at our end.

As on March 31, 2010, 68042 shares were lying in the Suspense Account, created for the purpose of keeping the share that could not be transferred to the allottee's accounts due to technical reasons.

Shares lying in the Suspense Account as on 10.03.10 (date of allotment)	-	118542
Shares transferred to shareholders during the period under reference	-	50500
Balance shares lying in the Suspense Account as on 31.03.2010	-	68042

The balance shares are being transferred gradually to legitimate shareholders by the Registrar on furnishing of necessary documentation to alleviate technical difficulties for non-transfer so far.



12. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संपर्क एवं संबंध :

बैंक के साथ इसके प्रायोजकों / निदेशकों प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनी और / अथवा संबंधितों के बीच वस्तुगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है जिससे बैंक के हित के साथ संभाव्य रूप से विवाद हो। 31 मार्च, 2010 को तुलनपत्र (अनुसूची 18) की लेखा पर टिप्पण में ए एस 18 के अनुसार बैंक से संबंधित पार्टी के लेनदेन को प्रकट किया गया है।

बैंक ने पूँजी बाजार संबंधी सभी विषयों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का दंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया। बैंक वार्षिक सामान्य बैठक करेगा तथा सांविधिक समय सीमा के भीतर योग्य शेयरधारकों को लाभांश का भूगतान करेगा।

बैंक से संबंधित सूचना मुख्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है जिसमें अध्यक्ष का वक्तव्य, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा खाता, नकदी प्रवाह विवरणी तथा समेकित शाखा आदि शामिल है। शेयर धारकों को तिमाही, छमाही एवं वार्षिक निष्पादनों को समाचार पत्र स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करके एवं प्रेस विज्ञप्ति तथा बैंक के वेब-साइट www.unitedbankofindia.com के माध्यम से सूचना दी जाती है।

वर्ष के दौरान बैंक की तिमाही/छमाही/वार्षिक परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों के अलावा अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ :

अवधि Period	दैनिक का नाम Name of the Daily		प्रकाशन की तारीख Date of Publication
	अंग्रेजी English	बांगला Bengali	
मार्च, 2010 को समाप्त तिमाही वर्ष Quarter/ Year ended March 2010	इकोनामिक टाइम्स Economic Times	आनंद बाजार पत्रिका Ananda Bazar Patrika	04 मई, 2010 May 04, 2010

13. आदेशात्मक तथा गैर-आदेशात्मक अपेक्षाएँ

13.1 स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 में जैसा कि प्रावधान है, समस्त लागू आदेशात्मक अपेक्षाओं का बैंक ने अनुपालन किया है एवं जहाँ भी आवश्यक था छूट की अनुमति प्रदान किया है।

13.2 गैर-आदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन संबंधी सूचना निम्नवत है :

12. Disclosure, communication and relationship with shareholders

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/Directors, Management their Subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Related Party Transactions of the Bank as per AS18 are disclosed in the Notes on Accounts (Schedule 18) to the Balance Sheet as on March 31, 2010.

The Bank has complied with all of the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities during the financial year 2009-10. The Bank will conduct the Annual General Meeting and pay dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

Information relating to bank is sent mainly through the Annual Report which includes the chairman's statement, the Directors Report, audited accounts, cash flow statements and consolidated accounts, etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half-yearly and annual performances through publication in News Papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.unitedbankofindia.com.

During the year the quarterly/half-yearly/ annual results of the bank, were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

13. Mandatory and non-mandatory requirements

13.1 The Bank has complied with all applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchange or allowed exemption wherever necessary.

13.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.



	अपेक्षाएँ / REQUIREMENT	अनुपालन / COMPLIANCE
13.2.1	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय की देख-रेख का हकदार होगा तथा अपने कर्तव्यों के निष्पादन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगा।	बैंक के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तथा ऐसी आवश्यकता लागू नहीं है The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.
13.2.1	A non-executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	
13.2.2	प्रत्येक शेयर धारक के घर पर अर्द्धवार्षिक वित्तीय निष्पादन की घोषणा सहित पिछले छः महीने के महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश भेजी जानी चाहिए।	बैंक की तिमाही वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात समाचार पत्रों, स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक के वेबसाइट के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाता है।
13.2.2	The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, should be sent to each household of shareholders	Bank's quarterly Financial Results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.

14. शेयर धारकों की सूचना

14.1 बैंक की प्रथम वार्षिक आम सभा 09 जुलाई, 2010 शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न जी. डी. बिड़ला सभागार, 29 आसुतोष चौधुरी एवेन्यू, कोलकाता - 700019 में होगी।

समीक्षादीन अवधि के दौरान कोई आम सभा नहीं की गई है अतः बैंक ने किसी पोस्टल बैलट के संबंध में कार्रवाई नहीं किया।

14.2 बैंक का वित्तीय वर्ष 01.04.2009 से 31.03.2010 है।

14.3 वित्तीय वर्ष 2010-11 का अंतरिम वित्तीय कैलेंडर

जून 30, 2010 – जुलाई, 2010 का अंत

सितंबर 30, 2010 – अक्टूबर 2010 का अंत

दिसंबर 31, 2010 – जनवरी 2011 का अंत

मार्च 31, 2011 – मई, 2011 का अंत (वित्तीय वर्ष 2010-11 के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ)

14.4 खाताबंदी एवं अभिलेख तिथि

14. Shareholders' information

14.1 The Bank is scheduled to hold its first Annual General Meeting on Friday, July 9, 2010, at 11.00 a.m. at G. D. Birla Shabghar, 29 Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata – 700019.

The Bank has not initiated any Postal Ballot as it has not held any General Meeting during the period under review.

14.2 Financial Year of the Bank is from 01.04.09 to 31.03.10.

14.3 Tentative Financial Calendar for FY 2010-11

June 30, 2010 – End of July, 2010

Sept 30, 2010 – End of October, 2010

Dec 31, 2010 – End of January, 2011

March 31, 2011 – End of May, 2011 (along with the Audited Annual Accounts for FY 2010-11)

14.4 Book Closure & Record Date

उद्देश / Purpose	खाताबंदी अवधि / Book Closure (Period)
वार्षिक सामान्य बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा Annual General Meeting & Declaration of Final Dividend.	शुक्रवार, जून 25- शुक्रवार, जुलाई 9, 2010 (दोनों दिन मिलाकर) Friday, June 25- Friday, July 9, 2010 (Both days inclusive)

14.5 18 मार्च, 2010 को निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हुए :-

- बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभय टॉवर
दलाल स्ट्रीट फोर्ट
मुंबई - 4000 001.

14.5 The Bank's shares got listed on March 18, 2010 on the following major Stock Exchanges.

- Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai -400 001
BSE Scrip CODE: 533171;
Scrip Id - UNITEDBNK



2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1 ब्लॉक
बान्द्रा - कुर्ला कम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
एन एस ई कोड : युनाइटेड बैंक ।

2. National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, Block
Bandra-kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai-400051
NSE CODE: UNITEDBNK

15.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से आई पी ओ में आवंटित किए गए तथा अमूर्तरूप में नेशनल एक्सचेंज के साथ व्यापार किया गया दिसे नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ़ सेक्युरिटीज लि. के साथ अमूर्त किया जा सकता है। बैंक को सामान्य शेयरों के अमूर्तकरण हेतु आई एस आई एन कोड संख्या आई एन ई 695ए01019 आबंटित किया गया। तथापि बैंक के शेयरों का अमूर्तकरण अनिवार्य नहीं होता तथा शेयर धारक पुनःमूर्तकरण माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग का रूपांतरण करवा कर अपने शेयरों को वस्तुरूप में भी रख सकते हैं। बैंक के शेयरों का लेनदेन दो स्टॉक एक्सचेंजों के साथ होता है अतः चलनिधि सामान्य होती है।

बैंक ने दोनो निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल एवं सी डी एस एल के साथ कुल स्वीकृत पूँजी के समाधान के उद्देश्य से सेक्रेटेरियल लेखा परीक्षा से संबंधित सेबी की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा बैंक की कुल निर्गम एवं सूचीबद्ध पूँजी तथा सेबी के निर्देशों के अंतर्गत अन्य विषयों की देख-रेख एक व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है।

30.03.2010 को ईक्विटी शेयर धारकों द्वारा डिमैट रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नप्रकार है :

डिमैट DEMAT	शेयर धारकों की संख्या No. of share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयर धारित की संख्या Percentage Shareholding
सी डी एस एल में अन्य Others in CDSL	26367	277474971	87.69
एन एस डी एल में अन्य Others in NSDL	49412	38955235	12.31
वस्तु रूप में एवं अन्य Physical & Others		594	-
कुल Total	75780	316430800	100

15.2 इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएँ (ईसीएस)

इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएँ (ईसीएस) लाभांश / ब्याज आदि के भुगतान का एक अभिनव पद्धति है जहाँ निवेशकों को देय राशि सीधे उनके/उनकी बैंक खाता में जमा किया जा सकता है। बैंक ने शेयर धारकों को ईसीएस सुविधा प्राप्त करने की सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएँ) अधिपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे पंजीकार एवं अंतरण एजेंट

15.1 Dematerialisation of Securities

The Bank's shares were compulsorily allotted in the IPO and are traded on the Exchange in dematerialised mode and can be dematerialised with National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. Bank has been allotted ISIN Code No.INE 695A01019 for the Dematerialised Equity Shares. However the dematerialisation of Bank's shares are not mandatory and the shareholders can keep their shares in physical form also by conversion of their electronic holding through rematerialisation. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at the two Stock Exchanges.

Bank has complied with SEBI requirements with regard to secretarial audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practicing company Secretary.

Particulars of shares in Demat form held by the Equity shareholders as on 31.03.10 are as under:

15.2 Electronic Clearing Services (ECS)

Electronic Clearing Services (ECS) is a novel method of payment of dividend/interest, etc., where the amount due to investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders to avail the ECS facility.

The ECS (Electronic Clearing Services) mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent



को भेजा जा सकता है। शेयर धारकों के निर्देश पर किसी भी समय ईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने को बंद किया जा सकता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए लाभांश:

2009-10 के दौरान किसी प्रकार के लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।

15.3 बैंक की शेयर पूँजी

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3 (2ए) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्राधिकृत पूँजी रू. 1500 करोड़ होगी जिसे रू. 150 करोड़ पूर्णतः प्रदत्त रू. 10/- प्रत्येक के सामान्य शेयर में विभाजित किया जाएगा।

आगे भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार प्राधिकृत पूँजी को जैसा उचित समझे बढ़ा या घटा सकती है तथा ऐसी बढ़ोत्तरी या कटौती के बाद प्राधिकृत पूँजी रूपये तीन हजार करोड़ से ज्यादा और रूपये एक हजार पाँच सौ करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए।

बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी रू. 316.43 करोड़ है जो रू. 10 के प्रत्येक सामान्य शेयर 31,643 करोड़ में विभाजित है जिसमें भारत सरकार बैंक के 26.64 करोड़ सामान्य शेयर पूँजी धारित करती है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक (84.20%) है। भारत सरकार ने 31.03.2009 को रू. 10/- प्रत्येक के 100000 बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के 25000 निर्गमों के लिए रू. 250.00 करोड़ की पूँजी प्रदान किया, जो 100 आधार बिंदु सह रेपो कृपा दर पर देय (अधिमानी लाभांश) है। भारत सरकार ने आगे 31.03.2010 के वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए रू. 300.00 करोड़ की पूँजी प्रदान की है जिससे 100 आधार बिंदु सह रेपो की कृपा दर पर ब्याज देय है। तदनुसार बैंक की वर्तमान पूँजी संरचना निम्न प्रकार है :-

प्राधिकृत पूँजी	(रू. करोड़)
प्रत्येक रू. 10/- के शेयर की सामान्य शेयर पूँजी : रू. 2200.00	
220,00,00,000	
प्रत्येक रू. 100000/- का अधिमानी शेयर पूँजी : रू. 800.00	
80000	

निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी

प्रत्येक रू. 1 लाख का 55000 बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	: रू. 550.00
प्रत्येक रू. 10 का 316430800 सामान्य शेयर	: रू. 316.43
कुल प्रदत्त पूँजी	: रू. 866.43

to the Registrar & Transfer Agent. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholder.

Dividend paid by the Bank during the year 2009-10

There has not been any dividend paid during 2009-10.

15.3 Share Capital of the Bank

As per section 3(2A) of Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking (Act) 1980, the Authorised Capital of the Nationalised Bank shall be Rs.1500 crore divided into 150 crore fully paid equity shares of Rs.10 each.

Further Central Government may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorised Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorised Capital shall not exceed three thousand crore or be less than one thousand five hundred crore of rupees.

The issued, subscribed and paid-up capital of the Bank is Rs.316.43 crore divided into 31.643 crore equity shares of Rs.10 each in which the Government of India holds 26.64 Crore Equity Share capital of the Bank and is the major shareholder (84.20 per cent) of the Bank. The Government of India on 31.03.2009 infused a capital of Rs.250 crore against the issue of 25000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares of Rs.100,000/- each. This will be a part of Tier - I of the bank and carry an annual floating coupon to be benchmarked to Repo Rate with a spreads of 100 basis points to be readjusted annually based on the prevailing Repo Rate on the relevant date. The Government of India has infused further Capital of Rs.300 crore during the financial year 2009-10 on 31.03.2010 interest payable at coupon rate of Repo plus 100 basis points. Accordingly the present Capital Structure of the Bank is as follows:

Authorised Capital:	(Rs. crore)
Equity share Capital of 220, 00, 00, 000	: Rs.2200.00
shares of Rs.10 each	
Preference Share Capital 80000 of	: Rs.800.00
Rs. 100000/- each	

Issued, Subscribed and Paid-up Capital:

55000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares of Rs.1 Lakh each	: Rs. 550.00
316430800 Equity Shares of Rs.10 each	: Rs. 316.43
Total Paid up Capital	: Rs. 866.43



सारणी 1 : 31.03.2010 को श्रेणीवार सामान्य शेयरों का वितरण

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2010

श्रेणी Category	रखे गए शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरों का प्रतिशत Per centage of shareholding
क A. प्रायोजक जमापूँजी Promoter's Holding		
1. 1. - प्रायोजक - Promoters - भारतीय प्रायोजक (जी ओ आई) - Indian Promoters (GOI) - विदेशी प्रायोजक - Foreign Promoters	266430800	84.20
2. 2. मिल कर कार्य करते हुए व्यक्ति Persons Acting in Concert		
उप-योग / Sub-Total	266430800	84.20
ख B. गैर प्रायोजक जमापूँजी Non-Promoters Holding		
3. 3. संस्थानिक निवेशक Institutional Investors		
क) म्युचुअल फंड एवं युटीआई a) Mutual Funds & UTI	4810855	1.52
ख) बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ (केंद्रीय) 2 राज्य संस्थाएँ / गैर-सरकारी संस्थान b) Banks Financial Institutions, Insurance Companies (Central)/State Institutions/ Non-Government Institutions)	2891146	0.91
ग) एफ आई आई एस / एफएमएफएस c) FIIs/FMFs/F.Banks	3674508	1.16
उप-योग / Sub-Total	11376509	3.59
ग) C. अन्य Others		
क) निजी कंपनी निकाय a) Private Corporate Bodies	21928764	6.93
ख) भारतीय जनता b) Indian Public	14365450	4.54
ग) एन आर आई (एस) / ओ बी सी (एस) c) NRIs/OCBs	130690	0.05
घ) अन्य d) Others	2198587	0.69
उप - योग / Sub-Total	38623491	12.21
कुल योग / Grand Total	316430800	100.00



सारणी 2 : 31.03.2010 को कुल विदेशी जमा पूँजी

Table 2: Total Foreign Shareholding as on 31.03.2010

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयर जमा पूँजी का प्रतिशत Per centage of Shareholdings
1.	जी डी आर एवं ए डी आर जमा पूँजी / GDR & ADR holding	-	
2.	विदेशी प्रायोजक / Foreign Promoters	-	
3.	विदेशी संस्थानिक निवेशक / Foreign Institutional Investors	2247366	0.71
4.	विदेशी म्युचुअल फंड / Foreign Mutual Funds	164657	0.05
5.	एन आर आई एस / NRIs	117412	0.04
6.	विदेशी बैंक / Foreign Banks	1262485	0.40
7.	विदेशी नागरिक / ओबीसी / Foreign National/OCB	13278	0.01
	कुल / Total	3805198	1.21

सारणी 3: 31.03.2010 को बैंक के सामान्य शेयरों का 1% से अधिक शेयर धारकों के जमा पूँजी की सूची

Table 3: List of Shareholders holding more than 1 per cent of equity shares of the bank as on 31.03.10.

क्रम सं. Sl. No.	शेयर धारकों का नाम Name of share holders	रखे गए शेयर की संख्या Number of Shares held	शेयर जमा पूँजी का प्रतिशत Per centage of Shareholdings	श्रेणी Category
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	266430800	84.20	भारतीय प्रायोजक Indian Promoter
2.	बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस क. लि. Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	7106598	2.25	निजी इंश्योरेंस कंपनी Private Insurance Company
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस क. लि. HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	5246892	1.66	निजी इंश्योरेंस कंपनी Private Insurance Company

15.4 स्टॉक मार्केट आँकड़ा

बी एस ई (सारणी 1) तथा एन एस ई (सारणी 2) शेयर व्यापार आँकड़ा 18 मार्च, 2010 अर्थात् सूचीकरण की तारीख से 31 मार्च, 2010 तक निम्नप्रकार से है :

सारणी 1

15.4 Stock Market Data

The share trading data on BSE (Table 1) and NSE (Table 2) from March 18, 2010 i.e. the date of listing to March 31, 2010 are given herein below :-

Table 1

तारीख Date	उच्चमूल्य (₹.) High Price (Rs.)	निम्नमूल्य (₹.) Low Price (Rs.)	औसत मूल्य (₹.) Avg Price (Rs.)	पण्यावर्ध की संख्या Turnover (in nos)	पण्यावर्ध (₹. लाख में) (Rs. in Lacs)
18 मार्च, 2010 / 18-Mar-2010	77	68.1	71.38	28299084	20200.27
19 मार्च, 2010 / 19-Mar-2010	70.6	68.4	69.54	4135689	2876.16
22 मार्च, 2010 / 22-Mar-2010	68.05	66.1	67.31	1097433	738.66
23 मार्च, 2010 / 23-Mar-2010	69.25	66.75	67.89	1493862	1014.25
25 मार्च, 2010 / 25-Mar-2010	69	67.55	68.31	636580	434.85
26 मार्च, 2010 / 26-Mar-2010	68.75	66.4	67.45	598667	403.82
29 मार्च, 2010 / 29-Mar-2010	69.9	67	68.20	951637	649.05
30 मार्च, 2010 / 30-Mar-2010	70.7	67.6	69.00	681103	469.99
31 मार्च, 2010 / 31-Mar-2010	70	68.15	68.96	400304	276.06



सारणी 2

Table 2

तारीख Date	उच्चमूल्य (₹.) High Price (Rs.)	निम्नमूल्य (₹.) Low Price (Rs.)	औसत मूल्य (₹.) Ave Price (Rs.)	पण्यावर्त की संख्या Turnover (in nos)	पण्यावर्त (₹. लाख में) (Rs. in Lacs)
18 मार्च, 2010 / 18-Mar-10	77	68	71.32	55114410	39,308.59
19 मार्च, 2010 / 19-Mar-10	70.65	68.35	69.51	8357600	5,809.20
22 मार्च, 2010 / 22-Mar-10	68.2	66.1	67.39	2528324	1,703.79
23 मार्च, 2010 / 23-Mar-10	69.4	66.8	67.68	3548697	2,401.87
25 मार्च, 2010 / 25-Mar-10	69	67.6	68.3	1531680	1,046.18
26 मार्च, 2010 / 26-Mar-10	68.85	66.5	67.65	1800944	1,218.27
29 मार्च, 2010 / 29-Mar-10	69.9	67.15	68.09	1756873	1,196.21
30 मार्च, 2010 / 30-Mar-10	70.5	67.7	69.04	1570079	1,083.91
31 मार्च, 2010 / 31-Mar-10	70.2	68.05	68.89	1450677	999.33

बैंक के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव के साथ-साथ सूचकांक
(चार्ट - I - बीएसई ; चार्ट - II - एनएसई)

Movement of Bank's Share Price vis-à-vis Index
(Chart - I - BSE; Chart - II - NSE)

चार्ट - I





Chart - I



चार्ट - II





Chart - II





15.5 31.03.2010 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयर जमापूँजी का मूल्यवार वितरण ।

15.5. Value wise Distribution of Share holding of United Bank of India as on 31.03.2010.

श्रेणी Category	शेयर Shares	शेयरों का प्रतिशत Per centage of Shares	धारक Holders	धारकों का प्रतिशत Per centage of holders
1 से 500 1 TO 500	10224053	3.23	72961	96.28
501 से 1000 501 TO 1000	1196173	0.38	1402	1.85
1001 से 2000 1001 TO 2000	1055163	0.33	695	0.92
2001 से 3000 2001 TO 3000	466292	0.15	185	0.24
3001 से 4000 3001 TO 4000	257400	0.08	73	0.10
4001 से 5000 4001 TO 5000	434770	0.14	92	0.12
5001 से 10000 5001 TO 10000	950443	0.30	131	0.17
10001 से 50000 10001 TO 50000	3673995	1.16	159	0.21
50001 से 100000 50001 TO 100000	2067356	0.65	29	0.04
100001 एवं उपर 100001 & Above	296105155	93.58	53	0.07
कुल / TOTAL	316430800	100.00	75780	100.00

15.6 31 मार्च, 2010 को बकाया ए डी आर / जी डी आर / वारंट / परिवर्तनीय लिखत नहीं है ।

15.6 There is no outstanding ADR/ GDR/ Warrant/ Convertible Instrument as on March 31, 2010.

15.7 पत्राचार का पता -

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
शेयर विभाग एवं निदेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड टॉवर
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

15.7 Address for Correspondence –

UNITED BANK OF INDIA
SHARE DEPARTMENT & INVESTOR
GRIEVANCE CELL
UNITED TOWER,
11 HEMANTA BASU SARANI,
KOLKATA – 700001.

कृते निदेशक मंडल

ह/

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For & on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

तिथि : 29 मई, 2010

Date: May 29, 2010

स्थान : कोलकाता

Place: Kolkata



लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49V के अनुसार प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि

(क) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए नकदी प्रवाह विवरणी एवं वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की है।

(i) इन विवरणियों में किसी तरह की गलतबयानी या किसी तरह को भ्रामक बनाने के उद्देश से छोड़ा नहीं गया है।

(ii) इन विवरणों में कंपनी के मामलों को सही एवं समीचीनी ढंग से रखा गया है तथा इसमें लेखा मानकों, लागू कानूनों, विनियमों तथा मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के मुताबिक वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जिस में कपट, अवैधानिक या बैंक के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।

(ग) हम एतद्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण को स्थापित एवं लागू रखने की जबाबदेही स्वीकार करते हैं।

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है एवं उसे सही पाया है। जो कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, उसे लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाया गया है एवं उसका समाधान किया गया है।

(घ) हम आगे पुष्टि करते हैं कि -

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

(iii) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के 11 मामले, जिसमें रू. 309.63 लाख की राशि के साथ बैंक के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी शामिल थे, उसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को दी गई। उक्त राशि में से रू. 62.94 लाख वसूल हो पाई।

ह/ ह/
डी बसु भास्कर सेन
महाप्रबंधक - टी आई बी ए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तिथि : 3 मई, 2010

स्थान : कोलकाता

CERTIFICATE PURSUANT TO CLAUSE 49V OF THE LISTING AGREEMENT

We hereby certify that –

a. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for year 2009-10 and that to the best of our knowledge and belief:

i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws, regulations and guidelines.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violating Bank's Code of Conduct.

c. We hereby accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting.

We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have found the same to be in order. Whatever minor routine deficiencies were found, have been brought to the notice of the Auditors and the Audit Committee and duly addressed.

d. We further confirm that –

i. there has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year.

ii. there has not been any significant change in accounting policies during the year.

iii. 11 cases of frauds involving the employees of the various Branches of the Bank involving an amount of Rs.309.63 lacs were detected during the year and reported to the appropriate authority. Rs.62.94 lacs was recovered out of the said amount.

Sd/- Sd/-
D. Basu Bhaskar Sen
General Manager – TIBA Chairman & Managing Director

Date: May 3rd 2010,

Place: Kolkata



कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण,

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के लिस्टिंग के खण्ड 49 में यथा निर्धारित 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कम्पनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाए गए क्रियाविधि एवं कार्यान्वयन तक सिमित है। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणियाँ पर अभिमत की अभिव्यक्ति है और न ही लेखा परीक्षा।

हमारी राय में एवं हमारी सूचनाओं के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त लिस्टिंग एग्रीमेंट में उल्लिखित है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

हमारी राय में एवं हमारी सूचनाओं के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमाणित करते हैं कि :

- क) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड - 49 (i) (ए) (ii) में अपेक्षित निदेशक मंडल की कुल 7 में से 2 स्वतंत्र निदेशक हैं जो कुल संख्या के आधे से कम हैं।
- ख) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 (11) (ए) (i) के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के कुल सदस्य संख्या की दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की संख्या होनी चाहिए। जबकि लेखा परीक्षा समिति में 4 में से 2 ही स्वतंत्र निदेशक हैं जो कुल संख्या का आधा है।
- ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 6 अक्टूबर, 1995 के परिपत्र संख्या बीओएस सं.बी सी : 14/प्रशासन/919/16 .13.100/95 के पैरा ए (3) (आई) (सी) के व्यतिक्रम में 01.01.2010 से लेखा परीक्षा समिति ने कोई सनदी लेखाकार निदेशक नहीं है।
- घ) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 (i) (सी) (iii) के अनुसार अपेक्षित बैंक में लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन की समीक्षा बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।
- ड) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 (11) (ए) (vi) में जैसा कि अपेक्षित है, कंपनी सेक्रेटरी लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by United Bank of India for the year ended on 31st March, 2010 as stipulated in Clause 49 of the Listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to the following:

- a) *The number of Independent directors on the Board is 2 out of 7 directors which is less than one half of the total number of directors on the Board as required by clause 49(I)(A)(ii) of the Listing Agreement;*
- b) *The number of Independent directors in the Audit Committee is 2 out of 4 which is one half of the total number of members in the Audit Committee whereas as per clause 49(II)(A)(i) of the Listing Agreement, the total number of Independent directors should be two third of the total number of members in the Audit Committee;*
- c) *There is no Chartered Accountant Director in the Audit Committee m.e.f. 01.01.2010 which is in violation of para A(3)(i)(c) of circular number DOS No. BC:14/ Admin/919/16.13.100/95 dated October 6, 1995 issued by the Reserve Bank of India.*
- d) *As required as per clause 49(I)(C)(iii) of the Listing Agreement, the Board has not reviewed compliance of all laws applicable to the Bank;*
- e) *The Company Secretary is not acting as secretary to the Audit Committee as required as per clause 49(II)(A)(vi) of the Listing Agreement,;*

we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders'/Investors'



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

हम उल्लेख करते हैं कि बैंक के निवेशक की एक महीने से ज्यादा की कोई शिकायत लंबित नहीं है। यह शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रमाणन के आधार पर है।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न ही बैंक के भविष्य व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावी होने से संबंधित है, जिसके आधार पर प्रबंधन ने बैंक का कार्य संचालन किया।

Grievances committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं.
For Salarpuria Jajodia & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए एच के पी जैन)
(CA H.K.P Jain)

भागीदार
Partner

भागीदार सदस्यता सं. 012525
Membership No 012525

कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट
For S. Ganguli & Associates

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए एस के बासु)
(CA S.K. Basu)

भागीदार
Partner

सदस्यता सं. 59220
Membership No. 059220

कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट
For Maheshwari & Associates

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए पी के रॉयचौधुरी)
(CA P. K. Roy Chowdhury)

भागीदार
Partner

सदस्यता सं. 055924
Membership No.055924

कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं.
For Tandon Seth & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए दीपक कपूर)
(CA Deepak Kapoor)

भागीदार
Partner

भागीदार सदस्यता सं. 070069
Membership No.070069

कृते जी. पी. अग्रवाल
For G.P. Agrawal & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए सुनीता केडिया)
(CA Sunita Kedia)

भागीदार
Partner

सदस्यता सं. 60162
Membership No.60162

कृते एच एस रूस्तगी एण्ड कं.
For H.S. Rustagi & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सी ए एन के रूस्तगी)
(CA N. K. Rustagi)

भागीदार
Partner

सदस्यता सं. 085676
Membership No. 085676

Place Kolkata
Date: June 11, 2010

स्थान : कोलकाता
तिथि : 11 जून, 2010



**31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र
एवं
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा**



**Balance Sheet as on 31st March, 2010
and
Profit and Loss Account for the year ended
31st March, 2010**



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति को,

- हमने 31 मार्च 2010 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का संलग्न तुलन-पत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि और परिशिष्ट में दिए गए नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। इसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1095 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा - परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र, लाभा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण उन 28 क्षेत्रीय कार्यालयों, 417 शाखाओं तथा 1 स्थानीय कार्यालय (कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और बांग्लादेश स्थित एक प्रतिनिधि कार्यालय की विवरणियाँ भी शामिल हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं हैं। सकल ऋण का 2.08%, सकल जमा का 6.57%, सकल व्याज आय का 1.87% तथा सकल ब्याज व्ययों का 7.53% इन अलेखा परीक्षित शाखाओं से संबंधित है। अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय जाहिर कराना हमारी जिम्मेदारी है।
- हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की। उन मानकों की जरूरत यह होती है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और लेखा परीक्षा का काम यह युक्तियुक्त आश्वासन हासिल करने के लिए करें कि ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा - परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों और प्रकटीकरणों की जाँच के आधार पर परीक्षा की जाती है। लेखा - परीक्षा के अंतर्गत प्रयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा में हमारी राय हेतु युक्तियुक्त आधार उपलब्ध है।
- तुलन - पत्र एवं लाभ-हानि लेखा बैकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र क्रमशः 'क' 'ख' में तैयार किए गए हैं।
- 5.4.2. अनुसूची 18 में 'पुनर्गठित लेखा का विवरण' नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत टेबल की पाद-टिप्पणी पर ध्यान दें।
- ऊपर अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट लेखा - परीक्षा की सीमाओं के अंदर तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार यथापेक्षित एवं उसके अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और समाधान की विचाराधीनता और बकाया प्रविष्टियों की मंजूरी मिलने पर उसके प्रभाव को फिलहाल निश्चित कराना संभव नहीं है (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 1 (बी) देखें), हम रिपोर्ट देते हैं कि :

AUDITORS' REPORT

To The President of India

- We have audited the attached Balance Sheet of United Bank of India as at 31st March, 2010 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us and 1095 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 28 Regional Offices, 417 branches and 1 local office (Staff Training College) and 1 representative office in Bangladesh which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 2.08 per cent of gross advances, 6.57 per cent of deposits, 1.87 per cent of interest income and 6.53 per cent of interest expense. The preparation of these financial statements is the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Attention is invited to foot note to the table titled 5.4.2 Particulars of Accounts Restructured in Schedule 18).
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the limitations of disclosure required therein and also *subject to the pendency of reconciliation and clearance of outstanding entries the impact whereof is presently not ascertainable (refer Note no.1(b) of Schedule-18), we report that*



- (क) लेखा - परीक्षा के लिए हमें प्राप्त सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी में और हमारे विश्वासके अनुसार संतोषजनक हैं।
- (ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार के अंतर्गत हैं।
- (ग) बैंक के कार्यालय और इसकी शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए।
6. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है।
7. ऊपर, अनुच्छेद 5 में दर्ज हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारी, राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है हमारी पूरी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप :
- (i) तुलन-पत्र में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखन - सिद्धांतों के अनुरूप पूर्ण और सुस्पष्ट है, इसमें सभी विवरण समाहित किए गए हैं और यह समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि यह बैंक 31 मार्च 2010 तक के काम - काज का सही और उचित चित्र प्रदर्शित कर सके:
- (ii) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ पठित यह लाभ और हानि खाता बैंक के लाभ को वास्तविक रूप में दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है : और
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण वर्ष समाप्ति की नियत तिथि को नकदी प्रवाह में वास्तविक एवं स्पष्ट चित्र को दर्शाता है।
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
6. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.
7. In our opinion, as shown by the books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us, *subject to our comments in paragraph 5 above:*
- i. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii. the Profit and Loss Account, subject to as stated above and read with the notes thereon shows a true balance of the profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

As per our separate report of even date annexed

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं. For M/s. Salarpuria Jajodia & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001862सी FRN 001862C	कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट For M/s. Maheshwari & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 311008ई FRN 311008E	कृते जी. पी. अग्रवाल For M/s. G.P. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302082ई FRN 302082E	कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट For M/s. S. Ganguli & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302192ई FRN 302192E	कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं. For M/s. Tandon Seth & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 002340सी FRN 002340C	कृते एच एस रूस्तगी एण्ड कं. For M/s. H.S. Rustagi & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001890एन FRN 001890N
(सी ए एच के पी जैन) (CA H.K.P. Jain) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 012525 Membership No 012525	(सी ए बिजय मरमुरीया) (CA Bijay Murmura) भागीदार Partner सदस्यता सं. 055788 Membership No.055788	(सी ए सुनीता केडिया) (CA Sunita Kedia) भागीदार Partner सदस्यता सं. 060162 Membership No.060162	(सी ए एस के बासु) (CA S.K. Basu) भागीदार Partner सदस्यता सं. 059220 Membership No.059220	(सी ए दीपक कपूर) (CA Deepak Kapoor) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 070069 Membership No.070069	(सी ए नरेन्द्र के. रूस्तगी) (CA Narendra K. Rustagi) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 085676 Membership No.085676

स्थान : कोलकाता

तिथि : मई 03, 2010

Place : Kolkata

Date : May 03, 2010



पूँजी एवं देयताएँ
CAPITAL & LIABILITIES

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
पूँजी Capital	1	866,43,08	1782 ,43 ,08
प्रारक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus	2	3036,49,59	1295 ,33 ,12
जमाराशियाँ Deposits	3	68180,32,19	54535 ,90 ,07
उधार राशियाँ Borrowings	4	915,33,81	456 ,76 ,57
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	4012,63,29	3970,28,54
	कुल / Total	77011,21,96	62040,71,38

बी. सेन
B. Sen
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस. के. जिंदल
S.K.Jindal
निदेशक
Director

डॉ. श्रीमती नयना शर्मा
Dr. Mrs. N. Sharma
निदेशक
Director

एस. तलापात्र
S. Talapatra
निदेशक
Director

एस. एल. घोषाल
S.L. Ghosal
महाप्रबंधक
General Manager

आर. मोहंती
R. Mohanty
महाप्रबंधक
General Manager

एस. एल. बंसल
S.L. Bansal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

टी. बंद्योपाध्याय
T. Bandyopadhyay
निदेशक
Director

एस. सरकार
S. Sarkar
निदेशक
Director

डी. बसु
D. Basu
महाप्रबंधक
General Manager

एम. शेखर
M. Shekhar
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. घोष
P.K. Ghosh
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. दत्ता
P.K.Dutta
महाप्रबंधक
General Manager

एस. महापात्र
S.Mahapatra
महाप्रबंधक
General Manager

प्रवीर कुमार दत्त
Prabir K. Dutta
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. साहा
P.K.Saha
उप. महाप्रबंधक
Dy. General Manager

डी. सिन्हा
D.Sinha
सहायक महाप्रबंधक
Asst. General Manager



BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

आस्तियाँ
ASSETS

 (रुपये हजार में)
 (Rupees in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ Cash and balances with Reserve Bank of India	6	4707,01,82	4532,26,98
बैंको में जमाराशियाँ तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1670,78,00	1877,94,14
निवेश Investments	8	26067,73,60	17924,21,48
अग्रिम Advances	9	42330,03,99	35393,54,55
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	650,99,70	624,21,51
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	1584,64,85	1688,52,72
	कुल / Total	77011,21,96	62040,71,38
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	9812,19,20	5284,38,63
उगाही हेतु बिल Bills for collection		1781,26,15	1169,82,10
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पण Notes on Accounts	18		

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

As per our separate report of even date annexed

 कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं.
 For M/s. Salarpuria Jajodia & Co.
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 001862सी
 FRN 001862C

 (सी ए एच के पी जैन)
 (CA H.K.P. Jain)
 भागीदार
 Partner
 भागीदार सदस्यता सं. 012525
 Membership No 012525

 कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट्स
 For M/s. Maheshwari & Associates
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 311008ई
 FRN 311008E

 (सी ए बिजय मरमुरीया)
 (CA Bijay Murmura)
 भागीदार
 Partner
 भागीदार सदस्यता सं. 055788
 Membership No.055788

 कृते जी. पी. अग्रवाल
 For M/s. G.P. Agrawal & Co.
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 302082ई
 FRN 302082E

 (सी ए सुनीता केडिया)
 (CA Sunita Kedia)
 भागीदार
 Partner
 सदस्यता सं. 060162
 Membership No.060162

 कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट्स
 For M/s. S. Ganguli & Associates
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 302192ई
 FRN 302192E

 (सी ए एस के बासु)
 (CA S.K. Basu)
 भागीदार
 Partner
 सदस्यता सं. 059220
 Membership No.059220

 कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं.
 For M/s. Tandon Seth & Co.
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 002340सी
 FRN 002340C

 (सी ए दीपक कपूर)
 (CA Deepak Kapoor)
 भागीदार
 Partner
 भागीदार सदस्यता सं. 070069
 Membership No.070069

 कृते एच एस रूस्तागी एण्ड कं.
 For M/s. H.S. Rustagi & Co.
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 001890एन
 FRN 001890N

 (सी ए एन. के. रूस्तागी)
 (CA N. K. Rustagi)
 भागीदार
 Partner
 भागीदार सदस्यता सं. 085676
 Membership No.085676

 स्थान : कोलकाता
 तिथि : मई 03, 2010

 Place : Kolkata
 Date : May 03, 2010



अनुसूची / SCHEDULE 1

प्राधिकृत पूँजी

AUTHORISED CAPITAL

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
ईक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10/- प्रत्येक शेयर 2,20,00,00,000 ईक्विटी शेयर) Equity Share Capital (2,20,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	2200,00,00	*
स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) (80,000 स्थायी असंचयी अधिमानी प्रत्येक शेयर रु. 1,00,000/- का) Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) (80,000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of Rs. 1,00,000/- each)	800,00,00	*
	<u>3000,00,00</u>	<u>*</u>
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूँजी 316430800 (पूर्ववर्ती वर्ष 1532430800) ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10/- का 266430800 सहित (पूर्ववर्ती वर्ष 1532430800) प्रत्येक ईक्विटी शेयर रु. 10/- का कुल राशि रुपए 266.43 करोड (पूर्ववर्ती वर्ष में रुपए 1532.43 करोड) भारत सरकार के पास) (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 1 (क) देखें) ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL 316430800 (Previous Year 1532430800) Equity Shares of Rs. 10/- each[(including 266430800 (Previous Year 1532430800)] equity shares of Rs. 10/- each amounting to Rs. 266.43 crores (Previous Year 1532.43 crores) held by GOI (Refer Note 1(a) of Schedule 18)	316,43,08	1532,43,08
55000 (पूर्ववर्ती वर्ष में 25000) स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) प्रत्येक शेयर रु. 1,00,000/- का 55000 (Previous Year 25000) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 1,00,000/- each	550,00,00	250,00,00
कुल / Total	<u>866,43,08</u>	<u>1782,43,08</u>

* बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 की तीसरी अनुसूची के अनुसार लागू नहीं।

* Not Applicable as per Third Schedule (Sec. 29) to The Banking Regulation Act,1949.

अनुसूची / SCHEDULE 2

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष
RESERVES & SURPLUS
(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. सांविधिक प्रारक्षित निधि		
I. Statutory Reserves		
अथशेष		
Opening Balance	245,82,25	208,31,82
घटाव : पिछले वर्ष के संबंध में समायोजन	-	-
Less : Adjustment in respect of earlier year	-	-
जोड़ : लाभ - हानि लेखा से अंतरण	80,58,90	37,50,43
Add : Transfer from Profit & Loss Account	80,58,90	37,50,43
उप-योग / SUB-TOTAL :	326,41,15	245,82,25
II. पूँजी प्रारक्षित निधि		
II. Capital Reserves		
a) पूनर्मूल्यन प्रारक्षित निधी		
a) Revaluation Reserve		
अथशेष		
Opening Balance	468,95,09	487,17,26
जोड़ : वर्ष के दौरान योग	-	-
Add : Addition during the year	-	-
घटाव : लाभ - हानि लेखा में अंतरण	(17,31,04)	(18,22,17)
Less : Transfer to profit & Loss Account	(17,31,04)	(18,22,17)
	451,64,05	468,95,09
b) अन्य		
b) Others		
अथशेष		
Opening Balance	183,67,72	36,47,19
जोड़ : पूँजी पुनर्गठन से संबंधित समायोजन (देखें अनुसूची 18 नोट 1 (क) (i))	1266,00,00	-
Add : Adjustment in respect of capital restructuring (Ref.Note 1(a)(i) of Schedule 18)	1266,00,00	-
जोड़ : लाभ - हानि लेखा से अंतरण	22,16,91	147,20,53
Add : Transfer from Profit & Loss Account	22,16,91	147,20,53
	1471,84,63	183,67,72
उप-योग / SUB-TOTAL [(a) + (b)]	1923,48,68	652,62,81



अनुसूची / SCHEDULE 2

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष
RESERVES & SURPLUS

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
III. शेयर प्रीमियम		
III. Share Premium		
अथशेष		
Opening Balance	-	-
जोड़ : वर्ष के दौरान योग		
Add : Addition during the year	275,15,16	-
घटाव : सार्वजनिक निर्गम व्यय		
Less : Public Issue Expenses	(13,44,16)	-
उप-योग / SUB-TOTAL :	261,71,00	-
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि		
IV. Revenue and Other Reserves		
राजस्व प्रारक्षित निधि		
Revenue Reserve		
अथशेष		
Opening Balance	396,88,06	396,88,06
घटाव : पिछले वर्ष के संबंधित में समायोजन		
Less : Adjustment in respect of earlier year	-	-
जोड़ : लाभ - हानि लेखा से अंतरण		
Add : Transfer from Profit & Loss Account.	128,00,70	-
उप-योग / SUB-TOTAL :	524,88,76	396,88,06
V. लाभ - हानि लेखा में शेष		
V. Balance in Profit & Loss Account		
	-	-
कुल / TOTAL (I + II + III+IV+V)	3036,49,59	1295,33,12



अनुसूची / SCHEDULE 3

जमा राशियाँ
DEPOSITS(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

		31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
क	I. माँग जमा		
A.	I. Demand Deposit		
	i) बैंकों से		
	i) From Banks	264,52,44	307,35,67
	ii) अन्य से		
	ii) From Others	6383,22,43	5087,98,94
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ		
	II. Savings Bank Deposits	19335,53,78	15212,42,99
	III. मीयादी जमाराशियाँ		
	III. Term Deposits		
	i) बैंकों से		
	i) From Banks	1499,41,26	1513,05,19
	ii) अन्य से		
	ii) From Others	40697,62,28	32415,07,28
	कुल / TOTAL	68180,32,19	54535,90,07
ख	i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		
B.	i) Deposits of branches in India	68180,32,19	54535,90,07
	ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाराशियाँ		
	ii) Deposits of branches outside India	-	-
		68180,32,19	54535,90,07



अनुसूची / SCHEDULE 4

उधार राशियाँ
BORROWINGS

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. भारत में उधार राशियाँ I. Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक i) Reserve Bank of India	-	-
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	-	5,10,21
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ iii) Other Institutions & Agencies	891,82,14	415,31,44
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ II. Borrowings outside India	23,51,67	36,34,92
कुल / TOTAL	915,33,81	456,76,57
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार राशियाँ Secured borrowings included in I & II above	-	-

अनुसूची / SCHEDULE 5

अन्य देयताएं एवं प्रावधान

OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रुपये हजार में)

(Rupees in thousand)

		31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I.	देय बिल		
I.	Bills Payable	452,96,21	693,09,80
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II.	Inter-Office Adjustments (net)	19,02,01	165,64,88
III.	उपचित ब्याज		
III.	Interest accrued	384,43,55	364,38,70
IV.	गैर-जमानती प्रतिदेय बाँड		
IV.	(टीयर II पूंजी हेतु गौण ऋण) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debts for Tier II Capital)	1525,00,00	1525,00,00
V.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान		
V.	Contigent Provisions against Standard Assets	216,90,00	185,99,00
VI.	आस्थागित कर देयता		
VI.	Deferred Tax Liability	6,23,00	9,28,16
VII.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)		
VII.	Proposed Dividend (including Dividend Tax)	91,59,09	-
VIII.	अन्य (प्रावधानों सहित)		
VIII.	Others (including provisions)	1316,49,43	1026,88,00
	कुल / TOTAL	4012,63,29	3970,28,54



अनुसूची / SCHEDULE 6

भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	298,81,39	228,30,49
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ		
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में		
i) In Current Accounts	4408,20,43	4303,96,49
ii) अन्य खातों में		
ii) In Other Accounts	-	-
कुल / TOTAL	4707,01,82	4532,26,98



अनुसूची / SCHEDULE 7

बैंकों में जमाराशियाँ एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(रुपये हजार में)

BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. भारत में		
I. In India -		
i) बैंकों में जमाराशियाँ		
i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	137,00,01	336,79,16
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	-	-
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
ii) Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों में		
a) With Banks	1500,00,00	1500,57,85
ख) अन्य संस्थाओं में		
b) With other Institutions	-	-
उप-योग / SUB-TOTAL	1637,00,01	1837,37,01
II. भारत के बाहर		
II. Outside India -		
i) चालू खातों में		
i) in Current Accounts	33,77,99	40,57,13
ii) अन्य जमा खातों में		
ii) in Other Deposit Accounts	-	-
iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
iii) Money at Call and Short Notice	-	-
उप-योग / SUB-TOTAL	33,77,99	40,57,13
कुल / TOTAL	1670,78,00	1877,94,14



अनुसूची / SCHEDULE 8

निवेश
INVESTMENTS

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. भारत में निवेश (सकल)		
I. Investments in India (Gross)	26,602,23,26	18593,31,64
घटाव : एनपीए, मूल्य-ह्रास / परिशोधन हेतु प्रावधान Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation	(534,49,66)	(669,10,16)
शुद्ध / NET	26067,73,60	17924,21,48
अलग-अलग विवरण / Break-up		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ i) Government securities	19567,19,04	14063,27,71
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ ii) Other Approved Securities	54,09,99	77,71,84
iii) शेयर iii) Shares	247,74,56	138,92,24
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड iv) Debentures and Bonds	2060,65,87	1161,12,75
v) सहायक एवं / या संयुक्त उद्यम v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
vi) अन्य (म्यूचुअल फंड आदि) vi) Others (Mutual Fund etc.)	4138,04,14	2483,16,94
उप-योग / SUB-TOTAL	26067,73,60	17924,21,48
II. भारत के बाहर निवेश (सकल)		
II. Investments outside India (Gross)	1,58	1,58
घटाव : मूल्य-ह्रास के लिए प्रावधान Less : Provision for depreciation	(1,58)	(1,58)
शुद्ध / NET	-	-
अलग-अलग विवरण / Break-up		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) i) Government securities (including local authorities)	-	-
ii) विदेशों में सहायक एवं / या संयुक्त उद्यम ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	-	-
iii) अन्य निवेश (इक्विटी शेयर एवं पूंजी प्रतिदान बॉन्ड) iii) Other investments (Equity Shares & Capital Redemption Bonds)	-	-
उप-योग / SUB-TOTAL	-	-
कुल (I एवं II) / TOTAL (I & II)	26067,73,60	17924,21,48

अनुसूची / SCHEDULE 9

अग्रिम ADVANCES

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

		31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
क	i) खरीदे एवं भुनाये गये बिल		
A.	i) Bills Purchased and Discounted	1656,84,76	1195,54,36
	ii) नकदी-ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती ऋण		
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	9405,13,97	8402,97,04
	iii) सावधि ऋण		
	iii) Term Loans	31268 ,05 ,26	25795,03,15
	कुल / TOTAL	42330,03,99	35393,54,55
ख	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण संबंधी अग्रिम सम्मिलित)		
B.	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	33236,10,29	29986,85,17
	ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित		
	ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1099,73,85	830,45,02
	iii) गैर-जमानती		
	iii) Unsecured	7994,19,85	4576,24,36
	कुल / TOTAL	42330,03,99	35393,54,55
ग	I. भारत में अग्रिम		
C.	I. Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
	i) Priority Sector	13409,31,12	11005,74,25
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
	ii) Public Sector	9394,44,26	8772,41,14
	iii) बैंक		
	iii) Banks	301,65,48	201,69,39
	iv) अन्य		
	iv) Others	19224,63,13	15413,69,77
	उप-योग / SUB-TOTAL	42330,03,99	35393,54,55
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	II. Advances outside India		
	i) बैंकों से प्राप्त		
	i) Due from Banks	-	-
	ii) अन्य से प्राप्त		
	ii) Due from Others	-	-
	क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		
	a) Bills Purchased and Discounted	-	-
	ख) समूहित ऋण		
	b) Syndicated Loans	-	-
	ग) अन्य		
	c) Others	-	-
	उप-योग / SUB-TOTAL	-	-
	कुल (I एवं II) / TOTAL (I & II)	42330,03,99	35393,54,55



अनुसूची / SCHEDULE 10

अचल आस्तियाँ
FIXED ASSETS

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. परिसर		
I. Premises		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	565,39,38	565,17,45
जोड़ : वर्ष के दौरान योग Add : Additions during the year	94,37	21,93
	566,33,75	565,39,38
घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less : Deductions during the year	(42)	-
तिथि तक मूल्य-न्हास Depreciation to date	(105,06,58)	(86,65,39)
उप-योग / SUB-TOTAL	461,26,75	478,73,99
II. पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
II. Capital Work-in-Progress	57,27	86,50
III. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	415,30,88	335,71,61
जोड़ : वर्ष के दौरान योग Add : Additions during the year	141,79,76	82,88,12
	557,10,64	418,59,73
घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less : Deductions during the year	(1,51,75)	(3,28,85)
तिथि तक मूल्य-न्हास Depreciation to date	(366,43,21)	(270,69,86)
उप-योग / SUB-TOTAL	189,15,68	144,61,02
कुल (I+II+III) / TOTAL (I+II+III)	650,99,70	624,21,51

अनुसूची / SCHEDULE 11

अन्य आस्तियाँ
OTHER ASSETS(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
I. Inter-Office Adjustments (net)	-	-
II. उपचित ब्याज		
II. Interest accrued	507,38,29	321,18,06
III. अग्रिम प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध)		
III. Tax Paid in advance / Tax deducted at source (Net)	427,13,32	400,56,40
IV. लेखन-सामग्री एवं स्टाम्प		
IV. Stationery and Stamps	4,27,29	3,91,10
V. दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	14,53	15,37
VI. आस्थागित कर आस्तियाँ		
VI. Deferred Tax Assets	30,46,00	70,98,00
VII अन्य		
VII Others	615,25,42	891,73,79
कुल / TOTAL	1584,64,85	1688,52,72



अनुसूची / SCHEDULE 12

आकस्मिक देयताएं
CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
I. बैंक पर दावे जिन्हें बैंक देयता नहीं मानता I. Claims against the bank not acknowledged as debts	7,35,48	8,37,64
II. आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता II. Liability for partly paid investments	22,39,88	37,72,38
III. वायदा विनिमय करारों के कारण देयता III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5545,66,40	2305,07,03
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी सीमांत का शुद्ध) IV. Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin)		
क) भारत में a) In India	2394,41,23	1648,33,63
ख) भारत के बाहर b) Outside India	311,38,10	286,01,44
V. स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी सीमांत का शुद्ध) V. Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	1472,08,07	908,89,67
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है VI. Other items for which the Bank is contingently liable	58,90,04	89,96,84
कुल / TOTAL	9812,19,20	5284,38,63



युनाइटेड टावर
United Tower



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
I. आय			
I. Income			
अर्जित ब्याज	13	5248,93,96	4311,86,71
Interest earned			
अन्य आय	14	558,74,17	490,85,83
Other Income			
	कुल / TOTAL	5807,68,13	4802,72,54
II. व्यय			
II. Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज	15	3857,71,62	3150,36,20
Interest expended			
परिचालन व्यय	16	1074,11,93	975,13,49
Operating expenses			
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		553,48,98	492,51,89
Provisions and contingencies			
	कुल / TOTAL	5485,32,53	4618,01,58
III. लाभ			
III. Profit			
वर्ष का शुद्ध लाभ		322,35,60	184,70,96
Net Profit for the year			
	कुल / TOTAL	322,35,60	184,70,96

बी. सेन
B. Sen
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस. के. जिंदल
S.K.Jindal
निदेशक
Director

डॉ. श्रीमती नयना शर्मा
Dr. Mrs. N. Sharma
निदेशक
Director

एस. तलापात्र
S. Talapatra
निदेशक
Director

एस. एल. घोषाल
S.L. Ghosal
महाप्रबंधक
General Manager

आर. मोहंती
R. Mohanty
महाप्रबंधक
General Manager

एस. एल. बंसल
S.L. Bansal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

टी. बंद्योपाध्याय
T. Bandyopadhyay
निदेशक
Director

एस. सरकार
S. Sarkar
निदेशक
Director

डी. बसु
D. Basu
महाप्रबंधक
General Manager

एम. शेखर
M. Shekhar
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. घोष
P.K. Ghosh
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. दत्ता
P.K.Dutta
महाप्रबंधक
General Manager

एस. महापात्र
S.Mahapatra
महाप्रबंधक
General Manager

प्रवीर कुमार दत्त
Prabir K. Dutta
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. साहा
P.K.Saha
उप. महाप्रबंधक
Dy. General Manager

डी. सिन्हा
D.Sinha
सहायक महाप्रबंधक
Asst. General Manager


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

अनुसूची Schedule	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
IV. विनियोग		
IV. Appropriations		
सांविधिक आरक्षित में अंतरण Transfer to Statutory Reserve	80,58,90	37,50,43
आरक्षित पूँजी में अंतरण Transfer to Capital Reserve	22,16,91	147,20,53
लाभांश Proposed Dividend :	-	-
ईक्विटी Equity	63,28,62	-
पीएनसीपीएस PNCPS	15,00,00	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend	13,30,47	-
राजस्व आरक्षित निधी में अंतरण Transfer to Revenue Reserve	128,00,70	-
जमाराशि तुलन-पत्र में अग्रनित Balance carried forward to Balance Sheet	-	-
कुल / TOTAL	322,35,60	184,70,96
प्रतिशेयर (रुपये) मूल एवं मिश्रीत आय Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	2.51	-

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
As per our separate report of even date annexed

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं.
For M/s. Salarpuria Jajodia & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001862सी
FRN 001862C

(सी ए एच के पी जैन)
(CA H.K.P. Jain)
भागीदार
Partner
भागीदार सदस्यता सं. 012525
Membership No 012525

स्थान : कोलकाता
तिथि : मई 03, 2010

कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. Maheshwari & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 311008ई
FRN 311008E

(सी ए बिजय मरमुरीया)
(CA Bijay Murmuriya)
भागीदार
Partner
भागीदार सदस्यता सं. 055788
Membership No.055788

कृते जी. पी. अग्रवाल
For M/s. G.P. Agrawal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 302082ई
FRN 302082E

(सी ए सुनीता केडिया)
(CA Sunita Kedia)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 060162
Membership No.060162

कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. S. Ganguli & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 302192ई
FRN 302192E

(सी ए एस के बासु)
(CA S.K. Basu)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 059220
Membership No.059220

कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं.
For M/s. Tandon Seth & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 002340सी
FRN 002340C

(सी ए दीपक कपूर)
(CA Deepak Kapoor)
भागीदार
Partner
भागीदार सदस्यता सं. 070069
Membership No.070069

Place : Kolkata
Date : May 03, 2010

कृते एच एस रुस्तागी एण्ड कं.
For M/s. H.S. Rustagi & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001890एन
FRN 001890N

(सी ए एन. के. रुस्तागी)
(CA N. K. Rustagi)
भागीदार
Partner
भागीदार सदस्यता सं. 085676
Membership No.085676



अनुसूची / SCHEDULE 13

अर्जित ब्याज
INTEREST EARNED

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा I. Interest / Discount on Advances/Bills	3680,23,80	3004,58,01
II. निवेश पर आय II. Income on Investments	1545,68,23	1279,10,75
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	6,17,21	8,56,89
IV. अन्य IV. Others	16,84,72	19,61,06
कुल / TOTAL	5248,93,96	4311,86,71

अनुसूची / SCHEDULE 14

अन्य आय

OTHER INCOME

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	158,84,72	136,27,23
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ		
II. Profit on sale of Investments	180,47,44	215,96,51
घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि		
Less : Loss on sale of Investments	-	-
III. निवेशों की बिक्री पर लाभ		
III. Profit on revaluation of Investments	-	-
घटाव : निवेशों के बिक्री पर हानि		
Less : Loss on revaluation of Investments	-	-
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के बिक्रय पर लाभ		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	29,78	4,74
घटाव : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्रय पर हानि		
Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(7,01)	(1,12)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ		
V. Profit on exchange transactions	20,75,32	16,08,42
घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि		
Less : Loss on exchange transactions	(3,29)	
VI. भारत में / के बाहर सहायकों / कंपनियों एवं / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and / or joint ventures abroad / in India	-	-
VII विविध आय		
VII Miscellaneous Income	198,47,21	122,50,05
कुल / TOTAL	558,74,17	490,85,83



अनुसूची / SCHEDULE 15

व्यय किए गए ब्याज
INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में)
(Rupees in thousand)

		31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
I.	जमा राशियों पर ब्याज I. Interest on deposits	3672,27,65	2976,45,36
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज II. Interest on Reserve Bank of India / inter-Bank borrowing	10,89	5,31,39
III.	अन्य III. Others	185,33,08	168,59,45
	कुल / TOTAL	3857,71,62	3150,36,20

अनुसूची / SCHEDULE 16

परिचालनगत व्यय

(रुपये हजार में)

OPERATING EXPENSES

(Rupees in thousand)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान I. Payments to and Provisions for Employees	662,48,53	657,56,62
II. किराया, कर एवं बिजली II. Rent, Taxes and Lighting	68,36,68	54,53,54
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री III. Printing and Stationery	16,88,59	17,16,40
IV. विज्ञापन एवं प्रचार IV. Advertisement and Publicity	9,07,42	6,47,28
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्य-ह्रास V. Depreciation on Bank's property घटाव : पुनर्मूल्यन आरक्षित से अंतरण Less : Transfer from Revaluation Reserve	115,85,84 (17,31,04)	82,20,01 (18,22,17)
	98,54,80	63,97,84
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,23,95	1,06,56
VII लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) VII Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	9,04,74	10,65,33
VIII विधि प्रभार VIII Law Charges	1,98,15	2,90,22
IX डाक-व्यय, तार, टेलीफोन आदि. IX Postage, Telegrams, Telephones etc.	15,82,48	13,36,25
X मरम्मत और रख-रखाव X Repairs and Maintenance	7,17,16	6,61,97
XI बीमा XI Insurance	57,73,09	47,91,77
XII अन्य व्यय XII Other expenditure	125,76,34	92,89,71
कुल / TOTAL	1074,11,93	975,13,49



अनुसूची 17

SCHEDULE - 17

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियां

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियाँ परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परिपाटी, लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक प्रमाणों, कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के तहत अधिसूचित और लागू होने योग्य अनिवार्य लेखा-मानकों, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा उद्घोषित और बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है।

2. आय और व्यय निर्धारण

2.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।

2.2 अर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और आर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष वसूल हुई राशि प्रथमतः अवमानक आस्तियों और उन संदिग्ध आस्तियों पर आय स्वरूप नियोजित की गई है जो विशेष पुनर्निर्माण या पुनर्वसन या पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत है। अन्य संदिग्ध और हानि आस्तियों, मुकादमा दाखिल और डिक्री प्राप्त खातों में हुई प्राप्ति / वसूली प्रथमतः बकाया शेष राशि के साथ विनियोजित की गई है।

2.3 चालूवर्ष में अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत आय और अग्रिम तथा अप्राप्त को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

2.4 आय :

कमीशन (सरकारी लेन-देन को छोड़कर) विनिमय, दालाली, बीमा दावा, लॉकर किराया शेषों पर लाभांश का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

2.5 व्यय :

पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकदी आधार पर हिसाब में लिया गया है।

2.6 शेयरों के सार्वजनिक निर्गम से संबंधित व्ययों के शेयर प्रीमियम लेखा के साथ समायोजित किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा लेन - देन

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देनों का हिसाब लेखाकरण मानदंड 11 के अनुसार किया गया है।

3.1.1 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित बंद हुई दर पर किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिन्हीत किया गया।

3.1.2 आय एवं व्यय की मदों को लेन-देन की तिथि से प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2010

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the 'Going Concern' concept and conform to the generally accepted accounting practices in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) and applicable mandatory Accounting Standards (AS) notified under the Companies (Accounting Standards) Rules 2006 and Pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry.

2. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE:

2.1. The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

2.2. Income from performing assets is recognised on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is accounted for on realisation. The amount realised during the Year is appropriated first to income on Sub-standard Assets and those Doubtful Assets which are under specific reconstruction or rehabilitation or nursing programme. Amounts realized /recovered in other Doubtful & Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

2.3. Income on advances classified as NPA in the current year and remaining unrealised is reversed.

2.4 Income :

Commission (except on Govt. transactions), exchange, brokerage, insurance claim, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

2.5 Expenses :

Performance linked incentive to whole time directors is also accounted on cash basis.

2.6 Expenses relating to Public Issue of Shares are adjusted against Share Premium Account.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

3.1 Transactions involving Foreign Exchange are accounted for in terms of the AS-11.

3.1.1 Monetary Assets and Liabilities excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rate announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

- 3.1.3 गारंटी के साथ-साथ स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य बाह्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित बंद हुई दर पर निभाया गया।
- 3.2 बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण अभिन्न परिचालन स्वरूप किया गया है।
- 3.2.1 आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और यह लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच।
- 3.2.2 आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेन देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और यह रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच विदेशी मुद्रा राशि में हिसाब करके दिया गया है।
- 3.2.3 अभिन्न विदेशी परिचालन की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और देयताएं तुलन पत्र की तारीख की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद हुई विनिमय दर पर परिवर्तित की गई हैं और परिणाम स्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया गया है।
- 3.2.4 परस्पर लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन देने की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है।

4. निवेश

- 4.1 तुलन पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है : (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर्स एवं बांड्स (v) सहायक और/या संयुक्त उपक्रम और (vi) जैसा कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' निर्धारित है।
- 4.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेशों को (i) परिपक्वता तक धारित, (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध और (iii) व्यापार हेतु धारित - इन तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। परिपक्वता तक रखे रहने उद्देश्य से बैंक द्वार ली गई प्रतिभूत को व्यापार हेतु धारित वर्ग में रखा गया है। जो प्रतिभूतियाँ इन दो वर्गों में नहीं हैं, उन्हें विक्रय हेतु उपलब्ध वर्ग में रखा गया है। बैंक ने यह वर्गीकरण प्रतिभूतियों का अभिग्रहण करते समय किया है।
- 4.3 उपर्युक्त तीनों वर्गों में से जिसमें भी प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज /मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है उस पर आय का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया है।
- 4.4 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार किया गया है।
- 4.4.1 परिपक्वता तक धारित वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है और किस्तों का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता में बाकी बची अवधि में किया गया है। शेयर्स के रूप में वर्गीकृत जो निवेश प्रयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए हैं या शेयर्स के रूप में वर्गीकृत जो निवेश आर आई डी एफ, एस सी टी आर एम (पुनर्वित्त विधि), एम एस एम ई (पुनर्वित्त विधि) सीडबी, एम एस ई (जोखिम पूंजी) सिडबी, ग्रामीण आवास विकास निधि - एन एच बी, अतिलघु वित्त विकास एवं ईक्विटी फंड-नाबार्ड में किए गए हैं उनका मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है।
- 4.4.2 क) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' वर्ग की हर स्क्रिप तिमाही आधार पर या इससे भी

Outstanding forward exchange contracts are revalued at the appropriate forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

- 3.1.2 Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- 3.1.3 Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rate announced by FEDAI.
- 3.2 Representative Office of the Bank has been classified as Integral Operation.
- 3.2.1 Foreign currency transactions relating to Integral Operation are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- 3.2.2 Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rate notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- 3.2.3 Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

4. INVESTMENTS:

- 4.1 The investments in Balance Sheet for disclosure are classified as (i) Government Securities (ii) Other Approved Securities (iii) Shares (iv) Debentures and Bonds (v) Subsidiaries and/or Joint Ventures and (vi) Others as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 4.2 In accordance with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, investments are categorised into (i) 'Held to Maturity', (ii) 'Available for Sale' and (iii) 'Held for Trading'. The securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified as "Held to Maturity". "Held for Trading" category comprises securities acquired by the Bank with the intention of trading. The securities, which do not fall within the above two categories are classified under "Available for Sale". The above categorization is done by the Bank at the time of acquisition of the securities.
- 4.3 In respect of securities included in any of the above three categories where interest/principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognised as per prudential norms.
- 4.4 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:
- 4.4.1 Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost and premium is amortised over the remaining period of maturity of the security. Investment in sponsored



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

कम अंतराल के आधार पर बाजार के नाम चिन्हित की हुई है। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है और अधोलिखित प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्य-हास / अधिमूल्यन को समग्रित किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बांड्स
- v) सहायक / संयुक्त उपक्रम
- vi) अन्य (कामर्शियल पेपर्स, संचयी जमा, म्यूचुअल फंड आदि)

शुद्ध मूल्य-हास को दर्शाया गया है और मूल्यवृद्धि (यदि हुई है) को नजर अंदाज कर दिया गया है।

ख) मूल्यांकन की पद्धति :

- i) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ
- (क) जो एस एल आर के लिए योग्य हैं - सभी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट ऐंड डेकराइटिक्स एसोशिएशन) यानी फिममडा द्वारा उद्घोषित बाजार भाव पर / परिपक्वता प्रतिफल पर।
- (ख) जो एस एल आर के योग्य नहीं हैं - केंद्रीय सरकार की समान परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के आधारभूत प्रतिफल रेखा में 25 आधारविंदु जोड़ कर मूल्यांकित किया हुआ है।
- ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
इनका मूल्यांकन समान परिपक्वतावाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता प्रतिफल पद्धति द्वारा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ द्वारा घोषित दर / प्रतिफल से 25 आधार विंदु उपर चिन्हित करके किया गया है।
- iii) ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाणपत्र
इनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया गया है।
- iv) बांड्स एवं डिबेंचर्स (जो अग्रिम की प्रकृति की नहीं है) असूचीबद्ध (जिसका कोटेशन नहीं है।)
 - i) निर्धारित अन्य मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ के / वार्षिकीकृत/ अर्धवार्षिकीकृत दर के आधार पर परिपक्वता तथा ऋण वर्गीकरण तक आधारभूत प्रतिफल वक्र और ऋण विस्तृति के मैट्रिक्स पर गया है।
 - ii) अनुक्रमिक अतर्वेशन (लाइनियर इटरपोलेशन) के माध्यम से प्रत्येक वक्र (कर्व) के लिए अतर्वती अवधि हेतु प्रतिफल एवं ऋण विस्तृति,
 - iii) अवशिष्ट परिपक्वता के अनुरूप विस्तृति को आधारभूत प्रतिफल से जोड़कर,
 - iv) शेष परिपक्वताओं वाले बांड्स जिसकी परिपक्वता:

Regional Rural Banks (RRBs) classified as shares, RIDF, STCRS(Refinance Fund),MSME (Refinance)SIDBI,MSME (Risk Capital) SIDBI, Rural Housing Development Fund-NHB, Micro Finance Development and Equity Fund-NABARD classified as Shares are valued at carrying cost.

4.4.2a) The individual scrips in 'Available for Sale' category are marked to market at quarterly or at more frequent intervals. Securities under this category are valued scrip-wise & depreciation/appreciation is aggregated for each classification referred hereunder:

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures & Bonds
- v) Subsidiaries/Joint Ventures
- vi) Other (Commercial Papers, Cumulative Deposits, Mutual Funds etc.)

Net Depreciation is provided for and appreciation, if any, ignored.

b) Method of Valuation:

- i) Central Govt. Securities:
 - a) Which qualify for SLR -
At Market Prices/Yield to Maturity (YTM) as declared by FIMMDA in respect of all Central Government Securities
 - b) Which do not qualify for SLR -
Are valued after adding 25 basis points (bps) to Base Yield Curve of the Central Government Securities of equivalent maturity.
- ii) State Govt. Securities & Other Approved Securities:
Are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.
- iii) Treasury Bills, Commercial Paper & Certificate of Deposits
At carrying cost
- iv) Bonds & Debentures (not in the nature of advance) – Unquoted
 - i) Based on FIMMDA annualized/semi annualized, Base Yield Curve and a matrix of credit spread across maturities & credit ratings.
 - ii) Yield & Credit Spreads for intermediate tenors for each curve arrived by linear interpolation.
 - iii) The spreads added to the base yield corresponding



- क) छह महीने से कम है : छह मास आधारभूत प्रतिफल कर्व + संबंधित ऋण विस्तृति।
- ख) 15 वर्ष से अधिक : 15 वर्ष की विस्तृति को लागू होने योग्य परिपक्वता प्रतिफल से जोड़कर।
- ग) स्थायी बांड्स : निम्नतम आधार के प्रतिफल पर - जहाँ बांड्स की अंतिम परिपक्वता, आधार प्रतिफल कर्व पर सर्वाधिक लम्बे विंदु पर ली जानी है और लागू होने योग्य विस्तृति वह होगी जो तदनु रूप रेटिंग के सर्वाधिक लम्बी अवधि के लिए लागू होगी।
- क. श्रेणीकृत बांड्स एवं डिबेंचर्स
- श्रेणीकृत बांड्स का मूल्यांकन आधार के प्रतिफल कर्व में ऋण विस्तृति को जोड़कर (तदनु रूप कूपन फ्रिक्वेंसी) किया गया है। जहाँ रेटिंग दो या दो से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई है (12 महीने से अधिक पुरानी नहीं) वहाँ सबसे कम रेटिंग को लागू किया गया है।
- ख. अश्रेणीकृत बांड्स / इस अवधि में अश्रेणीकृत बांड्स में परिवर्तित अश्रेणीकृत बांड्स का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन विस्तृतियों में से सर्वाधिक विस्तृति को लेकर किया गया है :
- क) जारी करत समय, सर्वोत्तम आय वक्र (सोवरो इल्ड कर्व) की विस्तृति पर, 25% बढ़ाकर चिन्हीत।
- ख) बांड्स की चालू विस्तृति मातृका (मैट्रिक्स) से पिछली ज्ञान रेटिंग की विस्तृति पर।
- ग) इतनी ही अवधि के 'ट्रिपल ए' हेतु चालू विस्तृति पर।
- ग) जीरो कूपन बांड
- जीरो कूपन बांड्स का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत + उपचित बट्टे पर किया गया है और यह उस दर पर किया गया है जो बांड्स के अभिग्रहण के समय थी और जो बांड्स की मौजूदा कीमत के संदर्भ में बाजार में चिन्हीत की हुई है। उसका परिकला शून्य प्रतिफल बक्र (जीरो यील्ड कर्व) का प्रयोग करते हुए, उसके अंकित मूल्य की बट्टा करते हुए निर्धारित अन्य मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिममडा) द्वारा किए गए जीरो कूपन स्प्रेड की अनुसार उपयुक्त तरीके से चिन्हीत करके किया गया है।
- कोटेड बांड्स एवं डिबेंचर्स
- यदि ऐसे किसी बांड्स या डिबेंचर का लेन-देन मूल्यांकन तिथि के 15 दिनों के भीतर किया गया है तो उसका स्वीकृत मूल्य शेयर बाजार में दर्ज उसके लेन-देन मूल्य से अधिक नहीं है।
- v. शेयर्स

- to residual maturity.
- iv) Bonds with remaining maturity of :
- a) Less than six months : On six months base yield curve plus relative credit spread.
- b) More than 15 Years : Spread of 15 Years is to be added to the yield of applicable maturity.
- c) Perpetual Bonds : At yield to worst basis where the final maturity of the bonds will be taken to be the longest point on the base yield curve & the applicable spread would be that which is applicable for the longest tenor of corresponding rating.

A. Rated Bonds & Debentures

The rated bonds are valued by adding the credit spread to the Base Yield Curve (corresponding to the coupon frequency). Where rating from two or more rating Agencies (not more than 12 months old) are available then the lowest rating is applied for.

B. Unrated Bonds/Bonds Migrated to unrated category during its tenor

Unrated Bonds are valued by taking the highest among the following three spreads:

- a) Spread over the sovereign yield curve, at the time of issue, marked up by 25%.
- b) Spread for the last known rating of the bond from the current spread matrix.
- c) The current spread for AAA bond of similar tenor.

C. Zero Coupon Bonds

Zero Coupon Bonds are valued at acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition which is marked to market with reference to the present value of the bond which is calculated by discounting the face value using the "Zero Coupon Yield Curve" with appropriate mark up as per the zero coupon spreads put out by FIMMDA.

Quoted Bonds & Debentures

If such Bonds/Debentures transacted within 15 days prior to valuation date, then the value adopted is not higher than the rate at which the transaction recorded in stock exchange.

v) Shares



i) ईक्विटी शेयर्स

कोटेड : पिछले कोटेशन के अनुसार बाजार कीमत पर (15 दिनों से अधिक पुरानी नहीं) और यह कीमत उपलब्ध नहीं तो कम्पनी के तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के बही - मूल्य पर। जिसका कोटेशन नहीं : कम्पनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के विद्यमान मूल्य पर बाजार के कोटेशन या तुलन-पत्र दोनों में से कोई भी न हो तो प्रति कम्पनी 1/-

ii) अधिमानी शेयर

बाजार मूल्य पर, मूल्योंका की तारीख से 15 दिनों के भीतर यदि शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया गया है तो उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं जिस पर इसकी खरीद-फरोख्त हुई।

जिसका कोटेशन नहीं : समय-समय पर केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों हेतु फिमडा द्वारा घोषित परिपक्वता तक प्रतिफल दर पर समुचित मूल्य वृद्धि करके। इस वृद्धि का श्रेणी-निर्धारण उस रेटिंग के अनुसार किया गया है जिसे रेटिंग एजेंसी ने अधिमानी शेयर के लिए निम्नलिखित तथ्यों के अधीन दिया है :

क) परिपक्वता प्रतिफल की दर, कारपोरेट दर/समान परिपक्वता वाले भारत सरकार के ऋण हेतु परिपक्वता प्रतिफल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) अश्रेणीकृत अधिमानी शेयरों के लिए परिपक्वता प्रतिफल हेतु उपयोग में लाई गई दर, समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत अधिमानी शेयर पर लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए।

ग) जहाँ अधिमानी लाभांश बकाया है वहाँ उपचित लाभांश से कोई ऋण नहीं लिया जाना चाहिए और यदि यह बकाया 1 वर्ष से है तो परिपक्वता प्रतिफल पर कीमत का निर्धारण इस कीमत को 15% बट्टा करके और यदि 1 वर्ष से अधिक समय से है तो इससे भी अधिक बट्टा करके किया जाना चाहिए।

घ) अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक पर नहीं होना चाहिए।

4.4.3 'व्यापार हेतु धारित' के तहत निवेश

'व्यापार हेतु धारित' वर्ग में प्रत्येक स्क्रिप को यथा उपलब्ध मासिक या इससे भी कम अंतराल पर 'विक्रय हेतु उपलब्ध' वर्ग के मामले की तरह ही बाजार के नाम चिन्हीत की गई है।

4.5 लागत और अंकित मूल्य का अंतर होने के कारण शून्य कूपन बांड्स से प्राप्त आप का निर्धारण समय के अनुमान के आधार पर किया गया है।

4.6 एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्क्रिप का अंतरण सभी स्थितियों में अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से जो सबसे कम था - उसी पर किया गया है।

4.7 किसी भी वर्ग में निवेश के विक्रय पर लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है किंतु 'परिपक्वता तक धारित' वर्ग में निवेश के विक्रय पर लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत लाभ के बराबर राशि का विनियोजन "प्रारक्षित पूंजी खाता" में कर दिया गया है। प्रतिभूतियों के विक्रय पर अधिशेष / घाटा का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) की पद्धति अपनाई गई

i) Equity Shares :

Quoted : At market price as per last traded quotation (not older than 15 days) & in the absence of quotation on book value as per Balance Sheet (not older than 1 Year)

Unquoted : At break up value based on Company's latest Balance Sheet (not older than 1 Year). In the absence of market quotation/ Balance Sheet, both at Re.1/- per company

ii) Preference Share

Quoted : At market price, if traded on Stock Exchange within 15 days prior to valuation date, the value is not higher than the price at which traded.

Unquoted : By appropriate markup over YTM rates for Central Government Securities put out by FIMMDA periodically. The markup is graded according to the ratings assigned to the preference shares by rating agencies subject to -

a) The YTM rate should not be lower than the corporate rate/YTM for a GOI loan of equivalent maturity.

b) The rate used for the YTM for unrated preference shares should not be less than the rate applicable to rated preference share of equivalent maturity.

c) Where preference dividend is in arrears, no credit should be taken of accrued dividends and the value determined on YTM should be discounted by 15% if arrears are for one Year & more if it is for more than one Year.

d) The preference share should not be valued above its redemption value.

4.4.3 Investments held under HFT

The individual scrip in the 'Held for Trading' category were marked to market at the monthly or at more frequent intervals as provided for, as in the case of 'Available for Sale' category.

4.5 Income from Zero Coupon Bonds being the difference between cost and face value is recognised on a time proportion basis.

4.6 Transfer of scrip from one category to another, under all circumstances is done at acquisition cost /book value / market value on the date of transfer whichever is the least.

4.7 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the Year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.



- है।
- 4.8 'विक्रय हेतु धारित' वर्ग में धारण अवधि (होल्डिंग पीरियड) का हिसाब करने के लिए क्रय-क्रम-मूल्यन पद्धति या प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति (फिफो विधि) अपनाई गई है।
- 4.9 प्रतिभूति शुल्क पर प्राप्त दलाली, कमीशन, और प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से घटा लिया गया है। खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को लाभ एवं हानि लेखा में जमा कर दिया गया है।
- 4.10 प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन और स्टाम्प ड्यूटी को राजस्व व्यय के रूप में लिया गया है।
- 4.11 खंडित अवधि के ब्याज को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।
- 4.12 हर निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिफल हीन निवेश हेतु निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप आय के उपयुक्त प्रावधान/मान्यताच्युत (डिरिक्गेशन) करके किए गए हैं। आर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्य-ह्रास / प्रावधान अन्य आर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।
5. अग्रिम
- 5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक एवं आर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है।
- 5.2 आर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और प्राप्त इसीजिसी दावे के रूप में किया गया है। अर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान को 'अन्य देयताएं प्रावधान' के अंतर्गत दिखलाया गया है।
- 5.3 (i) आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी / प्रतिभूतीकरण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ यदि शुद्ध बही-मूल्य से कम कीमत पर बेची गई हैं तो उस कमी को लाभ हानि खाते में नामे कर दिया गया है। यदि इन्हें शुद्ध बही मूल्य से ऊँची कीमत पर बेचा गया है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा सृजित यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचा मूल्य से कम कीमत पर या ऐसी वित्तीय आस्ति शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है। बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को नॉन एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनु रूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड गैर एस एल आर प्रतिभूतियों पर भी लागू है।
- 5.3. (ii) आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी / प्रतिभूतीकरण कम्पनी को बेचे बट्टा खाता आस्तियों के संबंध में विक्रय-आगम को आय माना गया है।
- 5.4 अग्रिमों का पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देश के अनुरूप किया गया है।
6. **अचल आस्तियाँ और मूल्य ह्रास**
- 6.1 परिसर (इसमें पट्टे पर लिए गए परिसर भी शामिल है) और अन्य अचल आस्तियाँ तथा चल र हे पूंजीगत कार्य को परम्परागत लागत पर लिया गया
- 4.8 For the purpose of calculating holding period in case of 'Held for Trading' category, FIFO method is applied.
- 4.9 Brokerage, Commission & Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities. Interest received for broken period is credited to Profit & Loss Account.
- 4.10 Brokerage, Commission and Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 4.11 Broken-period interest paid is charged to Profit & Loss Account.
- 4.12 Investments are subject to appropriate provisioning/derecognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.
5. **ADVANCES:**
- 5.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets, account wise and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.
- 5.2 Non-performing assets are stated net of provisions and ECGC claims received. Provisions held for performing assets is shown under the head 'Other Liabilities & Provisions'.
- 5.3 (i) In case of financial assets sold to the Assets Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC. The sale of financial assets to ARC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC for such sale or the net value of such financial assets. The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable.
- 5.3 (ii) In the case of written off Assets sold to ARC/SC, the sale proceeds is recognized as income.
- 5.4 Restructuring of Advances have been made as per RBI guidelines.
6. **FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:**
- 6.1 Premises, including leasehold and other fixed assets and Capital work in progress, are stated at historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount



है। पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित में जमा किया गया है।

- 6.2 साफ्टवेयर को कम्प्यूटरों के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।
- 6.3 कम्प्यूटर, स्वचालित टेलर मशीन और साफ्टवेयर और अन्य आस्तियों पर मूल्य-ह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दर पर और निर्दिष्ट तरीके से अवलिखित या ह्रासित मूल्य पद्धति (रिटो डाऊ वैल्यू मेथड) से किया गया है। उसकी दर को परवर्ती पूर्ण अंक में लिया गया है। आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग का मूल्य ह्रास पुनर्मूल्यांकित निधि से समायोजित किया गया है।
- 6.4 पट्टे पर ली हुई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया जाता है।
- 6.5 कम्प्यूटरों, स्वचालित मशीनों एवड़ साफ्टवेयरों पर मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान उसकी अभिग्रहण तिथि से अनुपातिक आधार पर, सीधी रेखा पद्धति से 33.33 की दर से किया गया है।

7. कर्मचारियों को सुविधाएं

- 7.1 कर्मचारियों को दी जानेवाली अल्पावधि सुविधाओं (ऐसी सुविधाएं जो कर्मचारी के सेवाकाल की समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर देनी होती हैं) की माप लगातार पर की गई है।
- 7.2 कर्मचारियों को दी जानेवाली दीर्घावधि सुविधाओं (ऐसी सुविधाएं जो क्रमचारी के सेवाकाल की समाप्ति के 12 महीने बाद देनी हैं - जैसे कि बीमारी के कारण छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा रियायत तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनतोषिक, पेंशा और छुट्टी नकदीकरण (या) की मान वार्षिक तृतीय पक्ष बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाई गई यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बट्टा आधार पर की गई है।
- 7.3 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है। जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनका अंशदान वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।
- 7.4 तुलन-पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहाँ भी लागू होने योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमाकिक लाभ/हानि के रूप में दर्शाया गया है।
- 7.5 दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं को संबंधित अन्तर्कालीन देयता को पाँच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

8. लेखन सामग्री

लेखाबंदी की तिथि को उपलब्ध लेखा सामग्री के स्टॉक को लागत पर हिसाब में लिया गया।

9. कराधान

- क) कराधान का प्रावधान आकलित कर देयता के आधार पर किया गया है।
- ख) आस्थगित कर देयता / आस्ति की मान्यता आई सी ए आई द्वारा जारी

and the appreciation is credited to Revaluation Reserve.

- 6.2 Softwares are capitalized with computers.
- 6.3 Depreciation on assets other than computers, Automated Teller Machines (ATMs) and software is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule XIV to the Companies Act, 1956. The rate is rounded off to next absolute number. Depreciation on the revalued portion of the assets is adjusted from Revaluation Reserve.
- 6.4 Leasehold assets are amortised over the period of lease.
- 6.5 Depreciation on computers, ATM and software are provided on straight-line method @ 33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

7. EMPLOYEE BENEFITS :

- 7.1 Short term employee benefits (benefits which are payable within twelve months after the end of the period in which the employees render service) are measured at cost.
- 7.2 Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which the employees render service namely sick leave, casual leave, medical benefit and leave fare concession and post retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.
- 7.4 Long Term employee benefits recognized in the balance sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit & Loss Account.
- 7.5 The transitional liability in respect of long term employee benefits is recognized as an expense on straight line basis over a period of five Years.

8. STATIONERY

The stock of stationery in hand as on the closing date is accounted for at cost.

9. TAXATION:

- a. Provision for taxation is made on the basis of estimated tax liability.
- b. Deferred tax liability/asset is recognized in terms of Accounting Standard 22.



लेखीकरण स्तर 22 की शर्तों के अनुरूप दी गई है।

10. आस्तियों का आर्जक होना :

अचल आस्तियों पर हानि की पहचान (पुनर्मूल्यांकित आस्ति सहित, यदि कोई हो तो) को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखीकरण स्तर 28 (आस्तियों का आर्जक होना) के अनुसार की गई है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ इस संबंध में आई सी ए आई द्वारा जारी लेखीकरण स्तर 29 (“प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ” के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब अतीत के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है। यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व को चुकाने के लिए जरूर हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

इस वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ऐसी आय की पहचान की जा सकती है जिसकी वसूली न हो सके।

10 IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment Losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 (“Impairment of Assets”).

11. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29 (“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event & it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

31.03.2010 को यह अनुसूची-17 का अंश है।

This is the part of Schedule-17 as on 31.03.2010

बी. सेन B. Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	एस. के. जिंदल S.K.Jindal निदेशक Director	डॉ. श्रीमती नयना शर्मा Dr. Mrs. N. Sharma निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	एस. एल. घोषाल S.L. Ghosal महाप्रबंधक General Manager	आर. मोहंती R. Mohanty महाप्रबंधक General Manager
एस. एल. बंसल S.L. Bansal कार्यपालक निदेशक Executive Director	टी. बंद्योपाध्याय T. Bandyopadhyay निदेशक Director	एस. सरकार S. Sarkar निदेशक Director	डी. बसु D. Basu महाप्रबंधक General Manager	एम. शेखर M. Shekhar महाप्रबंधक General Manager	पी. के. घोष P.K. Ghosh महाप्रबंधक General Manager
	पी. के. दत्ता P.K.Dutta महाप्रबंधक General Manager	एस. महापात्र S.Mahapatra महाप्रबंधक General Manager	प्रवीर कुमार दत्त Prabir K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	पी. के. साहा P.K.Saha उप. महाप्रबंधक Dy. General Manager	डी. सिन्हा D.Sinha सहायक महाप्रबंधक Asst. General Manager

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date annexed

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं. For M/s. Salarpuria Jajodia & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001862सी FRN 001862C (सी ए एच के पी जैन) (CA H.K.P. Jain) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 012525 Membership No 012525	कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट For M/s. Maheshwari & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 311008ई FRN 311008E (सी ए बिजय मरमुरिया) (CA Bijay Murmuria) भागीदार Partner सदस्यता सं. 055788 Membership No.055788	कृते जी. पी. अग्रवाल For M/s. G.P. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302082ई FRN 302082E (सी ए सुनीता केडिया) (CA Sunita Kedia) भागीदार Partner सदस्यता सं. 060162 Membership No.060162	कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट For M/s. S. Ganguli & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302192ई FRN 302192E (सी ए एस के बासु) (CA S.K. Basu) भागीदार Partner सदस्यता सं. 059220 Membership No.059220	कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं. For M/s. Tandon Seth & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 002340सी FRN 002340C (सी ए दीपक कपूर) (CA Deepak Kapoor) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 070069 Membership No.070069	कृते एच एस रूस्तगी एण्ड कं. For M/s. H.S. Rustagi & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001890एन FRN 001890N (सी ए एन. के. रूस्तगी) (CA N. K. Rustagi) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 085676 Membership No.085676
---	---	--	---	--	---

स्थान : कोलकाता
तिथि : मई 03, 2010

Place : Kolkata
Date : May 03, 2010

अनुसूची / SCHEDULE - 18

टिप्पणियां - जो 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखा का अंश हैं।

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2010

- 1 (क) i) भारत सरकार के पत्र सं. 11/25/2005-बी ओए दिनांक 07.07.09 के अनुसार सरकार ने रु. 1266.00 करोड़ की राशि भारत सरकार को वापस करके बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी की पुनर्रचना एवं साथ-ही-साथ वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक की आरक्षित पूंजी में इस राशि को सम्मिलित करने और इस प्रकार बैंक की चुकता पूंजी कम कर रु. 266.43 करोड़ करने का अनुमोदन किया है।
- ii) चालू वर्ष के दौरान बैंक ने गैर-स्थानिक एवं पात्र संस्थागत क्रेता बिडरों के लिए प्रति शेयर रु. 66/- की दर से तथा रिटेल वैयक्तिक बिडरों एवं पात्र कर्मचारियों के लिए प्रति शेयर रु. 63/- की दर से रु. 10/- के 500,00,000 इक्विटी शेयर का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी किया। तदनुसार, बैंक का इक्विटी शेयर पूंजी रु. 50.00 करोड़ से रु. 316.43 करोड़ तक बढ़ गया है और शेयर प्रिमियम खाते में रु. 275.15 करोड़ जमा किए गए हैं। सार्वजनिक निर्गम संबंधी रु. 13.44 करोड़ के व्यय को बैंक की लेखा नीति के अनुसार प्राप्त शेयर प्रिमियम के पक्ष में समायोजित किया गया है।
- (ख) अंतर शाखा खातों एवं घॉस्ट्रोड खातों में चालू एवं पुरानी असमोयोजित प्रविष्टियां बकाया है जिनके लेखा समाधान / समायोजन का कार्य जारी है। प्रबंधन के विचार से उपर्युक्त स्थिति का खातों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी. बी.पी.बी.सी सं. 133/21.04.018/2008-09 दिनांक 11.05.2009 के अनुसार लाभ-हानि खाते में जमा की गई राशि (अवरूद्ध/दावा रहित जमा खातों में प्रविष्टियों को बटटेखाते डालने के लिए) सामान्य रिजर्व में विनियोजित की जानी चाहिए एवं वह डिवेडेंट घोषणा के लिए नहीं होनी चाहिए। 31.03.02 तक के रु. 119763/- (युएसडी 2500) के अवरूद्ध खातों एवं दावारहित जमा खातों की प्रतिलेखित (राइट बैंक) प्रविष्टियों पर रु. 102,66,808/- का लाभ हुआ है। 31.03.10 तक इन प्रविष्टियों के संबंध में कोई दावा नहीं प्राप्त हुआ है।
2. क) 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी के तहत बैंक का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) निवेश रु. 13310.06 करोड़ था (विगत वर्ष रु. 11429.30 करोड़) जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांग एवं समय देयता (डीटीएल) की निर्धारित सीमा 25% (विगत वर्ष 25%) के मुकाबले 19.11% (विगत वर्ष 21.50%) है।
- ख) 31.03.2010 को समाप्त वर्ष में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ए एफ एस श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में बही मूल्य (बी वी) पर निवेश का रु. 117.17 करोड़ (विगत वर्ष रु. 886.70 करोड़) अंतरत किया है तथा रु. 6.45 करोड़ (वित वर्ष्यां रु. 46.56 करोड़) का मूल्य-हास किया है।
3. सदस्य बैंकों की ओर से आई बी ए एवं अखिल भारतीय कामगार/ अधिकारी युनियनों के बीच 27.04.10 को हुए नए करार के संदर्भ में नवंबर 2007 से 17.5% की वृद्धि हेतु मार्च 2010 तक के लिए प्रकलित आधार पर रु. 264 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से रु. 194 करोड़ का प्रावधान चालू वर्ष में हुआ।
- 1 (a) i) As per Government of India letter no. 11/25/2005-BOA dated 07/07/09, the Government has approved the restructuring of paid-up equity capital of the Bank by return of an amount of Rs. 1266.00 Crores to the Government of India and simultaneously infusion of this amount in the Capital Reserve of the Bank during the Year 2009-10, thereby reducing the paid-up capital of the Bank to Rs. 266.43 Crores.
- ii) During the current Year, the Bank has come out with a Initial Public Issue of 500,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each at a price of Rs. 66/- per Share for Non-Institutional & QIB bidders & Rs. 63/- per Share for retail individual bidders & eligible employees. Accordingly, Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.50.00 Crores to Rs. 316.43 Crores & Share Premium Account has been credited by Rs. 275.15 Crores. The Public Issue expenses of Rs 13.44 Crores are adjusted against Share Premium received in accordance with the Accounting Policy of the Bank.
- (b) There are current and old unadjusted entries outstanding in Inter Branch Accounts and NOSTRO Accounts, the reconciliation/ adjustment of which is under progress. In the opinion of the management, consequential impact of the above on accounts will not be material.
- (c) As per RBI Circular No. DBOD.BP.BC. No.133/21.04.018/2008-09 dated 11.05.09, the amount credited to Profit and Loss Account (on account of write-off of entries in Blocked/Unclaimed Deposits Accounts) should be appropriated to the General Reserve and will not be available for declaration of dividend. An amount of Rs.102,66,808 has been booked as profit on write-back entries in Blocked Accounts and Unclaimed Deposits Accounts upto a value of Rs.119763/- (USD 2500) originating upto 31.03.02. No claim has been received in respect of these entries till 31.03.10.
2. a) Bank's SLR investments under 'Held to Maturity' (HTM) category was Rs.13310.06 Crores (Previous Year : Rs.11429.30 Crores) representing 19.11% (Previous Year 21.50%) of Demand and Time Liability (DTL) as against ceiling of 25% (Previous Year : 25%) prescribed by RBI
- b) During the Year ended 31.03.2010 the Bank has shifted Rs.1171.17 Crores (Previous Year: Rs.866.70 Crores) of investments at Book Value (BV) from AFS to HTM category in terms of RBI guidelines and has provided depreciation of Rs. 6.45 Crores (Previous Year: Rs. 46.56 Crores).
3. Based on new agreement reached between IBA on behalf of member banks with All India Unions of workmen/officers on 27/04/10 towards increment of 17.5% w.e.f. November, 2007, a provision of Rs.264 crores has been made on estimated basis upto March, 2010 of which Rs. 194 crores was made during the current year.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

4. क) परिसरों में ₹. 1.38 करोड़ की संपत्ति शामिल है (विगत वर्ष यह ₹. 1.45 करोड़ थी) जो मूल्य-ह्रास का शुद्ध लागत ₹. 1.88 करोड़ है (विगत वर्ष भी 1.88 करोड़ था)। इससे संबंधित पंजीकरण की औपचारिकताएं लंबित हैं।
- ख) परिसरों में ₹. 18.22 करोड़ (मूल्य-ह्रास का शुद्ध) की पट्टे पर ली हुई संपत्ति शामिल है। (विगत वर्ष ₹. 19.64 करोड़ थी)
- ग) पुनर्मूल्यांकित परिसरों पर सामान्य मूल्य-ह्रास से अधिक मूल्य-ह्रास को पुनर्मूल्यांकित रिजर्व के पक्ष में समंजित कर लिया गया है।

5.1 पूंजी पर्याप्तता

मद	बेसेल - II	
	2009-10	2008-09
i) सी आर ए आर (%)	12.80	13.28
ii) सी आर ए आर टियर-I पूंजी (%)	8.16	7.56
iii) सी आर ए आर टियर-II पूंजी (%)	4.64	5.72
iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार के शेयर धारण का प्रतिशत	84.20%	100%
v) नवोन्मेषो बेमोयादी ऋण लिखत जारी करके उगाही गई राशि	NIL	NIL
vi) टियर - II पूंजी के रूप में उगाही गई गौड़ ऋण की राशि (₹. करोड़ में)	NIL	250

5.2 निवेश

(₹. करोड़ में)

मदें	2009-10 को समाप्त वर्ष	2008-09 को समाप्त वर्ष
(1) निवेशों के मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	26602.23	18593.31
(ख) भारत से बाहर	0.02	0.02
(ii) मूल्य-ह्रास के लिए प्रावधान*		
(क) भारत में	534.49	669.10
(ख) भारत से बाहर	0.02	0.02
(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
(क) भारत में	26067.74	17924.21
(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
(2) निवेशों पर मूल्य-ह्रास विषयक प्रावधानों का उतार चढ़ाव		
(i) आरंभिक शेष	647.16	428.74
(ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	86.49	248.29
(iv) घटाव : वर्ष के दौरान किए गए अतिशय प्रावधान का प्रतिलेखन	216.30	29.87
(iv) अंतिम शेष	517.35	647.16

*मूल्य-ह्रास के प्रावधान में एन पी आई प्रावधान शामिल है।

4. a) Premises include properties of Rs.1.38 Crores (Previous Year: Rs.1.45 Crores) net of depreciation, cost: Rs. 1.88 Crores (Previous Year: Rs.1.88 Crores) in respect of which registration formalities are pending.
- b) Premises include leased properties amounting to Rs.18.22 Crores (net of depreciation) (Previous Year: Rs.19.64 Crores).
- c) Depreciation over and above the normal depreciation attributable to revalued premises is set off against Revaluation Reserve.

5.1 Capital Adequacy

Items	Basel-II	
	2009-10	2008-09
i) CRAR (%)	12.80	13.28
ii) CRAR-Tier I capital (%)	8.16	7.56
iii) CRAR-Tier II Capital (%)	4.64	5.72
iv) Percentage of the shareholding of the Govt. of India in nationalized Banks.	84.20%	100%
v) Amount raised by issue of Innovative Perpetual Debt Instrument	NIL	NIL
vi) Amount of subordinated debt raised as Tier-II Capital (Rs. in Crores)	NIL	250

5.2 Investments

(Rs. in Crores)

Items	Year ended 2009-10	Year ended 2008-09
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	26602.23	18593.31
(b) Outside India	0.02	0.02
(ii) Provisions for Depreciation*	534.49	669.10
(a) In India	0.02	0.02
(b) Outside India		
(iii) Net Value of Investments	26067.74	17924.21
(a) In India	0.00	0.00
(b) Outside India.		
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.	647.16	428.74
(i) Opening balance	86.49	248.29
(ii) Add : Provisions made during the Year	216.30	29.87
(iv) Less : Write-back of excess provision during the Year	517.35	647.16
(iv) Closing balance		

*Provision for Depreciation includes NPI provision.

5.2.1. रेपो / प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन

5.2.1 Repo/Reverse Repo transactions

(रु करोड़ में) (Rs. in Crores)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the Year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the Year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the Year	31 मार्च, 2010 तक का बताया Outstanding as on March 31, 2010
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under Repo	300	600	36.99	Nil
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under Reverse Repo	100	1800	269.64	1500

5.2.2 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग

5.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

- (i) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन
(i) Issuer composition of Non-SLR Investments

(रु करोड़ में) (Rs. in Crores)

संख्या No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश क्षेत्रों से निम्न स्तर की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of Below Investment Grade Securities	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of Unrated Securities	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	446.56	142.93	-	3.61	3.60
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	513.45	424.98	-	-	-
3	बैंक / Banks	1640.44	1495.60	-	-	-
4	निजी कंपनियां / Private Corporate	614.53	501.53	-	10.05	11.05
5	अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम Subsidiaries/Joint ventures	-	-	-	-	-
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी) Others (MF/CP/CD)	3264.60	2673.85	-	-	-
7	मूल्य-हास / एनपीआई के लिए प्रावधान Provision held towards Depreciation / NPI	17.02	-	-	-	-
	कुल Total (1 to 6) - (7)	6462.56	5238.89	-	13.66	14.65

(ii) अनर्जक गैर एस एल आर निवेश

(रु करोड़ में) (Rs. in Crores)

विवरण	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	30.34	23.60
01 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि/योग	3.39	10.56
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी/-हास	16.71	3.82
अंतिम शेष	17.02	30.34
कुल प्रावधान	17.02	21.34

(ii) Non-performing Non-SLR Investments

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
Opening balance	30.34	23.60
Additions during the Year since 1st April	3.39	10.56
Reductions during the above period	16.71	3.82
Closing balance	17.02	30.34
Total provisions held	17.02	21.34



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

5.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

5.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
i) विनिमय व्यवस्था का अनुमानिक मूलधन	NIL	NIL
ii) करार के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियाँ बाध्यतायें पूरी करने में चूक जाती हैं तो हानि होगी	NIL	NIL
iii) विनिमय करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक (जमानत)	NIL	NIL
iv) विनिमय से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	NIL	NIL
v) विनिमय बही का उचित मूल्य	NIL	NIL

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(रु करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नो का अनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य
(ii)	31 मार्च 2010 को बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नो का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य
(iii)	बकाया 'अल्प प्रभावी' विनिमय व्यापारकृत व्युत्पन्नो का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य
(iv)	बकाया एवं 'अल्प प्रभावी' विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नो का चिन्हित बाजार मूल्य (लिखतवार)	शून्य

5.3.3 व्युत्पन्नो में जोखिम निवेशो का प्रकटीकरण :

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की आस्ति / देयताओं के बचाव हेतु व्युत्पत्तिक लिखतों के प्रयोग के लिए निर्मित निवेश नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। रूपर व्युत्पत्तिको में लेनदेन के लिए निवेश नीति में स्पष्ट प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लेख है। तदनुसार, निवेश हेतु आंतरिक समिति/ निदेशक मंडल को अपेक्षित सूचना दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है। बैंक ने केवल बचाव के उद्देश्य से 'ब्याज दर विनिमय' (आई आर एस) कार्य शुरू किया।

विदेशी मुद्रा में कोई व्युत्पन्नी लेनदेन नहीं किया गया।

ख. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने तुलनपत्र आस्तियों के बचाव में ब्याज दर बदली (आई आर एस) जैसे व्युत्पत्तिक संविदाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया है। 31.03.2010 तक विनिमय (स्वाप) बकाया या अनुमानिक प्रधान मूल्य शून्य (विगत वर्ष भी शून्य) था। 'स्वैप्स' (एस डब्लू ए पी एस) का उचित मूल्य 31.03.2010 तक शून्य (विगत वर्ष भी शून्य) था।

5.3 Derivatives

5.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(Rs. in Crores)

Items	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
i) The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	NIL	NIL

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crores)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2010 (instrument-wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken outstanding and not highly effective (instrument-wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not highly effective (instrument-wise)	NIL

5.3.3 Disclosure on risk exposures in derivatives:

a. Qualitative Disclosure

The Investment Policy for using Derivative Instruments to hedge Bank's assets / liabilities has been approved by the Board of Directors. For transactions in Rupee Derivatives, there are defined delegated powers in the Investment Policy and accordingly required reporting is done to Internal Committee for Investment / Board of Directors. A well defined Risk Management Policy approved by the Board of Directors is in place. The Bank entered into Interest Rate Swap (IRS) deals only for hedging purpose.

No Derivative transaction was undertaken in Foreign Exchange.

b. Quantitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on Balance Sheet Assets. The notional principal value of SWAPs outstanding as on 31.03.2010 was Rs.Nil (against Previous Year Rs.NIL). The fair value of SWAPs as on 31.03.2010 was Rs.Nil (Previous Year Rs. NIL).



(रु करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	मुद्रा व्युत्पत्तिक	व्याज व्युत्पत्तिक
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन)	शून्य	शून्य
	क) बचाव हेतु	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिन्हित (1)		
	क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण निवेश (2)	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाग (100*पीवी01)		
	क) बचाव व्युत्पन्नो पर	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्नो पर	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान देखी गई 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम		
	क) बचाव पर	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य

5.4 आस्ति गुणवत्ता

5.4.1 अनर्जक आस्तियां

(रु करोड़ में)

Items	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
i) शुद्ध अग्रिम का कितना (%) शुद्ध आर्जक आस्ति है	1.84	1.48
ii) आर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	1020	761
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि / योग	980	811
ख) वर्ष के दौरान कमी / ऱ्हास	628	552
घ) अंतिम शेष	1372	1020
iii) शुद्ध आर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	525	306
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि / योग	709	615
ख) वर्ष के दौरान कमी / ऱ्हास	455	396
घ) अंतिम शेष	779	525
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) आरंभिक शेष	495	455
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	273	196
ग) अतिशय प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन	174	156
घ) अंतिम शेष	594	495

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year		
	a) on hedging	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL

5.4.1 Asset Quality

5.4.1 Non-Performing Assets

(Rs. in Crores)

Items	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.84	1.48
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	1020	761
b) Additions during the Year	980	811
c) Reductions during the Year	628	552
d) Closing Balance	1372	1020
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	525	306
b) Additions during the Year	709	615
c) Reductions during the Year	455	396
d) Closing Balance	779	525
iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening Balance	495	455
b) Provisions made during the Year	273	196
c) Write off/write back of excess provision	174	156
d) Closing Balance	594	495



5.4.2 पुनर्गठित खातों के विवरण

5.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(रु करोड़ में) (Rs. in Crores)

		सीडीआर मेकानिज्म CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्गठन SME Debt Restructuring	अन्य Others	योग Total
पुनर्गठित मानक ऋण Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	6	422	26541	26969
	बकाया राशि / Amount outstanding	167.02	140.45	1885.53	2193.00
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण / Sacrifice (diminution in the fair value)	10.07	1.54	29.08	40.69
पुनर्गठित अवमानक ऋण Sub-standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	0	54	1760	1814
	बकाया राशि / Amount outstanding	0.00	13.03	202.91	215.94
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.46	7.16	7.62
पुनर्गठित संदिग्ध ऋण Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	0	22	790	812
	बकाया राशि / Amount outstanding	0.00	5.68	61.90	67.58
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.20	2.18	2.38
योग TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	6	498	29091	29595
	बकाया राशि / Amount outstanding	167.02	159.16	2150.34	2476.52
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण / Sacrifice (diminution in the fair value)	10.07	2.20	38.42	50.69

नोट : उपर्युक्त ब्यौरे क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अलेखा परीक्षित विवरणों से प्रबंधन द्वारा समेकित किए गए हैं। प्रत्येक मामले में रु. 50 लाख से अधिक के पुनर्गठित मानक अग्रिम के विषय में आर्थिक अधित्याग का प्रावधान करते समय सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा की जानेवाली 20 शाखाओं में जांच की है। प्रबंधन द्वारा समेकित अन्य ब्यौरों को उन्होने स्वीकार किया है।

Note: The above details have been compiled by the management from un-audited statements received from Regional Offices. While the provision for economic sacrifice in respect of restructured standard advance above Rs. 50 lacs in each case, in 20 branches under audit by Statutory Central Auditors, could be checked by them, all other details as compiled by the management have been relied upon by them.

5.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों / वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

5.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(रु करोड़ में)

(Rs. in Crores)

मर्दे	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
(i) खातों की संख्या	84	NIL
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	48.17	NIL
(iii) कुल प्रतिफल	70.24	NIL
(iv) विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	NIL	NIL
(v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	22.07	NIL

Item	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
(i) No. of accounts	84	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	48.17	NIL
(iii) Aggregate consideration	70.24	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier Years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain/(loss) over net book value	22.07	NIL



5.4.4 खरीदी/बेची गई आर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क. खरीदी गई आर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की सं.	44	शून्य
2. कुल बकाया	76.87	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	41.55	शून्य

5.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
मानक आस्तियों पर प्रावधान	216.90	185.99

5.5 व्यवसाय अनुपात

(रु करोड़ में)

मद	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
(i) कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत	7.29%	7.97 %
(ii) कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.78%	0.91 %
(iii) कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.22%	1.25 %
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.45%	0.34 %
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (रु. करोड़ में)*	7.14	5.85
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)*	2.11	1.22

* प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत ।

नोट :

- 1) अनुपात संगणन हेतु कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है - कुल आस्तिकता का औसत जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 27 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को फार्म 10 में सूचित किया गया है ।
- 2) आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों के संदर्भ में है।
- 3) प्रति व्यक्ति व्यवसाय के हिसाब में अंतर - बैंक जमा को शामिल नहीं किया गया है ।

5.4.4 Details of Non-performing financial assets purchased / sold

a. Details of Non-performing financial assets purchased:

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
1. (a) No. of accounts purchased during the Year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the Year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

b. Details of Non-performing financial assets sold :

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
1. No. of accounts sold during the Year	44	NIL
2. Aggregate Outstanding	76.87	NIL
3. Aggregate consideration received	41.55	NIL

5.4.5 Provision on Standard Assets

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
Provision on Standard Assets	216.90	185.99

5.5 Business Ratios

(Rs. in Crores)

Item	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	7.29%	7.97 %
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.78%	0.91 %
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.22%	1.25 %
(iv) Return on Assets	0.45%	0.34 %
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Crores)*	7.14	5.85
(vi) Profit per employee (Rs. in Lacs)*	2.11	1.22

* As compiled by the management and relied upon by auditors.

Note:

- 1) For the purpose of computing the ratios, working funds represent the average of total assets as reported in Form X to RBI under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949.
- 2) Return on Assets is with reference to average working funds.
- 3) For the purpose of computing the business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits are excluded.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

5.6 Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता - ढांचा

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(Rs. in Crores)

आस्तियां / देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 माह तक	1 वर्ष से अधिक व 3 माह तक	3 वर्ष से अधिक व 5 माह तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
Assets/ Liabilities	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 Year	Over 1 Year & up to 3 Years	Over 3 Years & up to 5 Years	Over 5 Years	Total
जमा / Deposits	373.11	1627.33	4367.74	2107.41	6968.37	7678.87	5323.05	9788.84	5444.59	24501.01	68180.32
अग्रिम / Advances	210.23	1969.00	2025.10	376.65	2105.27	3493.69	3820.23	13703.90	6651.90	7974.07	42330.04
निवेश / Investments	80.34	96.95	0.00	23.26	624.81	1632.26	1617.43	1090.19	3076.63	17825.87	26067.74
उधार / Borrowings	23.52	0.00	0.00	0.00	696.00	32.16	26.70	47.44	26.82	62.70	915.34
विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency Assets	386.43	408.70	81.55	49.40	721.43	538.61	781.43	14.48	X	X	2982.03
विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency Liabilities	507.16	214.40	94.10	69.07	765.85	623.03	704.46	4.74	0.61	X	2983.42

विभिन्न काल खंडों में आस्तियाँ एवं देयताओं का वर्गीकरण शाखाओं / कार्यालयों से संग्रहित सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है तथा प्रवृत्तिगत परिपक्वता ढांचे के आधार पर प्रधान कार्यालय में समायोजन / प्रभाजन किया गया है। इसे लेखा परीक्षकों ने स्वीकार किया है।

The classification of Assets and Liabilities in different time buckets has been compiled on the basis of information collected from the branches / offices and adjustment/ apportionment made at Head Office on the basis of behavioural maturity pattern which has been relied upon by the Auditors.

5.7 निवेश

5.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

5.7 Exposure

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crores)

श्रेणी	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
क) प्रत्यक्ष निवेश		
i) आवासीय बंधक		
आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है तो उस पर वक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है।	2187.18	1774.09

(Rs. in Crores)

Category	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	2187.18	1774.09
of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		



ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -	1911.89	1564.70
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण।	962.06	1016.76
iii) बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश -		
क. आवासीय,	शून्य	शून्य
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
b) अप्रत्यक्ष निवेश		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस निगम (एचएफसी) पर आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश	3175.51	3017.84
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश	8236.64	7373.39

ii) Commercial Real Estate	1911.89	1564.70
Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	962.06	1016.76
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		
a. Residential,		
b. Commercial Real Estate.	NIL	NIL
b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3175.51	3017.84
Total Exposure to Real Estate Sector	8236.64	7373.39

उपर्युक्त आंकड़े शाखाओं/कार्यालयों से संग्रहित सूचनाओं के आधार पर समेकित किए गए हैं तथा समायोजन/प्रभाजन प्रधान कार्यालय द्वारा किए गए हैं जिसे लेखा परीक्षकों ने स्वीकार किया है।

5.7.2 पूंजी बाजार में निवेश

The data mentioned above has been compiled on the basis of information collected from the branches/offices and adjustments/apportionment made at Head Office, which has been relied upon by the Auditors.

5.7.2 Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

Items	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं हैं, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश।	368.61	397.93
(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.		
(ii) शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर - जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु।	-	-
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.		
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती हैं।	2.80	0.25
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary securities		



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crores)

Items	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
(iv) शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाँड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों /परिवर्तनीय बाँडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है।	-	60.65
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.		
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	37.79	33.54
(v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers		
(vi) शेयरों /बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष के प्रोमोटर्स के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण।	-	-
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.		
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण	-	-
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues		
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं।	-	-
(viii) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds		
(ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों की वित्तपोषण।	-	-
(ix) Financing to stock brokers for margin trading		
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत - दोनों) हेतु सभी निवेश इक्विटी के समतुल्य समझी जाएंगी एवं इसलिए पूंजी बाजार निवेश सिलिंग (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष - दोनों) के अनुपालन के रूप में गिने जाएंगे।	5.12	34.33
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and un registered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)		
पूँजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	460.32	526.70

5.7.3 जोखिम श्रेणी के अनुसार देशी निवेश

किसी देश में बैंक का जोखिम निवेश बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेशहोल्ड सीमा के कम होता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देशी निवेश की जोखिम श्रेणी की स्थिति नीचे दी गई है।

5.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The risk exposure of the Bank on any country is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank and as such no provision has been made in terms of RBI guidelines. The position of risk category of country exposure is given as follows:

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crores)

जोखिम श्रेणी	31.03.10 को निवेश (शुद्ध)	31.03.10 को किए गए प्रावधान	31.03.10 को निवेश (शुद्ध)	31.03.10 को किए गए प्रावधान
Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.10	Provision held as at 31.03.10	Exposure (net) as at 31.03.09	Provision held as at 31.03.09
नगण्य / Insignificant	892.43	NIL	76.59	NIL
निम्नस्तरीय / Low	372.51	NIL	84.72	NIL
सामान्य / Moderate	17.50	NIL	6.44	NIL
उच्च / High	0.89	NIL	0.06	NIL
बहुत अधिक / Very High	NIL	NIL	0.09	NIL
नियंत्रित / Restricted	NIL	NIL	NIL	NIL
समग्र / Off Credit	NIL	NIL	NIL	NIL
कुल / Total	1283.33	NIL	167.90	NIL



5.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण निम्नांकित है।

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank.

(Rs. in Crores)

उधारकर्ता का नाम/ Name of Borrower	एस बी एल SBL		जी बी एल GBL	
	निवेश की सीमा Limit of Exposure	स्वीकृत सीमा / बकाया - जो भी अधिक हो Sanctioned Limit/ Outstanding whichever is higher	निवेश की सीमा Limit of Exposure	स्वीकृत सीमा / बकाया - जो भी अधिक हो Sanctioned Limit/ Outstanding whichever is higher
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड Housing and Urban Development Corporation Limited	668.97	889.40	NIL	NIL
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड Rural Electrification Corporation Limited	892.00	932.00	NIL	NIL

5.7.5 अमूर्त समर्थन के अंतर्गत अप्रतिभूत अग्रिम (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित):

(रु. करोड़ में)

विवरणियाँ	31.03.2010 को
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकारी आदि जैसे प्रभारों के अमूर्त प्रतिभूतियों के अंतर्गत कुल अग्रिम	36.36
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकारी आदि जैसे प्रभारों के अमूर्त समर्थक का अनुमानित मूल्य	28.85

5.8 विविध

5.8.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान की गई राशि :

(रु. करोड़ में)

विवरणियाँ	मार्च 31, 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2009 को समाप्त वर्ष
आयकर के लिए प्रावधान	88.16	59.09

5.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत रु. 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का दंड लगाया गया।

5.8.3 बैंक एश्योरेंस व्यवसाय से संबंधित प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक

(रु. करोड़ में)

विवरणियाँ	मार्च 31, 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2009 को समाप्त वर्ष
जीवन एवं गैर जीवन बीमा व्यवसाय	29.88	20.31
म्युचुअल फंड	0.22	0.35

5.7.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals (As certified by the management):

Rs. in Crores)

Particulars	As on 31.03.2010
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	36.36
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	28.85

5.8 Miscellaneous

5.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the Year:

(Rs. in Crores)

	Year ended March 31, 2010	Year ended March 31, 2009
Provision for Income Tax	88.16	59.09

5.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

Penalty of Rs.0.12 Crores (Previous Year Rs. NIL) has been imposed by RBI under the provision of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949, during Year ended 31st March, 2010.

5.8.3 Fees/Remuneration received in respect of Bancassurance business.

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended March 31, 2010	Year ended March 31, 2009
Life & Non Life Insurance Business	29.88	20.31
Mutual Funds	0.22	0.35



6. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनियों (लेखा मानक नियम, 2006) के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण :

6.1 नकदी प्रवाह विवरण (ए एस - 3)

31.03.10 को समाप्त वर्ष के लिए नकदीप्रवाह विवरण अलग से संलग्न है। नकदी शेष में नकदी एवं नकदी तुल्य, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष अन्य बैंकों के साथ शेष एवं माँग पर तथा अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है।

6.2 अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि लेखा नितियाँ (ए एस - 5) में एवं पूर्व अवधि मर्दों में परिवर्तन लाभ एवं हानि खाता में कोई भी पूर्व अवधि मद शामिल नहीं है।

6.3 राजस्व पहचान (ए एस - 9)

लेखा नीति के अनुरूप राजस्व की पहचान की जाती है एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण अनुसूची में किया गया है।

6.4 कर्मचारी लाभ (ए एस (15))

(क) बैंक की लेखा मानक 15 (संशोधित) “इम्प्लाइज बेनिफिट” अपनाया है जो 01 अप्रैल, 2007 से लागू है।

अंगीकरण करने के अनुसार रू. 413.79 करोड़ के संक्रमण कालीन बाध्यताओं की पहचान की गई है। उक्त राशि 01 अप्रैल, 2007 तक ए-एस-15 (संशोधन) के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न कर्मचारी हितों संबंधी देयता एवं संशोधन पूर्व ए एस 15 के अनुसार उस तिथि तक देयता के बीच का अंतर दर्शाती है। उक्त राशि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बट्टा खाता डाला गया। 31 मार्च, 2010 की समाप्त वर्ष के दौरान रू. 82.48 करोड़ बट्टा खाता डाला गया तथा शेष राशि रू. 164.93 करोड़ अगले दो वर्ष की अवधि में बट्टा खाता में डाली जाएगी।

(ख) लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व लाभों और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक लाभों की संक्षिप्त स्थिति जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार अपेक्षित है, नीचे दी गई है।

6. Disclosure as per Accounting Standards (AS) notified under the Companies (Accounting Standards Rules,2006) and in terms of RBI guidelines:

6.1 Cash Flow Statement (AS-3)

The Cash Flow Statement for the Year ended 31/03/10 is annexed separately. Cash and Cash Equivalents include Cash in hand, balances with Reserve Bank of India, balances with other Banks and money at call and short notice.

6.2 Net Profit or Loss for the period, Prior Period items and changes in Accounting Policies (AS-5)

There is no material Prior Period items included in the Profit & Loss Account.

6.3 Revenue Recognition (AS-9)

Revenue is recognized as per the Accounting Policy in this regard disclosed elsewhere in the Schedule.

6.4 Employees Benefits(AS-15)

a) The Bank has adopted Accounting Standard 15(Revised) “Employees Benefit”, with effect from 1st April 2007.

Pursuant to the adoption, the transitional obligations of Rs.413.79 Crores have been recognized. The said amount represents the difference between the liability in respect of various employees benefits determined under AS-15 (Revised) as on 1st April, 2007 and the liability as on that date as per AS-15 prior to the revision. The above amount is being written off over a period of 5 Years. During the Year ended 31st March, 2010, Rs. 82.48 Crores has been written off and the balance amount of Rs. 164.93 Crores will be written off over a period of 2 Years.

b) The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under :-

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crores)

	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	अन्य लाभ Other Benefits *
a) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन Change in the present value of the obligations			
वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of obligation as at the beginning of the Year	1105.15	305.44	134.38
ब्याज लागत / Interest cost	84.64	22.82	10.75
चालू सेवा लागत/ Current Service cost	20.25	17.05	9.76
प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	94.19	40.33	0
बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / लाभ Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	(31.91)	(8.30)	(17.45)
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of Obligations at the end of the Year	1083.94	296.68	137.44



ख)	योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन			
b)	Change in Fair Value of Plan Asset			
	वर्ष के अंततक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	846.78	303.87	86.77
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected Return on Plan Asset	80.44	28.26	8.24
	नियोजक का अंशदान / Employers contribution	104.84	16.95	1.00
	प्रदत्त लाभ / Benefit Paid	94.19	40.33	0
	बाध्यताओं पर बीमाकित हानि / लाभ Actuarial Loss/(Gain) on Obligations	(8.29)	(13.22)	0
	वर्ष के अंततक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Fair Value of Obligations at the end of the Year	929.58	295.53	96.01
ग)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंततक बाध्यताओं का वर्तमान आंकलन मूल्य / Estimated	1083.94	296.68	92.67
c)	Present value of Obligations as at the end of the Previous Year			
	पिछले वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	929.59	295.53	96.01
	तुलन पत्र के मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	(154.35)	(1.15)	3.34
घ)	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय			
d)	Expenses Recognised in Profit & Loss			
	चालू सेवा लागत / Current Service Cost	20.25	17.05	9.76
	ब्याज लागत / Interest Cost	84.64	22.82	10.75
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल / Expected return on Plan Asset	80.44	28.26	8.24
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमाकिक लाभ Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	(23.62)	4.92	(17.45)
	लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total Expenses recognized in Profit & Loss Account	0.83	16.53	(5.18)
ड)	तुलन पत्र की तिथि को मुख्य बीमाकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) / Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)			
e)	बट्टादर / Discount Rate	8%	8%	7.50%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर Expected rate of return on Plan Assets	9.5%	9.3%	9.3%
	प्रयोग की गई पद्धति / Method Used	पारियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति Projected Unit Credit Method		

* अन्य लाभ में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एप सी शामिल है।

नोट : उपर्युक्त विवरण बीमाकिक की रिपोर्ट पर आधारित है जिसका लेखा परीक्षकों ने सहारा लिया है।

6.5 खंड रिपोर्टिंग (ए एस - 17)

बैंक के परिचालन को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है: 'ट्रेजरी परिचालन' और 'बैंकिंग परिचालन'। प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है।

*Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC.

Note: The above statement is based on the report of the Actuary, which has been relied upon by the Auditors.

6.5 Segment Reporting (AS-17)

The Bank's operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

भाग क : व्यवसाय खंड

Part A: Business Segments

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी परिचालन Treasury Operations		कांर्पोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Whole-sale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Op-erations		कुल Total	
	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
राजस्व / Revenue	1732	1503	2422	1700	1637	1580	17	20	5808	4803
परिणाम / Result	197	398	659	343	406	239	-	-	1262	980
अनाबंटित व्यय / Unallocated ex-penses									386	302
परिचालन लाभ / Operating Profit									876	678
आयकर / Income Taxes									88	59
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss									-	-
शुद्ध लाभ/ Net Profit									322	185
अन्य सूचना / Other Information										
खंड आस्तियाँ / Seg- ment Assets	26068	17924	29791	25157	12539	10237	-	-	68398	53318
अनाबंटित आस्तियाँ/ Unallocated Assets									8486	8404
कुल आस्तियाँ / Total Assets									76884	61722
खंड देयताएँ / Segment Liabilities	24710	16771	33896	29128	14265	11852	-	-	72871	57751
राजस्व / Unallocated Liabilities									4013	3971
कुल देयताएँ / Total Liabilities									76884	61722

अंतर - खंडीय अंतरणों को मूल्य निर्धारण : बैंकिंग परिचालन प्राथमिकता संसाधन संग्रहण इकाई है तथा औसत जमा लागत की दृष्टि से राजकोष परिचालन द्वारा इससे प्राप्त निधियों के लिए पूर्ववर्ती की क्षति होती है।

भाग ख : भौगोलिक खंड - चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

6.6 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध

Pricing of Inter-Segmental Transfers:

Banking operations is a primary resource mobilizing unit and Treasury Operations compensates the former for funds lent by it taking into consideration the average cost of deposits.

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

6.6 Related Party Disclosures (AS-18)

Names of the Related parties and their relationship with the Bank:



6.6.1 सहायक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

- (i) असम ग्रामीण बैंक
- (ii) वंगीय ग्रामीण विकास बैंक
- (iii) मणिपूर ग्रामीण बैंक
- (iv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

6.6.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- (i) श्री भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(01.03.2010 को कार्यभार ग्रहण)
- (ii) श्री एस. सी गुप्ता
भूत-पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(28.02.2010 को सेवा निवृत्त)
- (iii) श्री टी. एम. भसीन
कार्यपालक निदेशक

6.6.1 Associates (Regional Rural Bank)

- (ii) Assam Gramin Vikash Bank
- (iii) Bangiya Gramin Vikash Bank
- (iv) Manipur Gramin Bank
- (v) Tripura Gramin Bank

6.6.2 Key Management Personnel

- (i) Mr. Bhaskar Sen Chairman and Managing Director
(Joined on 01.03.2010)
- (ii) Mr. S.C.Gupta Ex - Chairman and Managing Director
(Retired on 28.02.2010)
- (iii) Mr. T.M.Bhasin Executive Director

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

Remuneration Paid to Key Management Personnel:

क्रम. सं. Sl. No	नाम Name	पदनाम Designation	मदें * Item *	31/03/10 को समाप्त वर्ष Year ended 31/03/10	31/03/09 को समाप्त वर्ष Year ended 31/03/09
1.	श्री भास्कर सेन (01.03.2010 को कार्यभार ग्रहण) Mr. Bhaskar Sen (Joined on 01/03/10)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Mg. Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	रु. 95,885 Rs. 95,885	शून्य NIL
2.	श्री एस. सी. गुप्ता (28.02.2010 के सेवा निवृत्त) Mr. S.C.Gupta (retired on 28.02.2010)	भूत-पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Mg. Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	रु. 14,95,914 Rs. 14,95,914	रु. 3,74,871 (06.11.08 से 31.03.09) Rs. 3,74,871 (06.11.08 to 31.03.09)
3.	श्री टी. एम. भसीन Mr. T.M. Bhasin	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	रु. 17,82,642 Rs. 17,82,642	रु. 9,52,088 (01.04.08 से 31.03.09) Rs. 9,52,088 (01.04.08 to 31.03.09)

* निष्पादन युक्त प्रोत्साहन सहित / * Including performance linked incentive.

नोट: (क) ए एस - 18 के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए सहायकों के साथ लेन-देन को प्रकट नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों के अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन देन के बारे में किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है।

(ख) 31 मार्च, 2010 को प्रमुख प्रबंधन को देय/प्राप्य शेष को शामिल किया गया है : जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(रु. करोड़ में)

	राशि
देय	शून्य
प्राप्य	शून्य

(ग) संबंधित पार्टियों से संबंधित बकाया की कोई राशि बट्टाखाता/पुनरांकन नहीं किया गया।

(घ) संबंधित पार्टियों के बकाया से संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

Note: (a) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are State Controlled Enterprises.

(b) The balance payable to/receivable from Key Management Personnel included as on 31st March, 2010 are given below:

(Rs. in Crores)

	Amount
Payable	NIL
Receivable	NIL

(c) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.

(d) No provision is required in respect of dues to related parties.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

6.7 प्रति शेयर आय (ए एस - 20) :

विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष
सामान्य शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ (रू. करोड में)	304.81
सामान्य शेयरों के भारित औसत की संख्या	121,62,06,142
प्रतिशेयर (रूपये) मूल एवं हल्का आय	2.51
प्रतिशेयर (रूपये) सामान्य मूल्य	10

6.8 समेकित वित्तीय विवरण (ए एस 21) / समेकित वित्तीय विवरणों (ए एस-23) में निवेश के लिए लेखा ।

बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस - 21 और एस-23 लागू नहीं होता ।

6.9 आय पर करों हेतु लेखा (ए एस - 22)

आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताओं के मुख्य संघटक

(रू. करोड में)

	31/03/10 को समाप्त वर्ष	31/03/09 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर आस्तियाँ	30.46	70.98
वेतन संशोधन एवं कर्मचारियों के लिए लाभ	10.90	38.75
अन्य मदें	19.56	32.23
आस्थगित कर देयताएँ	6.23	9.28
स्थायी आस्तियों पर मूल्य च्हास	6.23	9.28

6.10 अमूर्त आस्तियाँ (ए एस - 26)

साफ्टवेयर को मिलाकर अमूर्त आस्तियों सहित कंप्यूटर के ब्यौरे निम्नप्रकार से है :

वास्तविक लागत Original cost		वर्ष के दौरान किए गए परिशोधन Amortised during the Year		वर्ष के अंत तक किए गए परिशोधन Amortised up to the end of the Year		शुद्ध बही मूल्य Net Book Value	
31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09
27.99	9.70	9.53	1.17	14.13	5.92	13.86	3.78

6.11 आस्तियों की हानि (ए एस - 28)

बैंक ने पाया कि स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है । अतः कंपनियों (लेखामानक नियम - 2006) के अंतर्गत अधिसूचित लेखामानक (ए एस - 28) के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ।

6.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ (ए एस -29)

लेखा के टिप्पणी लिखे जाने वाले हिस्से के उचित स्थान पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है ।

6.7 Earning per Share (AS-20) :

Particulars	Year ended 31/03/10
Net Profit after tax available for Equity Share Holders(Rs. Crores)	304.81
Weighted Average number of Equity Shares	121,62,06,142
Basic and Diluted Earning per Share(Rs.)	2.51
Nominal Value per Share(Rs)	10

6.8 Consolidated Financial Statement (AS-21)/ Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements (AS-23)

The Bank does not have any subsidiary and as such AS-21 and AS-23 are not applicable.

6.9 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows:

(Rs. in Crores)

	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
Deferred Tax Assets	30.46	70.98
Wage revision and employees benefits	10.90	38.75
Other items	19.56	32.23
Deferred Tax Liabilities	6.23	9.28
Depreciation on fixed assets	6.23	9.28

6.10 Intangible Assets (AS-26)

Computers include intangible assets comprising of software, the details of which are as follows:

(रू. करोड में) (Rs. in Crores)

वास्तविक लागत Original cost		वर्ष के दौरान किए गए परिशोधन Amortised during the Year		वर्ष के अंत तक किए गए परिशोधन Amortised up to the end of the Year		शुद्ध बही मूल्य Net Book Value	
31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09	31.03.10 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.10	31.03.09 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.09
27.99	9.70	9.53	1.17	14.13	5.92	13.86	3.78

6.11 Impairment of Assets (AS-28)

6.11 Impairment of Assets (AS-28)

The Bank has identified that there is no material impairment of fixed assets and as such no provision is required as per the Accounting Standard (AS-28) notified under the Companies (Accounting Standard Rules,2006).

6.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

Movements in significant Provisions have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.



7. अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional Disclosures

7.1 प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषण विवरण / Break-up of Provisions & Contingencies

	(रू. करोड में) (Rs. in Crores)	
	31/03/10 को समाप्त वर्ष	31/03/09 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण विवरण Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account		
निवेश पर मूल्य च्हास के लिए प्रावधान / Provisions for depreciation on Investment	(75.47)	127.31
अनर्जक आस्तियाँ (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान / Provision towards NPA(Loans & Advances)	272.71	198.82
मानक आस्ति हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Asset	30.95	43.58
आयकर हेतु प्रावधान / Provision made towards Income Tax	88.16	59.09
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ / Other Provisions and Contingencies		
- एफ बी टी हेतु प्रावधान / Provision for FBT	-	2.67
- कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान / Provision for Employee Benefit(AS-15)	9.64	27.92
- वेतन संशोधन हेतु प्रावधान / Provision for Wage Revision	194.00	70.00
- परिपक्व मीयादी जमाओं पर ब्याज हेतु प्रावधान / Provision for Interest on Matured Term Deposit	25.00	21.66
- टी डी एस पर आयकर हेतु प्रावधान / Provision against Income on DTA	40.52	(39.52)
- अन्य प्रावधान / Provision for Others	(32.02)	(19.01)
कुल / Total	553.49	492.52

7.2 अस्थिर प्रावधान

	(रू. करोड में)	
विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष	31/03/09 को समाप्त वर्ष
क) आरंभिक शेष	157.48	161.00
ख) वर्ष के दौरान किए गए	शून्य	शून्य
ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी - आहरण द्वारा कमी का उद्देश	शून्य	3.52 एडीडब्ल्यूआर 2008 के अंतर्गत - अप्राप्त ब्याज
घ) अंतशेष (क+ख+ग)	157.48	157.48

7.2 Floating Provisions

	(Rs. in Crores)	
Particulars	Year ended 31.03.10	Year ended 31.03.09
a) Opening Balance	157.48	161.00
b) Made during the Year	NIL	NIL
c) Draw down during the Year - Purpose for which drawn down	NIL	3.52 Interest unrealized under ADWR 2008
d) Closing balance (a+b-c)	157.48	157.48

7.3 शिकायतों एवं बैंकिंग लोकपाल के अकार्यान्वित अधिनियमों का प्रकटीकरण।

क) ग्राहक शिकायतें

(क)	(1.4.2009) वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या	113
(ख)	(1.4.2009 से 31.3.2010) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1931
(ग)	(1.4.2009 से 31.3.2010) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	1940
(घ)	(31.3.2010) वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	104

7.3 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

a) Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the Year (1.4.2009)	113
(b)	No. of complaints received during the Year (1.4.2009 to 31.3.2010)	1931
(c)	No. of complaints redressed during the Year(1.4.2009 to 31.3.2010)	1940
(d)	No. of complaints pending at the end of the Year(31.3.2010)	104



ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनियम

(क)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यन्वित अधिनिर्णयों की संख्या (1.4.2009)	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. (1.4.2009 से 31.3.2010)	01
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. (1.4.2009 से 31.3.2010)	01
(द)	वर्ष के अंत तक अकार्यन्वित अधिनिर्णयों की सं. (31.3.2010)	शून्य

7.4 बैंक द्वारा जारी सांत्वन पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

- क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेता को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने ₹. 313.20 करोड़ की राशि के 108 एल ओ सी जारी किए।
- ख) 31.03.2010 को ₹. 320.30 करोड़ को राशि के 110 बकाया एल ओ सी है।

7.5 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों एवं एन पी ए का केंद्रीकरण

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वस्त):

7.5.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(₹. करोड़ में)

विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा (31.03.2010) को	4008.46
बैंक के कुल जमाओं की तुलना में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	5.88%

7.5.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(₹. करोड़ में)

विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं का कुल अग्रिम	10700.27
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस बड़े ऋणकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	25.03%

7.5.3 निवेश का केंद्रीकरण

(₹. करोड़ में)

विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों का कुल निवेश	13683.95
ऋणकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलनाओं में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत	19.73%

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the Year(1.4.2009)	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year (1.4.2009 to 31.3.2010)	01
(c)	No. of Awards implemented during the Year(1.4.2009 to 31.3.2010)	01
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the Year(31.3.2010)	Nil

7.4 Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank

- a) During the current financial year the Bank has issued 108 nos LoCs amounting to Rs.313.20 Crores for providing Buyer's Credit facility.
- b) There are 110 nos. of outstanding LoCs as on 31.03.2010 amounting to Rs.320.30 Crores.

7.5 Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs

(As compiled by the management and relied upon by the auditors):

7.5.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.2010
Total Deposits of twenty largest depositors(as on 31.03.2010)	4008.46
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	5.88%

7.5.2 Concentration of Advances

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.2010
Total Advances to twenty largest borrowers	10700.27
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	25.03%

7.5.3 Concentration of Exposures

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.2010
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	13683.95
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	19.73%



7.5.4 एन पी ए का केंद्रीकरण :

(रु. करोड में)

विवरण	31/03/10 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश	261.13

7.5.5 क्षेत्रवार एन पी ए

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के एन पी ए का प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	4.93%
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मझौले एवं बड़े)	2.35%
3.	सेवाएँ	3.28%
4.	वैयक्तिक ऋण	4.65%

7.5.6 एनपीए संचरण

(रु. करोड में)

विवरण	
1 अप्रैल 2009 को सकल एन पी ए	1020
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए)	980
उप-योग (क)	2000
घटाव :	
(i) उन्नयन	192
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त)	263
(iii) बट्टे खाते	173
उप-योग (ख)	628
31 मार्च, 2010 को सकल एन पी ए (क + ख)	1372

7.5.7 विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व

(Rs. in Crores)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	0.18
कुल एन पी ए	शून्य
कुल राजस्व	शून्य

7.5.8 तुलन पत्र बाह्य एस पी वी प्रायोजित (जिनको लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है)

एस पी वी प्रायोजित का नाम	
देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

7.6 क) भारत सरकार ने “कृषि ऋण छूट एवं ऋण सहायता योजना 2008 के नाम से सहायता योजना अधि-सूचित की है, जिसका उद्देश्य सीमांत

7.5.4 Concentration of NPAs :

(Rs. in Crores)

Particulars	Year ended 31.03.2010
Total Exposure to top four NPA accounts	261.13

7.5.5 Sector – wise NPAs:

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advance in that sector
1.	Agriculture & Allied activities	4.93%
2.	Industry(Micro &Small, Medium and Large)	2.35%
3.	Services	3.28%
4.	Personal Loans	4.65%

7.5.6 Movement of NPAs:

(Rs. in Crores)

Particulars	
Gross NPAs as on 1st April 2009	1020
Additions (Fresh NPAs)during the Year	980
Sub-total (A)	2000
Less:	
(i) Upgradations	192
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	263
(iii) Write offs	173
Sub-total (B)	628
Gross NPAs as on 31st March 2010 (A-B)	1372

7.5.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in Crores)

Particulars	Amount
Total Assets	0.18
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

7.5.8 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

7.6 a) Government of India has notified Relief Scheme namely “Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme,2008” for giving debt waiver to marginal



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

एवं लघु किसानों का ऋउ में छूट देने एवं जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिया है, वैसे किसानों को ऋउ में छूट देना एवं जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिया है, वैसे किसानों को सहायता प्रदान कराना है। बैंक मो अग्राह्य ब्याज, व्ययों एवं उपयुक्त दावा की विभेदक राशि का पूरा प्रावधान किया है। भारत सरकार की कृषि ऋण छूट योजना के अंतर्गत बैंक ने रू. 211.10 करोड़ का दावा किया (गत वर्ष रू. 211.19 करोड़) एवं वर्ष के दौरान शिकायतों के निवारण के माध्यम से एक अतिरिक्त दावा रू. 0.03 करोड़ का स्वीकार किया गया। रू. 211.22 करोड़ के कुल राशि में से आज तक रू. 136.75 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ। रू. 74.47 करोड़ की शेष राशि अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है।

(ख) ऋउ सहायता योजना के संबंध में पात्र किसानों से प्राप्य राशि पर वर्तमान मूल्य मीयाद में हानि के विरुद्ध बैंक ने रू. 0.49 करोड़ का प्रावधान किया है।

8. जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, गत वर्षों आँकड़े को पुर्नसमूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

and small farmers and relief to other farmers who have availed direct agricultural loans. Bank has made full provision of inadmissible interest, expenses and differential amount of eligible claim. Under Agricultural Debt Waiver Scheme of the Government of India, the Bank made a claim for Rs 211.19 Crores (Previous Year Rs. 211.19 Crores) and during the Year an additional claim through redressal of grievance was admitted for Rs. 0.03 Crores. Out of the total sum of Rs.211.22 Crores, till date Rs 136.75 Crores has been received from the Government of India. The remaining balance of Rs 74.47 Crores is being shown as Advance.

b) In respect of Debt Relief Scheme, Bank has made a provision of Rs. 0.49 Crores against loss in Present Value Terms on amount receivable from eligible farmers.

8. Previous Year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

31.03.2010 को यह अनुसूची-18 का अंश है।

This is the part of Schedule-18 as on 31.03.2010

बी. सेन B. Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	एस. के. जिंदल S.K.Jindal निदेशक Director	डॉ. श्रीमती नयना शर्मा Dr. Mrs. N. Sharma निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	एस. एल. घोषाल S.L. Ghosal महाप्रबंधक General Manager	आर. मोहंती R. Mohanty महाप्रबंधक General Manager
एस. एल. बंसल S.L. Bansal कार्यपालक निदेशक Executive Director	टी. बंद्योपाध्याय T. Bandyopadhyay निदेशक Director	एस. सरकार S. Sarkar निदेशक Director	डी. बसु D. Basu महाप्रबंधक General Manager	एम. शेखर M. Shekhar महाप्रबंधक General Manager	पी. के. घोष P.K. Ghosh महाप्रबंधक General Manager
	पी. के. दत्ता P.K.Dutta महाप्रबंधक General Manager	एस. महापात्र S.Mahapatra महाप्रबंधक General Manager	प्रबीर कुमार दत्त Prabir K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	पी. के. साहा P.K.Saha उप. महाप्रबंधक Dy. General Manager	डी. सिन्हा D.Sinha सहायक महाप्रबंधक Asst. General Manager

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date annexed

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं. For M/s. Salarpuria Jajodia & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001862सी FRN 001862C (सी ए एच के पी जैन) (CA H.K.P. Jain) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 012525 Membership No 012525	कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट्स For M/s. Maheshwari & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 311008ई FRN 311008E (सी ए बिजय मरमुरिया) (CA Bijay Murruria) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 055788 Membership No.055788	कृते जी. पी. अग्रवाल For M/s. G.P. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302082ई FRN 302082E (सी ए सुनीता केडिया) (CA Sunita Kedia) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 060162 Membership No.060162	कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट्स For M/s. S. Ganguli & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302192ई FRN 302192E (सी ए एस के बासु) (CA S.K. Basu) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 059220 Membership No.059220	कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं. For M/s. Tandon Seth & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 002340सी FRN 002340C (सी ए दीपक कपूर) (CA Deepak Kapoor) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 070069 Membership No.070069	कृते एच एस रूस्तगी एण्ड कं. For M/s. H.S. Rustagi & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001890एन FRN 001890N (सी ए एन. के. रूस्तगी) (CA N. K. Rustagi) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 085676 Membership No.085676
---	---	--	---	--	---

स्थान : कोलकाता
तिथि : मई 03, 2010

Place : Kolkata
Date : May 03, 2010



31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये हजार में)

	समाप्त हुए वर्षों के लिए	
	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
क. परिचालनगत क्रियाकलापों से		
नकदी प्रवाह कर के पश्चात शुद्ध लाभ	3,223,560	1,847,096
योग : आयकर	881,600	590,900
कर के पूर्व लाभ	4,105,160	2,437,996
समायोजन के लिए		
स्थायी आस्तियों पर मूल्य च्वास	1,158,584	822,001
कमी : पुनर्मूल्यन आरक्षित से निकाली गई राशि	(173,104)	(182,217)
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	(2,277)	(362)
निवेश के लिए मूल्य च्वास प्रावधान (शुद्ध)	(816,092)	1,226,220
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	309,500	435,800
एनपीए अग्रिमों के लिए प्रावधान	2,727,100	1,988,202
अन्य प्रावधान (शुद्ध)	2,432,790	684,067
अधीनस्थ बांडों पर ब्याज	1,432,895	1,206,457
परिचालित आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालित लाभ	11,174,556	8,618,164
परिचालित आस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन		
निवेश में च्वास / (वृद्धि)	(80,680,502)	4,631,144
अग्रिमों में च्वास / (वृद्धि)	(72,092,044)	(77,342,582)
जमाओं में वृद्धि / (च्वास)	136,444,212	75,651,814
ऋणों में वृद्धि / (च्वास)	4,585,724	(7,053,046)
अन्य आस्तियों में च्वास / (वृद्धि)	1,407,187	(2,043,773)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (च्वास)	(3,212,407)	961,029
परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी	(2,373,274)	3,422,750
(चुकाया गया) वापसी कर	(1,250,000)	(1,000,000)
परिचालनगत क्रियाकलापों (ए) से शुद्ध नकदी	(3,623,274)	2,422,750
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी वृद्धि		
स्थायी आस्तियाँ (शुद्ध)	(1,424,126)	(835,665)
निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी	(1,424,126)	(835,665)
ग) वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी वृद्धि		
Proceeds from Share Capital	500,000	-
Share Premium (net of Public Issue Expenses)	2,617,100	-
Surplus Share Application money on account of IPO refund in process	39,065	-
सरकार से पूँजी (पी एन सी पी एस)	3,000,000	2,500,000
जारी किए गए बांड	-	2,500,000
अधीनस्थ बांडों पर ब्याज	(1,432,895)	(1,206,457)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (ग)	4,723,270	3,793,543
घ) नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग)	(324,130)	5,380,628
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य नकदी शेष	2,283,049	2,243,330
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	43,039,649	50,250,881
बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	18,779,414	64,102,112
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य नकदी राशि	2,988,139	2,283,049
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	44,082,043	43,039,649
बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	16,707,800	63,777,982
	18,779,414	64,102,112

टिप्पणी: नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(Rupees in '000)

	For the year ended	
	31st March 2010	31st March 2009
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit after Tax	3,223,560	1,847,096
Add: Income Tax	881,600	590,900
Profit before Tax	4,105,160	2,437,996
Adjustment for		
Depreciation on Fixed Assets	1,158,584	822,001
Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(173,104)	(182,217)
Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	(2,277)	(362)
Depreciation/Provision for Investments (Net)	(816,092)	1,226,220
Provision for Standard Assets	309,500	435,800
Provision for NPA Advances	2,727,100	1,988,202
Other Provisions (Net)	2,432,790	684,067
Interest on Subordinated Bonds	1,432,895	1,206,457
Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	11,174,556	8,618,164
Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities		
Decrease/(Increase) in Investment	(80,680,502)	4,631,144
Decrease/(Increase) in Advances	(72,092,044)	(77,342,582)
Increase/(Decrease) in Deposits	136,444,212	75,651,814
Increase/(Decrease) in Borrowings	4,585,724	(7,053,046)
Decrease/(Increase) in Other Assets	1,407,187	(2,043,773)
Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(3,212,407)	961,029
Cash Generated from Operating Activities	(2,373,274)	3,422,750
Tax (Paid)/ Refund	(1,250,000)	(1,000,000)
Net Cash from Operating Activities (A)	(3,623,274)	2,422,750
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Fixed Assets (Net)	(1,424,126)	(835,665)
Net Cash from Investing Activities (B)	(1,424,126)	(835,665)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Share Capital	500,000	-
Share Premium (net of Public Issue Expenses)	2,617,100	-
Surplus Share Application money on account of IPO refund in process	39,065	-
Capital from Government(PNCPS)	3,000,000	2,500,000
Subordinated Bonds Issued	-	2,500,000
Interest on Subordinated Bonds	(1,432,895)	(1,206,457)
Net Cash from Financing Activities(C)	4,723,270	3,793,543
D Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)	(324,130)	5,380,628
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand	2,283,049	2,243,330
Balances with Reserve Bank of India	43,039,649	50,250,881
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	18,779,414	64,102,112
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
Cash in hand	2,988,139	2,283,049
Balances with Reserve Bank of India	44,082,043	43,039,649
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	16,707,800	63,777,982
	18,779,414	64,102,112

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

31.03.2010 को यह नकदी - प्रवाह विवरणी का अंश है।

This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2010.

बी. सेन B. Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	एस. के. जिंदल S.K.Jindal निदेशक Director	डॉ. श्रीमती नयना शर्मा Dr. Mrs. N. Sharma निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	एस. एल. घोषाल S.L. Ghosal महाप्रबंधक General Manager	आर. मोहंती R. Mohanty महाप्रबंधक General Manager
एस. एल. बंसल S.L. Bansal कार्यपालक निदेशक Executive Director	टी. बंद्योपाध्याय T. Bandyopadhyay निदेशक Director	एस. सरकार S. Sarkar निदेशक Director	डी. बसु D. Basu महाप्रबंधक General Manager	एम. शेखर M. Shekhar महाप्रबंधक General Manager	पी. के. घोष P.K. Ghosh महाप्रबंधक General Manager
	पी. के. दत्ता P.K.Dutta महाप्रबंधक General Manager	एस. महापात्र S.Mahapatra महाप्रबंधक General Manager	प्रवीर कुमार दत्त Prabir K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	पी. के. साहा P.K.Saha उप. महाप्रबंधक Dy. General Manager	डी. सिन्हा D.Sinha सहायक महाप्रबंधक Asst. General Manager

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date annexed

कृते सालारपुरिया जजोडिया एवं कं. For M/s. Salarpuria Jajodia & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001862सी FRN 001862C (सी ए एच के पी जैन) (CA H.K.P. Jain) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 012525 Membership No 012525	कृते महेश्वरी एण्ड एसोसिएट्स For M/s. Maheshwari & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 311008ई FRN 311008E (सी ए बिजय मरूमुरिया) (CA Bijay Murmuria) भागीदार Partner सदस्यता सं. 055788 Membership No.055788	कृते जी. पी. अग्रवाल For M/s. G.P. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302082ई FRN 302082E (सी ए सुनीता केडिया) (CA Sunita Kedia) भागीदार Partner सदस्यता सं. 060162 Membership No.060162	कृते एस गांगुली एण्ड एसोसिएट्स For M/s. S. Ganguli & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302192ई FRN 302192E (सी ए एस के बासु) (CA S.K. Basu) भागीदार Partner सदस्यता सं. 059220 Membership No.059220	कृते कृते टंडन सेठ एण्ड कं. For M/s. Tandon Seth & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 002340सी FRN 002340C (सी ए दीपक कपूर) (CA Deepak Kapoor) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 070069 Membership No.070069	कृते एच एस रूस्तगी एण्ड कं. For M/s. H.S. Rustagi & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001890एन FRN 001890N (सी ए एन. के. रूस्तगी) (CA N. K. Rustagi) भागीदार Partner भागीदार सदस्यता सं. 085676 Membership No.085676
---	--	--	---	--	---

स्थान : कोलकाता
तिथि : मई 03, 2010

Place : Kolkata
Date : May 03, 2010

पूँजी पर्याप्तता का नया ढांचा स्तम्भ - 3 के तहत प्रकटीकरण

सारणी डीएफ - 1
आवेदन का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (क) समूह में उच्च बैंक का नाम, जिसमें ढाँचा लागू होता है : युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
- (ख) समूह के अंतर्गत अस्तित्व के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा एवं नियामक प्रावधानों के लिए समेकन के अधार में निम्नताओं की रूपरेखा
- वह पूरी तरह समेकित है, लागू नहीं, बैंक के पास कोई नहीं है।
 - वह समानुपातिक समेकित है : शून्य
 - उसे कटौती सुविधा हो जाती है : चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ईक्विटी पद्धति के आधार पर समेकित किया जाता है
 - अस्तित्व जो न समेकित की जाती है और न जिसमें कटौती की जाती है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिमवाली आस्तियाँ हैं) : शून्य

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के अंतर्गत सभी अनुषंगियों में पूँजी कमियों की कुल जमा राशियाँ जो कि कटौती की जाती है एवं उन अनुषंगियों का नाम	शून्य
(घ) बीमा के क्षेत्र में बैंक के कुल ब्याजों (यथा, चालू बही मूल्य) की जमाराशियाँ जो जोखिम आधारित हैं, उसके साथ-साथ उनका नाम, उनके समावेशन का देश या आवास, मिलिक्यत ब्याज का अनुपात एवं यदि अलग हो तो उन क्षेत्रों में वोट करो की शक्तियों का अनुपात	शून्य

सारणी डीएफ - 2
पूँजी संरचना

मात्रात्मक प्रकटीकरण

- (क) विशेषकर टियर - I अपर टियर - II में शामिल करने हेतु योग्य पूँजी लिखतों के मामले में सभी लिखतों के प्रमुख विशेषताओं की शर्तों पर संक्षिप्त सूचना।

बैंक के टियर - I पूँजी में ईक्विटी शेयर पूँजी, बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) उप निर्बंध प्रकटन आरक्षित निधियाँ शामिल हैं तथा टियर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित एवं स्टैंडर्ड पर प्रावधान अपर टियर - II बॉन्ड्स यथा, हाईब्रिड ऋण पूँजी लिखत एवं लोअर टियर - II बॉन्ड्स यथा, गौण ऋण शामिल है। इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी टियर - II बॉन्ड्स की शर्तों भारतीय रिजर्व बैंक

NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK DISCLOSURES UNDER PILLAR-3

TABLE DF-1
SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures

- (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies: **UNITED BANK OF INDIA**
- (b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group
- that are fully consolidated: Not Applicable, the Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.
 - that are pro-rata consolidated: NIL
 - that are given a deduction treatment: Four Regional Rural Banks are consolidated as equity method.
 - Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted). NIL

Quantitative Disclosures

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	NIL
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	NIL

TABLE DF-2
CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

- (a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

Bank's Tier 1 capital comprises of Equity Share capital, Share premium reserve, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) & free disclosed reserves and Tier 2 capital comprises of Revaluation reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments and Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debt. The



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

मार्गनिर्देशों से निर्धारित होती हैं।

बेमियादी असंचय अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)

भारत सरकार ने रु. 250 करोड़ की राशि टीयर - I पूंजी में बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस @ रेपो + 100 आधारों बिन्दु के रूप में उपलब्ध कराई है)

अपर टीयर - II बाँड्स यथा : हाइब्रिड ऋण पूंजी लिखत

लिखत का प्रकार : प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय आपरिवर्तनीय।

मुख्य विशेषताएं :

- निवेशक द्वारा नो पुट ऑप्शन
- भा. रि. बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ 10 वर्षों के पश्चात् बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन
- यदि बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 10 वर्षों के पश्चात् स्टेप-अप ऑप्शन
- यदि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित सीएआर न्यूनतम नियामक सीएआर से कम है एवं आवधिक ब्याज के भुगतान पर लॉक इन का प्रावधान यहाँ तक कि परिपक्वता पर मूल की व्यवस्था भी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।

स्टेप-आप ऑप्शन : यदि बैंक 10 वर्षों के पश्चात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, वैसे में शेष 05 वर्षों की अवधि के दौरान बाँड्स 50 बीपीएस का स्टेप-आप ऑप्शन का लाभ ले सकता है।

लॉक-इन शर्त : परिपक्वता पर भी बैंक न तो ब्याज या न ही मूलधन अदा करने के लिए बाध्य है, यदि बैंक का सीएआर भ.रि.बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे है या इस तरह के भुगतान के प्रभाव से बैंक का सीएआर नीचे चला जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे रहता है। हालांकि, यह बैंक को आवधिक ब्याज लगाने के लिए निर्धारित नहीं करता है, जबतक बैंक निर्धारित अवधि पर न्यूनतम नियामक सीएआर लगाता है।

terms and conditions of Tier 2 bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)

The Govt. of India has provided a sum of Rs.550 crore in Tier 1 capital in the form of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) @ Repo + 100 basis points.

Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

- No Put Option by the Investors.
- Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.
- Step-up Option after 10 years, if Call Option is not exercised by the Bank.
- Lock-in-clause on payment of periodic interest and even Principal at maturity, if CAR is below the minimum regulatory CAR, prescribed by RBI.
- Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

Step-up Option: If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during the remaining period of 5 years.

Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either interest or principal, even at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI OR the impact of such payment results in Bank's CAR falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI. However, this will not proscribe the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.

ब्यौरा Particulars	स्थान Place	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. In Crs)	कूपन दर Coupon Rate	दर निर्धारण Rating
श्रृंखला - I Series - I	भारत India	18.06.2007	18.06.2022	575.00	10.65% (वार्षिक) (Annual)	एए (-) सीएआरई / आईसीआरए AA(-) CARE / ICRA
कुल / Total				575.00		

लोअर टीयर - II बाँड्स यथा : गौण ऋण

लिखत का प्रकार : प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय

मुख्य विशेषताएं :

- बिना किसी मुख्य विशेषताएं यथा, पुट या कॉल ऑप्शा इत्यादि के नाम प्लेन वनिला बाँड्स।

Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debts

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

- Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc.



II) भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।

II) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

ब्यौरा Particulars	स्थान Place	जारी करो की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशि (रू. करोड़ में) Amount (Rs. In Crs)	कूपर दर Coupon Rate	दर निर्धारण Rating
श्रृंखला-II Series - II	भारत India	15.02.2005	15.05.2015	300.00	7.40% वार्षिक (Annual)	एए सीएआरई /आईसीआरए AA CARE / ICRA
श्रृंखला-III Series - III	भारत India	29.03.2006	29.04.2016	100.00	8.00% अर्धवार्षिक (Semi-annual)	
श्रृंखला-IV Series - IV	भारत India	16.08.2006	16.08.2016	200.00	9.25% अर्धवार्षिक (Semi-annual)	
श्रृंखला-V Series - V	भारत India	27.03.2007	27.04.2017	100.00	10.10% वार्षिक (Annual)	
श्रृंखला-VI Series - VI	भारत India	25.03.2009	25.03.2019	250.00	9.30% वार्षिक (Annual)	
कुल / Total				950.00		

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

1. टीयर - 1 पूंजी का ब्यौरा	
क) प्रदत्त शेयर पूंजी	316.43
ख) आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	2584.85
ग) तब बेमियादी बॉन्ड्स	0.00
घ) बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	550.00
ङ अन्य पूंजी लिखत	0.00
च) टीयर - II पूंजी से कम की गई राशि अनुषंगियों में इन्विटी निवेश	0.00
अमूर्त आस्तियां (आस्थागत कर आस्ति)	30.46
कुल (टीयर-1 पूंजी) (क+ख+ग+घ+च)	3420.82
2. टीयर-II पूंजी की कुल राशि (कम की गई राशियों का शुद्ध)	1945.14
3. पूंजी से की गई अय कमियां, यदि कोई हो	0.00
4. कुल योग्य पूंजी (टीयर-I + टीयर-II)	5365.96
5. अपर टीयर-II पूंजी में शामिल करो योग्य पूंजी लिखत ऋण	
कुल बकाया राशि	575.00
उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00
पूंजी फंड के रूप में संगणित होनेवाली योग्य राशि	575.00
6. अपर टीयर-II पूंजी में शामिल करो योग्य पूंजी लिखत ऋण	
कुल बकाया राशि	950.00
उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00
पूंजी फंड के रूप में संगणित होनेवाली योग्य राशि	950.00

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crores)

1. Details of Tier 1 Capital	
a) Paid-up share capital	316.43
b) Reserves (excluding revaluation reserves)	2584.85
c) Innovative Perpetual Bonds	0.00
d) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	550.00
e) Other capital instruments	0.00
f) Amounts deducted from Tier 1 Capital	
Equity Investment in Subsidiaries	0.00
Intangible Assets (Deferred Tax Asset)	30.46
Total (Tier 1 Capital) (a+b+c+d-e)	3420.82
2. Total amount of Tier 2 Capital (net of deductions)	1945.14
3. Other Deductions from Capital, if any.	0.00
4. Total eligible capital (Tier 1 + Tier 2)	5365.96
5. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
Total amount outstanding	575.00
Of which amount raised during the year	0.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	575.00
6. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
Total amount outstanding	950.00
Of which amount raised during the year	0.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	950.00



सारणी डीएफ - 3 पूंजी पर्याप्तता

मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक एकल एवं समेकित स्तर दोनों सीआरएआर 9% एवं टियर-1 सीआरएआर 6% से अधिक पर बनाए रखती है।

बैंक संशोधित ढांचे के अनुसार पुडेन्सियल फ्लोर के उपर अर्थात् उच्चतर के न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बनाए रखती है।

(क) संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

(ख) बेसेल 1 ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का 90%

बैंक निवेश के मूल्य, व्यवसाय आदि में जोखिम की हानि के गुंजाईस को ध्यान में रखकर पूंजी बनाए रखती ताकि हानियों के विरुद्ध सामान्य ऋणकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं की रक्षा की जा सके। बैंक के पास व्यापक मूल्यांकन एवं विभिन्न जोखिमों तथा समुचित पूंजी आबंटन को प्रमाणित करने के लिए पूर्ण पारिभाषित आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण नीति (आईसीएससी) मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत सूचकांक दृष्टिकोण एवं बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण की सीआरएआर गणना का सहारा लिया है।

पूंजी आवश्यकता, आर्थिक वातावरण, नियामक आवश्यकता एवं बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम द्वारा प्रभावित होता है। बैंक के पूंजी योजना का अभिप्राय बदलती आर्थिक परिस्थितियों के समय एवं यहां तक कि आर्थिक मंदी के समय भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक समीक्षा करती है:

- बैंक की चालू पूंजी आवश्यकता
- व्यवसाय नीति एवं जोखिम अपेक्षा का ध्यान में रखते हुए लक्ष्य आधारित एवं धारणीय पूंजी
- भविष्य पूंजी योजना तीन वर्षों की संभावनाओं पर की जाती है।

वार्षिक आधार पर पूंजी योजना संशोधित की जाती है। बैंक ने अनवरत आधार पर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता व्यवसाय के भविष्य वृद्धि को ध्यान में रखकर पूंजी की व्यवस्था हेतु एक नीति बनाई है। अनुमति आधार पर बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात् टियर-1 एवं टियर-II में पूंजी का प्रावधान करती है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा बैंक के बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

1) आर डब्ल्यू ए के 9% - पर ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
● संविभाग बशर्ते मानक दृष्टिकोण:	3149.22
● प्रतिभूतीकरण निवेश	0.00

TABLE DF-3 Capital Adequacy

Qualitative disclosures

Bank maintains at both solo and consolidated level CRAR of more than 9% and Tier 1 CRAR of more than 6%.

The Bank maintains the minimum capital required as per Revised Framework above the Prudential floor viz higher of

- Minimum capital required as per the Revised Framework;
- 90% of the minimum capital required as per Basel 1 framework.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document different risks and substantiate appropriate capital allocation. In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation, bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crores)

1) Capital requirements for credit risk @ 9% of RWA	
● Portfolios subject to standardised approach:	3149.22
● Securitisation exposures:	0.00



2) बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता:	
● मानक अवधि दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम:	325.29
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित):	0.45
- इक्विटी जोखिम:	80.05
3) परिचाला जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता:	
● आधार सूचकांक दृष्टिकोण:	217.69
4) कुल पूंजी आपात (%):	12.80%
टीयर-1 पूंजी आपात (%):	8.16%

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता और इसके साथ

- पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य की परिभाषा (लेखा उद्देश्य हेतु)

बैंक ने पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य की वही परिभाषा (लेखा उद्देश्य हेतु) अपनाई है जो आय स्वीकार और आस्ति वर्गीकरण मान के नियामक ने दी है।

भा.रि.बैंक विनियमों का बैंक द्वारा अनुसरण किया जाता है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

अनर्जक आस्तियाँ

बैंक की किसी आस्ति से जब आय का अर्जन बंद हो जाता है तो वह आस्ति अनर्जक हो जाती है। यह एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें -

- यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलो वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं,
- यदि कोई ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) हो जाए,
- बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय जाए,
- दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज फसल के दो मौसम से अधिक के लिए अतिदेय हो जाए,
- दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण के लिए या उस का ब्याज फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए।

बैंक द्वारा किसी आधारभूत परियोजना के वित्त पोषण के मामले में यदि उसके व्यावसायिक उत्पादन की तारीख परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख (6 महीना परियोजना वित्तपोषण तथा 2 वर्ष संरचनाभूत परियोजना के लिए) से बढ़ जाए तो उस खाते को निमस्तरीय (सब-स्टैंडर्ड) माना जाता है

"अनियमित" की स्थिति

(2) Capital requirements for market risk:	
● Standardised duration approach;	
- Interest rate risk:	325.29
- Foreign exchange risk (including gold):	0.45
- Equity risk:	80.05
(3) Capital requirements for operational risk:	
● Basic indicator approach:	217.69
(4) Total capital ratio (%):	12.80%
Tier 1 capital ratio (%):	8.16%

TABLE DF-4

Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by the regulator for Income Recognition and Asset Classification norms.

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

Non-performing Assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

In case of Project Financing & Infrastructure Projects, financed by bank, if the date of commencement of commercial production extends beyond stipulated period after the date of completion of the project (6 months for Project Financing & 2 years for Infrastructure Projects) as originally envisaged at the time of financial closure, the account is treated as sub-standard.

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance



यदि बकाया शेष, लगातार मंजूरी सीमा / आहरण शक्ति से अधिक रहे तो उस खाते को अनियमित समझा जाता है। यदि मूल परिचाला खाते में बकाया शेष, मंजूरी सीमा / आहरण शक्ति से कम हो किंतु तुला पत्र की तारीख से लगातार 90 दिनों तक उसमें जमा न दिया गया हो या उसमें इतने रूपए जमा नहीं पड़े हो जिससे उसी अवधि में ब्याज नामे किया जा सके-तो ऐसे खातों को अनियमित समझा जाता है।

"अतिदेय"

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत यदि बैंक का बकाया निर्धारित देय तारीख को नहीं चुकाया जाता तो उसे अतिदेय समझा जाता है।

अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में-जहाँ ब्याज/मूलधा बकाया पड़ा होता है वहाँ बैंक उन प्रतिभूतियों पर आय नहीं जोड़ता और निवेश के मूल्य में न्हास का समुचित प्रावधान करता है।

अनर्जक ऋण की तरह अनर्जक निवेश ऐसा निवेश होता है जहाँ:

- ब्याज / किस्त (परिपक्वता के पश्चात प्राप्त राशि) बकाया रहती है और 90 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं चुकाया जाता/चुकाई जाती।
- यथोचित परिवर्तन सहित यही बात अधिमानी शेयरों पर भी लागू होती है जहाँ निश्चित लाभांश नहीं दिया जाता।
- जब किसी कम्पनी का अद्यता तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं होता तो उस कम्पनी के शेयर में निवेश का मूल्य प्रति कम्पनी 1/- रु. समझा जाता है और ईक्विटी शेयर के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार उन शेयरों में निवेश को अनर्जक निवेश समझा जाता है।
- जारीकर्ता द्वारा लिया गया होई भी ऋण यदि बैंक के खाते में आर्जक हो जाता है तो उस जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को अनर्जक निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को अनर्जक आस्ति समझा जाता है।
- ऐसे डिबेंचर्स / बांड्स में निवेश-जो ऋण की प्रकृति के हैं वे निवेश पर लागू होने योग्य एन.पी.आई मान की शर्तों के अधीन होते हैं।

● बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

अपनी ऋण नीति के रूप में बैंकने अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढाँचा बना रखा है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में इसे भेजा भी जाता है। इन वर्षों में नई अवधारणाओं और वास्तविक अनुभवों के परिणाम स्वरूप संबंधित नीति और पद्धतियाँ परिमार्जित हुई हैं। यह नीति और ये पद्धतियाँ बेसेल-II के निर्धारित दिशा-निर्देशों से जुड़ी हैं।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित नीति का परिचालन प्रबंधन की आशा के अनुरूप हो रहा है और सर्वोच्च प्रबंधन की रणनीतियाँ परिचाला के स्तर पर सार्थक साबित हो रही हैं। इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उस पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवत्ता में कोई अनुचित गिरावट न आए। साथ ही समग्रतः उस आस्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो। यह सुधार, ऋण दिए जाने के आधारभूत मानक, समीक्षा दक्षता, प्रलेखीकरण के स्तर और

remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-performing Investments

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

● Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system, as a part of its Lending Policy, which is reviewed from time to time and circulated to all branches / Regional Offices / departments at HO. Over the years, the policy & procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II Guidelines.

The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy aims at ensuring that there is no undue deterioration in quality of individual assets within the portfolio. Simultaneously, it also aims at continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio



संस्थान के हित के प्रति चेतना और रणनीति की दिशा में एक सामूहिक नजरिया स्थापित करते हुए करना है और लोच तथा नवोन्मेष के लिए पर्याप्त गुंजाइश भी छोड़नी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण निवेश की पहचान, उसकी समीक्षा, उसकी माप, अनुश्रवण और नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में बैंकने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करो और उनके परिशोध पर प्रचुर बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा हो सके और यह विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिमों - जैसे वित्तीय, व्यवसाय, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है जिसमें प्रत्येक के लिए अलग-अलग अंक रखे गए हैं।

ऋण जोखिम की माप के तह निवेश की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से जैसे कम्पनियों, कम्पनी समूहों, उद्योगों, संपार्श्विक प्रकारा और भूगोल के बीच विविध आयामी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और जोखिम को केंद्रीकृत होने से बचाने के लिए इस बैंक में व्यक्तिगत समूह उधारकर्ता, उद्योगवार निवेश सीमा और पूंजी बाजार, स्थावर संपदा आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। जब बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह परिभाषित बहुचरणीय विवेकाधिकार ढाँचे का अनुपालन करता है।

यह बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं - जैसे समीक्षा कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग, ऋण सुविधा की समीक्षा और उनका नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋण का प्रबंधन, ऋण की मॉनिटरिंग, ऋण समीक्षा मैकेनीजम आदि का प्रसंस्करण और नियंत्रण का काम करता है। इसके अतिरिक्त तामाही अंतराल पर पूरे ऋण पोर्टफोलियो का मैक्रो स्तरीय विश्लेषण किया जाता है ताकि ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की समीक्षा हो सके और उसके समक्ष सब - बीपीएलआर, बीपीएलआर और बीपीएलआर ब्याज वर्ग से परे खातों से अर्जन की स्थिति की समीक्षा हो सके और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं - जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के प्रादर्श का अनुपाला; जोखिम का स्तर जैसे - अल्प, मध्यम, अधिक और तदानुरूपी अर्जन एवं एनपीए स्तर आदि। निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति को भी लागू किया गया है। नीति के अनुरूप तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ऋण जोखिम - पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही अंतराल पर किया जाता है। समय-समय पर किए जा रहे ऐसे तनाव परीक्षणों पर इस बैंक की पूंजी पर्याप्त पाई गई है।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक रिस्क रेटिंग माइग्रेशन पर विश्लेषण करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक / बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित निवेश प्रादर्श की छमाही समीक्षा भी करता है। इससे इन्फ्रामैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट्स सर्विसेस के तकनीकी सहयोग से उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए एक साफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया गया।

level, by establishing a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies, while leaving enough room for flexibility and innovation.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Apart from this, the Macro level analysis of the whole credit portfolio is done at quarterly intervals to assess the quality of the credit portfolio vis-à-vis yield on position of accounts in sub-BPLR, BPLR and above BPLR interest segments and placed before Board. Portfolio analysis of major industries / sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank, and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

Stress testing policy duly approved by the Board of Directors has been put into place. Stress Testing, as per the policy, on Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk – impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on half-yearly basis. The capital maintained by the Bank was found to be adequate under such stress conditions conducted from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI / Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model with the technical assistance of ICRA Management and Consultancy Services (IMaCS) for rating of its borrowal accounts.



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

इसके अतिरिक्त इस बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम शमन तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित की संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिमों के शामक के बतौर काम करती हैं।

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

परिणात्मक प्रकटीकरण :

Quantitative Disclosures

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crores)

	निधी आधारित Fund Based	गैर-निधी आधारित Non Fund Based	कुल Total
(ख) कुल सकल ऋण निवेश (b) Total gross credit exposures	42756.00	4661.00	47417.00
(ग) निवेश का भौगोलिक वितरण (c) Geographic distribution of exposure			
विदेश में / Overseas	NIL	NIL	NIL
अपने देश में / Domestic	42756.00	4661.00	47417.00

(घ) निवेश का औद्योगिक प्रकार

(d) Industry Type Distribution of Exposures

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crores)

कोड Code	उद्योग का नाम Name of the Industry	निधी आधारित बकाया Fund Based Outstanding	गैर-निधी आधारित बकाया Non-Fund Based Outstanding
1	कोयला / Coal		
2	कोयला सहित खनन / Mining including Coal	43.00	23.00
3	लोह एवं इस्पात / Iron & Steel	3181.00	425.00
4	धातु उत्पाद / Metal Products	305.00	7.00
5	सभी इंजीनियरिंग / All Engineering	402.00	671.00
5.1	इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स / Of which Electronics	100.00	39.00
6	विद्युत / Electricity		
7	सूती वस्त्र / Cotton Textiles	329.00	12.00
8	जूट वस्त्र / Jute Textiles	9.00	1.00
9	अन्य वस्त्र / Other Textiles	472.00	9.00
10	चीनी / Sugar	21.00	1.00
11	चाय / Tea	12.00	0.00
12	खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	380.00	21.00
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति / Vegetable Oil & Vanaspati	26.00	0.00
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद / Tobacco & Tobacco Products	358.00	0.00
15	कागज एवं कागज उत्पाद / Paper & Paper Products	73.00	1.00
16	रबड़ एवं इसके उत्पाद / Rubber & Rubber Products	155.00	12.00
17	आधारभूत संरचना / Infrastructure	7849.00	1300.00
17.1	इसमें से ऊर्जा / Of which Power	3826.00	612.00
17.2	इसमें से टेलीकम्यूनिकेशंस / Of which Telecommunications	1511.00	59.00
17.3	इसमें से सड़क एवं पोत / Of which Roads & Ports	2071.00	579.00
18	सीमेंट / Cement	680.00	149.00
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद / Leather & Leather Products	154.00	16.00
20	रत एवं जवाहरात / Gems & Jewellery	303.00	68.00
21	निर्माण / Construction	320.00	426.00
22	पेट्रोलियम / Petroleum	462.00	1.00



23	आटोमोबाईल एवं ट्रक / Automobiles including Trucks	266.00	207.00
24	कम्प्यूटर साफ्टवेयर / Computer Software		
25	रसायन, रंगाई एवं रंग (पेंट) / Chemical, Dyes, Paints etc.	862.00	144.00
25.1	इसमें से उर्वरक / Of which Fertilizers	11.00	0.00
25.2	इसमें से पेट्रो रसायन / Of which Petro-chemicals	252.00	1.00
25.3	इसमें से औषधी एवं फार्मास्यूटिकल्स / Of which Drugs & pharmaceuticals	264.00	29.00
26	अन्य उद्योग / Other Industries	193.00	101.00
27	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	7968.00	
28	अवशिष्ट ऋण (सकल ऋण के संतुलन हेतु) / Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	17933.00	1066.00

* निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2010 तक निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश कुल निधि एवं गैर-निधि आधारित निवेश का 5% से अधिक है। /

* Fund based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund based and non fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2010.

क्रम सं. Sl.No.	निधि आधारित निवेश Fund Based (FB) Exposure		क्रम सं. Sl.No.	गैर निधि आधारित निवेश Non-Fund Based (NFB) Exposure	
	उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल निधि आधार का प्रतिशत % of total FB		उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल गैर निधि आधारित का प्रतिशत % of total NFB
1	लोह / Iron & Steel	7.44%	1	लोह एवं इस्पात / Iron & Steel	9.12%
2	आधारभूत संरचना / Infrastructure	18.36%	2	सभी इंजिनियरिंग / All Engineering	14.40%
2.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	8.95%	3	आधारभूत संरचना / Infrastructure	27.89%
3	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	18.64%	3.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	13.13%
			3.2	उसमें से सड़क एवं पोत / Of which Roads & Ports	12.42%
			4	निर्माण / Construction	9.14%

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग-अलग विवरण

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीना 29 days to 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 months & upto 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
ऋण Advances	210.23	1969.00	2025.10	376.65	2105.27	3493.69	3820.23	13703.90	6651.90	7974.07	42330.04
निवेश Investments	80.34	96.95	0.00	23.26	624.81	1632.26	1617.43	1090.19	3076.63	17825.87	26067.74
विदेशी मुद्रा आस्ति Foreign Currency Assets	386.43	408.70	81.55	49.40	721.43	538.61	781.43	14.48	x	x	2982.03



(च) अनर्जक आस्ति (एनपीए) (सकल)

(रू. करोड़ में)

वर्ग	राशि
अवमानक	603
संदिग्ध - 1	267
संदिग्ध - 2	367
संदिग्ध - 3	95
हानि	43
(बिक्रीत आस्तियों की राशि) (-)	3
कुल	1372

(छ) शुद्ध अनर्जक आस्ति	779
------------------------	-----

(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात	(% में)
(क) सकल ऋण का सकल अनर्जक आस्तियाँ	3.21%
(ख) शुद्ध ऋण का शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ	1.84%

(झ) सकल एनपीए की गतिविधी	(करोड़ रूपए में)
क) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा	1020.00
ख) इस वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	980.00
ग) इस वर्ष हुई कमी	628.00
घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख+ग)	1372.00

(ञ) सकल एनपीए के प्रावधान की गतिविधी	
क) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा	495.00
ख) इस वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	273.00
ग) इस वर्ष हुई कमी	174.00
घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख+ग)	594.00

ट) अनर्जक निवेश की राशि	17.02
-------------------------	-------

ठ) अनर्जक निवेश के लिए रखी गई प्रावधान राशि	17.02
---	-------

ड) निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान की गतिविधी	
i) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	647.16
ii) इस वर्ष किए गए प्रावधान	86.49
iii) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टेखाते में डाला गया / प्रतिलेखन किया गया	216.30
iv) इस वर्ष के अंत में इतिशेष (i+ii+iii)	517.35

(f) Amount of NPAs (Gross)

(Rs in crore)

Category	Amount
Sub Standard	603
Doubtful - 1	267
Doubtful - 2	367
Doubtful - 3	95
Loss	43
(Amounts of assets sold) (-)	3
TOTAL	1372

(g) Net NPAs	779
--------------	-----

(h) NPA ratios	(in %)
(a) Gross NPAs to Gross Advances	3.21%
(b) Net NPAs to Net Advances	1.84%

(i) Movement of gross NPA	(Rs in crore)
a) Opening balance at the beginning of the year	1020.00
b) Additions during the year	980.00
c) Reductions during the year	628.00
d) Closing balance at the end of the year (a+b-c)	1372.00

(j) Movement of provision for NPAs	
a) Opening balance at the beginning of the year	495.00
b) Provisions made during the year	273.00
c) Write-off/write-back of excess provisions	174.00
d) Closing balance at the end of the year (a+b-c)	594.00

k) Amount of non-performing investment	17.02
--	-------

l) Amount of provision held for non-performing investment	17.02
---	-------

m) Movement of provisions for depreciation on investments	
i) Opening balance at the beginning of the year	647.16
ii) Provisions made during the year	86.49
iii) Write-off / write-back of excess provisions	216.30
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	517.35



सारणी डी एफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए

- साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) करने वाली एजेंसियों के नाम तथा उनमें यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका कारण :
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने घरेलू निवेशों की रेटिंग हेतु केयर (सीएआरई), क्राइसिल (सीआरआईएसआईएल), इक्रा (आईसीआरए) एवं फिच (एफआईटीसीएच) इंडिया जैसी अनुमोदित घरेलू एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरएएस) की पहचान की है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल पूंजी संगणना के लिए किया जाता है :
- निवेश के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है :
 - (i) एक वर्ष (कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी (रिवोल्विंग) ऋणों को छोड़कर) अथवा कम की संविदात्मक परिपक्वता के साथ निवेश हेतु ईसीआरएएस द्वारा समनुदेशित अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।
 - (ii) घरेलू नकदी उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी उधारों (अवधि - निरपेक्ष) के लिए तथा 1 वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वतावाले मीयादी ऋण निवेशों के लिए दीर्घवधिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures:

(रु. करोड़ में)

<p>ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों (बेट्स) तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक के निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों (श्रेणी निर्धारित एवं अनिर्धारित) का बकाया</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 100% जोखिम भार से कम: ● Below 100 % risk weight: 	<p>21501.13</p>
<p>b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, outstanding amount of bank's performing loans & advances (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 100% जोखिम भार: ● 100 % risk weight: ● 100% जोखिम भार से अधिक: ● More than 100 % risk weight: ● कटौतीकृत: ● Deducted 	<p>16040.20</p> <p>3120.07</p> <p>0.00</p>

सारणी डी एफ - 6

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मद्दे शामिल हैं :

- वे नीतियाँ और वह पद्धति और इसका एक संकेत कि वह कहाँ तक इनका उपयोग तुलन-पत्र तैयार करते समय करता है।

TABLE DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches

Qualitative Disclosures

- (a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:
- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting:



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ।

नियामक अपेक्षाओं की तरह बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीकी एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है (क) बेसेल II की भावना / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विकों के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, (ख) बेसेल II / भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरुद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट - छॉट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है।

- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन :

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार है : (क) बैंक जमा (ख) एन एस सी / के वी पी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी

- गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यता

सी आर आर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार निम्नांकित है:

(क) केन्द्रीय सरकार गारंटी (0%) (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सी जी टी एम एस ई (0%) (घ) ई सी जी सी (20%) (ङ) साख पत्र के तहत खरीदे गए / बट्टाकृत बिल (20% अथवा विदेशी बैंकों की रेटिंग के अनुसार)

- अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम संकेन्द्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख):

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूलीयोग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। अतः बैंक द्वारा मान्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेन्द्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण:

(रु. करोड़ में)

(ख) अलग-अलग प्रकटीकृत प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश जो काट - छॉट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्थित है (बाद में, जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऐंड ऑफ बैलेंसशीट नेटिंग	3420.00
(ग) अलग - अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश जो गारंटी द्वारा / ऋण व्युत्पन्नी द्वारा समर्थित है (भा.रि. बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है) (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऐंड ऑफ द बैलेंस शीट नेटिंग)	2648.95

- Policies and processes for collateral valuation and management:

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel II / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- Description of the main types of collateral taken by the bank:

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies

- Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bills purchased/ discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign Banks).

- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures:

(Rs. in crore)

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	3420.00
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	2648.95



सारणी डी एफ - 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की जरूरत निम्नलिखित पर विचार - विमर्श सहित है:

- प्रतिभूतिकरण विषयक कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य जिसमें वह सीमा भी शामिल है जिसे ये कार्यकलाप सन्निहित प्रतिभूतिकृत-निवेशों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित करते है।
- प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अन्य सन्निहित जोखिमों (जैसे नकदीकरण जोखिम) की प्रकृति;
- प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिका (जैसे प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि सुविधादाता, नकदीकरण सुविधादाता, अदलाबदली सुविधादाता, संरक्षण सुविधादाता[#]) और इन सभी कामों में बैंक की सक्रियता की सीमा का संकेत;
- प्रतिभूतिकरण निवेश के ऋण और जोखिम में परिवर्तन के प्रेक्षण की जगह इस प्रक्रिया का वर्णन (उदाहरणार्थ 1 जुलाई, 2009 को एन सी ए एफ पर जारी मानक परिपत्र के पैरा 5.16.1 में दी गई परिभाषा के अनुरूप, सन्निहित आस्तियाँ का व्यवहार किस तरह प्रतिभूतिकरण निवेश को प्रभावित करता है)।
- ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की नीति के उपयोग का विवरण ताकि प्रतिभूतिकरण निवेश के माध्यम से धारित जोखिम को कम किया जा सके;

[®] नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप यदि अनुमति दी गई हो तो बैंक ने ब्याज दर की अदला बदली के रूप में या मुद्रा अदला बदली के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण संरचना को सहायत उपलब्ध कराया हो सकता है ताकि सन्निहित आस्ति की ब्याज दर / मुद्रा जोखिम को कम कर सके।

[#] नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यदि अनुमति दी गई हो तो गारंटी के जरिए, ऋण व्युत्पन्नी के जरिए या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के जरिए बैंक किसी प्रतिभूतिकरण लेन-देन को ऋण संरक्षण दे सकता है।

इस बैंक ने किसी भी प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में प्रवर्तक की भूमिका नहीं अदा की है। इसके अतिरिक्त सभी निवेश ट्रिपल 'ए'(एस ओ) वर्ग के लिखतों में किए गए हैं जिनमें भा.रि. बैंक के मार्ग निर्देश के अनुसार जोखिम भार 20% है। उपर्युक्त वर्गीकरण संकेत देते है कि ऋण की गुणवत्ता सर्वोच्च स्तर की है, ऋण दायित्वों को समय पर अदा करने के लिए सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा मौजूद है और ऋण जोखिम नगण्य है।

TABLE DF-7

Securitisation: disclosure for standardised approach

Qualitative Disclosures:

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:

- the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
- the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;
- the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider[®], protection provider[#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;
- a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009).
- a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;

[®] Bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.

[#] Bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.

The Bank has not acted as Originator in any Securitization Process; however it has acted as an Investor in Securitization Transactions. Moreover, all investments are in AAA (SO) rated instruments which attract a Risk Weight of 20% as per extant RBI Guidelines. The above rating indicates the highest degree of Credit Quality, offering highest safety for timely servicing of Debt Obligations and carrying minimal Credit Risk.



<p>(ख) प्रतिभूतीकरण कार्यकलाप हेतु बैंक की लेखा नीति के सारांश निम्नांकित को शामिल करते हुए है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेनदेन को विक्रय या वित्तपोषण समझा गया; ● पद्धतियाँ और महत्वपूर्ण पूर्वानुमान (निवेश सहित) जो धारित या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन के लिए लागू किए गए हैं। ● पूर्ववर्ती अवधि से इस अवधि में पद्धतियों और महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इस परिवर्तन के प्रभाव; ● तुलन - पत्र में देयता के निर्धारण की नीति हेतु व्यवस्था जिसकी जरूरत बैंक को अपनी प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वांछनीय थी। 	लागू नहीं
<p>(ग) बैंकिंग बही में इसी ए आई का उपयोग प्रतिभूतिकरण के लिए किया गया है और प्रतिभूतिकरण निवेश के प्रकार के लिए किया गया है जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई है।</p>	

<p>(b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● whether the transactions are treated as sales or financings; ● methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased ● changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; ● policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets. 	NOT APPLICABLE
<p>(c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	

परिणात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

<p>बैंक बही के लिए</p> <p>(घ) बैंक द्वारा कुल निवेश राशि का प्रभूतीकरण किया गया।</p> <p>(ङ) प्रतिभूतिकृत निवेशों के लिए चालू अवधि हेतु बैंक द्वारा पहचान किए गए निवेश के प्रकार (अर्थात क्रेडिट कार्ड हाउसिंग ऋण, आटो ऋण इत्यादि) निर्धारित प्रतिभूति द्वारा वर्णित है</p> <p>(च) एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जानेवाली आस्तियों की राशि।</p> <p>(छ) (च) के, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रारंभ किए गए आस्तियों की राशि।</p> <p>(ज) प्रतिभूतिकृत निवेशों की कुल राशि (निवेश के प्रकारद्वारा) तथा निवेश प्रकार द्वारा विक्रय पर पहचान नहीं किए गए लाभ और हानि.</p> <p>(झ) निम्नलिखित की औसत राशि:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र पर प्रतिभूतिकरण निवेश प्रतिधारित अथवा किए गए क्रय ● निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर प्रतिभूतिकरण निवेश 	शून्य
--	-------

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

<p>For Banking Book</p> <p>(d) The total amount of exposures securitised by the bank.</p> <p>(e) For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)</p> <p>(f) Amount of assets intended to be securitised within a year</p> <p>(g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.</p> <p>(h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.</p> <p>(i) Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and ● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	NIL
---	-----



<p>(j) ● प्रतिधारित अथवा खरीदे गए प्रतिभूतीकरण की कुल राशि तथा सबद्ध पूँजी प्रभार एवं प्रत्येक नियामक पूँजी प्रस्ताव हेतु विभिन्न जोखिम भारित में एवं खंडित.</p> <p>● निवेश जिनकी कटौती पूर्णतः टायर - 1 से की गई, कुल पूँजी से काटे गए ऋण वर्धक आई/ओ तथा कुल पूँजी से काटे गए अन्य निवेश निम्नांकित निवेश प्रकार द्वारा अलग-अलग प्रकट किए जाने चाहिए।</p>	<p>प्रतिभूतीकरण लेन-देन में निवेश की औसत राशि = 569.79 सबद्ध पूँजी प्रभार = 10.26 (बेसल II के मानकीकरण समझौता के तहत आर बी आई के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी. पी. बी.सी. 73 /21.06.001/2009 - 10, दिनांक : 08 फरवरी, 2010 के दिशा - निर्देश के अनुसार बैंक ने पूँजी प्रभार की गणना की है।</p>	<p>(j) ● Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.</p> <p>● Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).</p>	<p>Aggregate amount of Investment in Securitization Transactions= 569.75.</p> <p>Associated Capital Charge=10.26. (The bank has computed capital charge as per RBI Master Circular DBOD. No. BP.BC.73 / 21.06.001 / 2009-10 dated February 8, 2010 guidelines, under the Standardized Approach of Basel-II Accord).</p>
<p>व्यापार बही के लिए</p>		<p>For Trading Book</p>	
<p>(ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत निवेशों की कुल राशि, जिसके लिए बैंक ने बैंक के कुछ निवेशों को रखा है एवं जो निवेश प्रकार द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अंतर्गत है.</p>		<p>(k) Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.</p>	
<p>(ठ) कुल राशि का:</p> <p>● तुलन पत्र के रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेश या निवेश के प्रकार द्वारा खंडित खरीद एवं</p> <p>● निवेश के प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर का प्रतिभूतिकरण निवेश.</p>		<p>(l) Aggregate amount of:</p> <p>● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and</p> <p>● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.</p>	
<p>(ड) अलग-अलग खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेशों की कुल राशि हेतु:</p> <p>● विशिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय को ध्यान में रखकर खरीदे या रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेश एवं</p> <p>● विभिन्न जोखिम आधारित बैंडों में विशिष्ट जोखिम खंडित मदों के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे को ध्यान में रख कर प्रतिभूतिकरण निवेश</p>	<p>शून्य</p>	<p>(m) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:</p> <p>● securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and</p> <p>● securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</p>	<p>NIL</p>
<p>(ढ) कुल राशि का:</p> <p>● विभिन्न जोखिम आधारित बैंडों में खंडित प्रतिभूतिकरण ढाँचे को ध्यान में रखकर प्रतिभूतिकरण निवेशों के लिए पूँजी आवश्यकता</p> <p>● प्रतिभूतिकरण निवेश, जो समस्त रूप से टायर - 1 पूँजी से घटाया जाता है, ऋण वृद्धि आई ओ, जो कुल पूँजी से घटाया जाता है एवं अन्य निवेश, जो कुल पूँजी से घटाया जाता है (निवेश प्रकार द्वारा)</p>		<p>(n) Aggregate amount of:</p> <p>● the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.</p> <p>● securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).</p>	



सारणी डीएफ-8

व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) पोर्टफोलियो सहित बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए मानक दृष्टिकोण द्वारा चालित है।

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतियता जैसे-ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ईक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार-चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। मार्केट जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है कि उपार्जन एवं ईक्विटी पर होनेवाली हानि के प्रभाव को कम किया जाए।

बैंक में मार्केट जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है। उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होते हैं जैसे कि अशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध जोखिम खुलास्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य (वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ में)

(ख) निम्नलिखित के लिए पूँजी आवश्यकता:	
● ब्याज दर जोखिम:	325.29
● ईक्विटी स्थिती जोखिम:	80.05
● विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम:	0.45

सारणी डीएफ - 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

● सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण, परिचालन जोखिम पूँजी आकलन के लिए दृष्टिकोण जिसके लिए बैंक को योग्यता प्राप्त है:

अपर्याप्त अथवा अंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीति और प्रसिद्धी जोखिम में शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन का निर्माण किया है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों में परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी), (ग) काले धन को वैध बनाने के विरुद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि।

बैंक द्वारा लागू किए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। निकट से एकीकृत परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में दैनिक जोखिम प्रबंधन का संचालन इस

TABLE DF-8

Market Risk in trading book

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

(Rs. in crore)

(b) The capital requirements for:	
● Interest rate risk:	325.29
● Equity position risk:	80.05
● Foreign exchange risk:	0.45

TABLE DF-9

Operational Risk

Qualitative disclosures

● General qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security, (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system



नीति का मुख्य उद्देश्य है जिसमें बैंक द्वारा प्रभावी अभिज्ञान, आकलन, निगरानी एवं नियंत्रण/परिचालन जोखिम को हल करना एवं भौतिक परिचालन हानि सहित परिचालनगत जोखिम निवेश का समय पर रिपोर्ट करना स्पष्ट किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देश की भाँति बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूँजी निर्धारण के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण अपनाया है। तदनुसार 31.03.2010 को परिचालन जोखिम हेतु पूँजी की आवश्यकता रु.217.69 करोड़ थी।

सारणी डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बही (आई आर आर बी) में ब्याज दर जोखिम की प्रवृत्ति सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए तथा ऋण भुगतान एवं पूर्वानुमान, गैर-परिपक्व जमाराशियों के व्यवहार तथा आई आर आर बी बी माप की आवृत्ति सहित पूर्वानुमान।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता तथा आंतरिक और बाहरी तथ्यों से उत्पन्न दुलमुलापन से ब्याज दर जोखिम संबंधित है।

आंतरिक तथ्यों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्य अवधि, उधार राशि, ऋण एवं निवेश शामिल होता है। ब्याज दर में उतार - चढ़ाव बैंक के तुलन - पत्र के आस्ति के साथ-साथ देयता-दोनों के लिए प्रचलित है। आस्ति - देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से बैंक की प्राप्तियों निधि एवं नियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर निर्धारित करने तथा बैंक की निवेश क्रियाकलापों के परिचालन जोखिम की निगरानी एवं नियंत्रण करता है। परिवर्तित ब्याज दरों अर्थात् उपार्जन जोखिम जिसका अभिकलन स्थिर स्थिति पर परम्परित अंतर विश्लेषण के आधार पर किया जात है, इसके संबंधित जोखिम को बैंक पहचान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक महीना के अंतिम शुक्रवार को तैयार की जाने वाली रिपोर्ट की ब्याज दर अस्थिरशीलता विवरण के माध्यम से महीना के अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित किया है। तदनुसार मासिक आधार पर आल्को (ए एल सी ओ) ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) आई आर आर बी बी माप के लिए प्रबंधन प्रविधि के अनुसार दर की वृद्धि एवं कमी हेतु ब्याज दर जोखिम की वृद्धि (ऋास) का निर्धारण होता है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर

आँकड़े करोड़ रुपये में

जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	ब्याज दर	एन आई आई में परिवर्तन
	1.00% द्वारा वृद्धि	(-) 133.28
	1.00% द्वारा कम	133.28

into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2010 is Rs.217.69 crores.

TABLE DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset - Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates i.e. Earnings at Risk, which is computed based on the Traditional Gap Analysis on a static position.

Further, RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity to be prepared as on last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings at risk for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB.

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK

Fig. in Rs. Crore

Earnings At Risk (EAR)	Interest Rate		Change in NII	
	Up by 1.00%			(-) 133.28
	Down by 1.00%			133.28



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर
11 हेमंत बसु सरणी : कोलकाता - 700 001

प्रिय शेयरधारक,

विषय : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इ सी एस) के जरिए लाभांश का भुगतान ।

यदि आपने अभी तक हमारे रजिस्ट्रार मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अथवा डी मैट धारी हों तो अमानतदार सहांगी को अपने इ सी एस/बैंक खाते का विवरण नहीं भेजा हो तो हम निवेदन करते हैं कि आप इसे नीचे दिए गए प्ररूप में दे दें ताकि लाभांश की घोषणा होते ही हम उसे तुरंत, सुरक्षित रूप से और सही-सही आपके खाते में भेज सकें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार / अमानतदार सहभागी को दिया गया संबंधित विवरण बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आपका लाभांश किसी और के खाते में जमा हो जाएगा।

इ सी एस और/अथवा लाभांश अधिपत्र (वारंट) पर छपे नामित बैंक खाते के जरिए लाभांश का भुगतान, आपके लाभांश अधिपत्र का कपटपूर्वक नकदीकरण रोक देता है।

इस काम में आप हमें सहयोग दें ताकि हम आपको बेहतर सेवा दे सकें।

भवदीय,

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इ सी एस) हेतु अधिदेश / बैंक खाते का विवरण

मैं / हम _____ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को प्राधिकार देता हूँ / देते हैं कि

- निम्नलिखित विवरण आप मेरे / हमारे लाभांश वारंट पर छाप दें।
 - मेरे लाभांश की राशि को इ सी एस के जरिए सीधे मेरे खाते में जमा कर दें।
(उपर्युक्त दोनों में से जो विकल्प आप पर लागू न हो, उसे काट दें।) मेरी/हमारी फोलियो संख्या _____
डी पी आई डी _____ ग्राहक पहचान _____
बैंक खाते का विवरण : _____
 - क. बैंक का नाम : _____
 - ख. शाखा का नाम और पता : _____
 - ग. एम आई सी आर पर छपी बैंक और शाखा की नौ अंकों की कूट संख्या : _____
 - घ. खाता का प्रकार : बचत/चालू
 - ड. चेक पर छपी खाता संख्या : _____
 - च. शेयरधारी का एस टी डी कोड एवं टेलीफोन नम्बर : _____
- यदि इ सी एस लागू न हो सका या बैंक ने किसी कारण इ सी एस सेवा रोक दी तो मैं / हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे।

(शेयरधारी के हस्ताक्षर)

इसे निम्नलिखित पते पर भेजे :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सी-13 पन्ना लाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल बी एस मार्ग, भांडूप (वेस्ट)
मुंबई - 400078, महाराष्ट्र

- कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की एक फोटोकॉपी या रिक्त और रद्द किए हुए चेक का एक पन्ना अपने इस अधिदेश के साथ संलग्न करके भेजें ताकि हम नौ अंकों की कूट संख्या की यथार्थता की जांच कर सकें।
- यदि आप डी मैट रूप में शेयर धारण करते हों तो कृपया अपने अमानतदार सहभागी को अपने बैंक खाते के विवरण / इ सी एस अधिदेश को नोट कर लेने के लिए लिखें।



UNITED BANK OF INDIA
 HEAD OFFICE: UNITED TOWER
 11 HEMANTA BASU SARANI
 KOLKATA – 700001.

Dear Shareholder,

Re.: Payment of Dividend through Electronic Clearing Services (ECS)

In case you have not already sent the ECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the same in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrar/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of Dividend through ECS and/or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavour to serve you better.

Yours faithfully,

For United Bank of India

Authorised Signatory

FORM FOR ECS MANDATE / BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We _____ do hereby authorize United Bank of India

- Print the following details on my/our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank Account by ECS.

(Strike out whichever is not applicable) My/Our Folio No. _____

DP ID _____ Client ID _____

Particulars of Bank Account :

- | | | |
|--|---|-----------------|
| A. Bank Name | : | _____ |
| B. Branch Name | : | _____ |
| Address | : | _____ |
| C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque | : | _____ |
| D. Account Type | : | Savings/Current |
| E. Account No. as appearing on the Cheque | : | _____ |
| F. STD Code & Telephone No. of the Shareholder | : | _____ |

I/We shall not hold the Bank responsible if the ECS could not be implemented or the Bank discontinues the ECS for any reason.

 (Signature of the Shareholder)

Mail to: Link Intime India Pvt. Ltd.
 Unit: United Bank of India
 C-13 Pannalal Silk Mills Compound
 LBS Marg, Bhandup (West)
 Mumbai – 400078, Maharashtra.

- Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your account for verifying the accuracy of the nine digit code number.
- In case you are holding the shares in demat form, kindly advise your depository participant to take note of your Bank Account particulars/ ECS Mandate.



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
 प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर
 11 हेमन्त बसु सरणी : कोलकाता - 700 001

फार्म - ख प्रतिनिधि का फार्म

(शेयर धारक द्वारा जाना एवं हस्ताक्षरित होना है)

पंजीकृत फोलियो नं. _____
 (वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फार्म में नहीं हैं)

डी पी आई डी: _____ क्लॉइंट आई डी: _____
 (वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फार्म में हैं)

रखे गए शेयरों की सं. _____

मै/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारक
 / शेयर धारकों होने की हैसियत से एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____, राज्य _____ को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप दिनांक 9 जुलाई,
 2010 दिन शुक्रवार को जी. डी. बिड़ला सभागार, 29 आशुतोष चौधरी एवेन्यु, कोलकाता - 700 019 एवं किसी स्थगन की स्थिति में,
 बैंक के शेयर धारकों की होने वाली प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

वर्ष 2010 के _____ दिन को इस पर हस्ताक्षर किया।

कृपया एक
 रेवेन्यू टिकट
 चिपकाएं।

प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रथम धारक का हस्ताक्षर (एकमात्र धारक)

नाम: _____

पता: _____

टिप्पणी : प्रतिनिधि फार्म पूरी तरह भरा गया एवं हस्ताक्षर किया गया, बैठक की तिथि के चार दिन पूर्व, जो कि सोमवार, 5 जुलाई, 2010 है, कार्यकाल की समाप्ति के पहले शेयर विभाग एवं निवेश शिकायत प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700 001 में अवश्य पहुँच जाना चाहिए।



UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA – 700001.

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Registered Folio No. _____
(for shares not in demat form)

DP ID: _____ Client Id: _____
(for shares in demat form)

No. of Shares held: _____

I / We _____ resident of _____ in
the District of _____ in the state of
_____, being a shareholder/ shareholders of United Bank of
India hereby appoint Sri/.Smt. _____ resident of _____
_____ in the District of _____
_____ in the state of _____,
or failing him Sri/.Smt. _____ resident of
_____ in the District of
_____ in the state of _____, as
my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the first Annual General Meeting of the shareholders of
the Bank to be held on Friday, 9th July, 2010, at G.D. Birla Shabhaghar, 29 Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata
– 700019 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ Day of _____ 2010

Please affix
a Revenue
Stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/ sole holder)

Name: _____

Address: _____

Note: Proxy form duly filled in and signed must reach Share Department & Investors Grievance Cell, at the Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700 001 not later than four days prior to the date of the meeting, i.e. on or before the closing business hours of Monday, the 5th of July, 2010.

ANNUAL REPORT 2009-10



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

मैं/हम एतद्द्वारा मेरी / हमारी उपस्थिति शुक्रवार, 9 जुलाई, 2010 पूर्वाह्न 11.00 बजे, जी डी बिड़ला, सभागार, 29 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019 में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक में दर्ज करता हूँ / करते हैं।

पंजीकृत फोलियो सं. : डी पी आई डी: क्लाइंट आई डी:	शेयरों की सं.:
सदस्य का नाम : प्रतिनिधि का नाम:	
_____	_____
सदस्य का हस्ताक्षर	प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया, पूरी तरह से भरी गई पर्ची अपने साथ लाना याद रखें एवं आडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर उसे सौंप दे। कृपया, अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भी अपने साथ लायें।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA – 700001.

ATTENDANCE SLIP

I/We hereby record my/our presence at the first Annual General Meeting of United Bank of India at G. D. Birla Shabhagar, 29 Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata – 700019 on Friday, July 9, 2010 at 11.00 a.m.

Registered Folio No.:	Number of Shares:
DP ID:	
Client ID:	
Name of the Member :	
Name of the Proxy:	
_____	_____
Signature(s) of the Member(s)	Signature(s) of the Proxy

Note: Please remember to bring the attendance slip with you duly filled in and hand it over at the entrance of the Auditorium. Please also bring a copy of the Annual Report.



इस पृष्ठ को रिक्त रखा गया है ।
THIS PAGE HAS BEEN
KEPT BLANK INTENTIONALLY

उप महाप्रबंधकगण ● DY. GENERAL MANAGERS

उमा रंजन भट्टाचार्य	Uma Ranjan Bhattacharya
बिमल चन्द्र दास	Bimal Chandra Das
गौतम कुमार सिन्हा	Gautam Kumar Sinha
स्वपन कुमार चक्रवर्ती	Swapan Kamar Chakraborty
मणि शंकर चक्रवर्ती	Mani Sankar Chakrabarti
देबाशीष मुखर्जी	Debashish Mukherjee
वी. सुन्दरेशन	V Sundaresan
प्रसुन कुमार साहा	Prasun Kumar Saha
देब गुहा	Deb Guha
मनोरंजन मिश्रा	Manoranjan Mishra
अजित कुमार सेन	Ajit Kumar Sen
जगदीश पांडुरंग कुलकर्णी	Jagadeesh Pandurang Kulkarni
नरेश कुमार कपूर	Naresh Kumar Kapoor
विकास सीताराम खुटवाड	Vikas Sitaram Khutwad
राजेश कुमार माधवा	Rajeesh Kumar Madhava
संजय कुमार	Sanjay Kumar
राकेश चन्द्र नारायण	Rakesh Chandra Narayan
अमरीक सिंह	Amrik Singh
असीम कुमार सान्याल	Asim Kumar Sanyal
सलिल कुमार चटर्जी	Salil Kumar Chatterjee
गौतम रायचौधुरी	Gautam Roychowdhury
राना मजुमदार	Rana Mazumder
तपन कुमार दास	Tapan Kumar Das
अनुप कुमार सेन गुप्ता	Anup Kumar Sen Gupta
बिपल्बादित्य बसु	Biplabaditya Basu
विकास कुमार मंडल	Bikas Kumar Mondal
रमेश कुमार सिंघल	Ramesh Kumar Singal
सरोज कुमार नायक	Saroj Kumar Nayak
अलाहारी सेशुबाबू	Alahari Seshubabu

बुक पोस्ट
Book Post

*If undelivered
Please return to our Registrar*

M/s. Link Intime India (P) Ltd.
C/13, Pannalal Silk Mills Compound,
LBS Marg, Bhandup (W)
Mumbai - 400 078
Tel. : 022-25960320, Fax : 022-25960329
E-mail : ubi.ipo@linkintime.co.in

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)

आपका बैंक



United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com